

अभिलेख महानिदेशक की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
नौवीं रिपोर्ट
वर्ष 2006

NINTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2006



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI

2007

अभिलेख महानिदेशक की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
नौवीं रिपोर्ट
वर्ष 2006

**NINTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2006**



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI

2007

विषय वस्तु

1. प्रस्तावना	1
2. आंकड़ों का विश्लेषण — सामान्य निष्कर्ष	2
3. विभागीय अभिलेख कक्ष	3-4
4. विभागीय अभिलेख अधिकारी	5-6
5. स्थान की भागीदारी	7-8
6. अर्ध प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण	9-10
7. अभिलेखों का सूचीकरण	11-12
8. अभिलेखों के प्रतिधारण समय सूची का संकलन	13-15
9. वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण	16-17
10. निष्क्रिय/आयोग समितियां	18-19
11. अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई	20-21
12. संगठनात्मक इतिहास	22-23
13. क' श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्मिंग निर्माण	24
14. अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	25
15. संदर्भ माध्यम	26-27
16. अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण	28-30
17. अभिलेख प्रतिधारण समय—सूची की पुनरीक्षा	31
18. परामर्शी कार्य	32-33
19. प्रशिक्षण	34-35
20. अभिलेख जागरूकता	36-42
21. प्राथमिकताएं	43-44

CONTENTS

1.	Introductory.	1
2.	Analysis of the Data : General Observations	2
3.	Departmental Records Rooms	3-4
4.	Departmental Records Officers	5-6
5.	Sharing of Space	7-8
6.	Recording, Reviewing and Weeding Out of Semi-Current Records	9-10
7.	Indexing of Records	11-12
8.	Compilation of Retention Schedules for Records	13-15
9.	De-Classification of Classified Records	16-17
10.	Defunct Commissions/ Committees	18-19
11.	Action initiated by Records Creating Agencies on Appraisal of Non-Current Records	20-21
12.	Organisational History	22-23
13.	Microfilming of 'A' Category Records	24
14.	Appraisal of Non-Current Records	25
15.	Reference Media	26-27
16.	Accessions/ Acquisitions of Records	28-30
17.	Vetting of Retention Schedules for Records	31
18.	Advisory Work	32-33
19.	Training	34-35
20.	Archival Awareness	36-42
21.	Priorities	43-44

अनुलग्नक

अनुलग्नक -1

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में
सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

44-51

अनुलग्नक -2

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा
तथा विनष्टीकरण के संबंध में की गयी प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक विवरणियां
प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

52-55

अनुलग्नक -3

वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्धवार्षिक विवरणियां
भेजने वाले संगठनों की सूची

56-59

अनुलग्नक -4

अभिलेख प्रबंधन पर वर्ष 2006 में आयोजित पांच दिवसीय अभिविन्यास
पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम

60-64

INTRODUCTION

ANNEXURES

ANNEXURE – I

List of Organizations who have furnished information on the Implementation of the Public Records Act, 1993.

45-51

ANNEXURE – II

List of Organizations who have furnished Half-yearly returns on the progress made by them in Recording, Indexing, Reviewing, and Weeding of Semi-current Records.

52-55

ANNEXURE – III

List of Organizations who have furnished half-yearly returns on De-classification of Classified Records.

56-59

ANNEXURE – IV

Names of the Departmental Records Officers who have attended Orientation Courses on Records Management during 2006.

60-64

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह राष्ट्र की अभिलिखित विरासत का भंडार है और यह लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी भी है। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 8(2) के उपबंधों के तहत अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ठ) के अनुपालन में हर साल भारत सरकार को विभागीय अभिलेख अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होती है। तदनुसार 1565 अभिलेख सर्जक एजेंसियों, यानी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निकायों आदि को परिपत्र सं. 16-12(ए)/2007-आर.एम. दिनांक 12 अप्रैल, 2007 को भेजा गया जिसमें उनसे वर्ष 2006 के दौरान उपर्युक्त खंडों पर उनके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में निर्देशानुसार लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म-5 में रिपोर्ट भेजने को कहा गया था जिससे कि अभिलेख महानिदेशक लोक अभिलेख अधिनियम 1993 पर अमल के बारे में रिपोर्ट संकलित कर भारत सरकार को प्रेषित कर सकें।

1.1 प्रस्तुत प्रतिवेदन को अधिनियम के दायरे में आने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2006 के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर की गयी कार्रवाई के बारे में 30 अगस्त 2007 तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है:

1. एक संगठित विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना;
2. अभिलेख अधिकारियों का नामांकन;
3. अभिलेख अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण;
4. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए जगह की भागीदारी;
5. समय-समय पर अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को अभिलेखबद्ध करना, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण;
6. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन;
7. अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची का संकलन/संशोधन;
8. वर्गीकृत अभिलेखों की आवधिक समीक्षा;
9. अभिलेखों की वार्षिक सूचिका का संकलन;
10. संगठनात्मक इतिहास का संकलन; और
11. निष्क्रिय आयोग/समितियों आदि के रिकार्ड को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरण।

1.2 इस प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में उपर्युक्त बिन्दुओं पर सूचना का ब्यौरा दिया गया है।

INTRODUCTORY

National Archives of India is an attached office of the Ministry of Culture. It is the repository of the documentary heritage of the Nation and also serves as the Nodal Agency for the implementation of the Public Records Act, 1993. Under the provisions of the Rule 8 (2) of the Public Records Rules, 1997, Director General of Archives, Government of India is required to submit to the Government of India an Annual Report every year on the action taken by the Departmental Records Officers in pursuance of Clause (a) to (l) of the Sub-section (1) of Section 6 of the Public Records Act, 1993. Accordingly, Circular letter No. 16-12(A)/ 2007 RM dated 12 April 2007 was issued to 1565 records creating agencies i.e. Ministries/ Departments, Attached and Subordinate Offices of the Government of India, Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. requesting them to furnish the report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997 in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2006 so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of Public Records Act 1993.

1.1 The present report is compiled on the basis of the data received till 30 August 2007 from the records creating agencies falling within the scope of the Act on the action taken by them during the year 2006 on the following aspects: -

1. Setting up of an organised Departmental Records Room;
2. Nomination of Records Officers;
3. Training of Records Officers and Staff;
4. Sharing of space for housing semi-current records;
5. Periodical recording, reviewing, and weeding out of semi-current records;
6. Appraisal of non-current records;
7. Compilation/ revision of Retention Schedule of Records;
8. Periodical review of classified records;
9. Compilation of Annual indices to records;
10. Compilation of Organizational history, and
11. Transfer of Records of Defunct Bodies/ Committees etc. to National Archives of India.

1.2 Details of information on the aforesaid points have been delineated in the following chapters of the report.

आंकड़ों का विश्लेषण

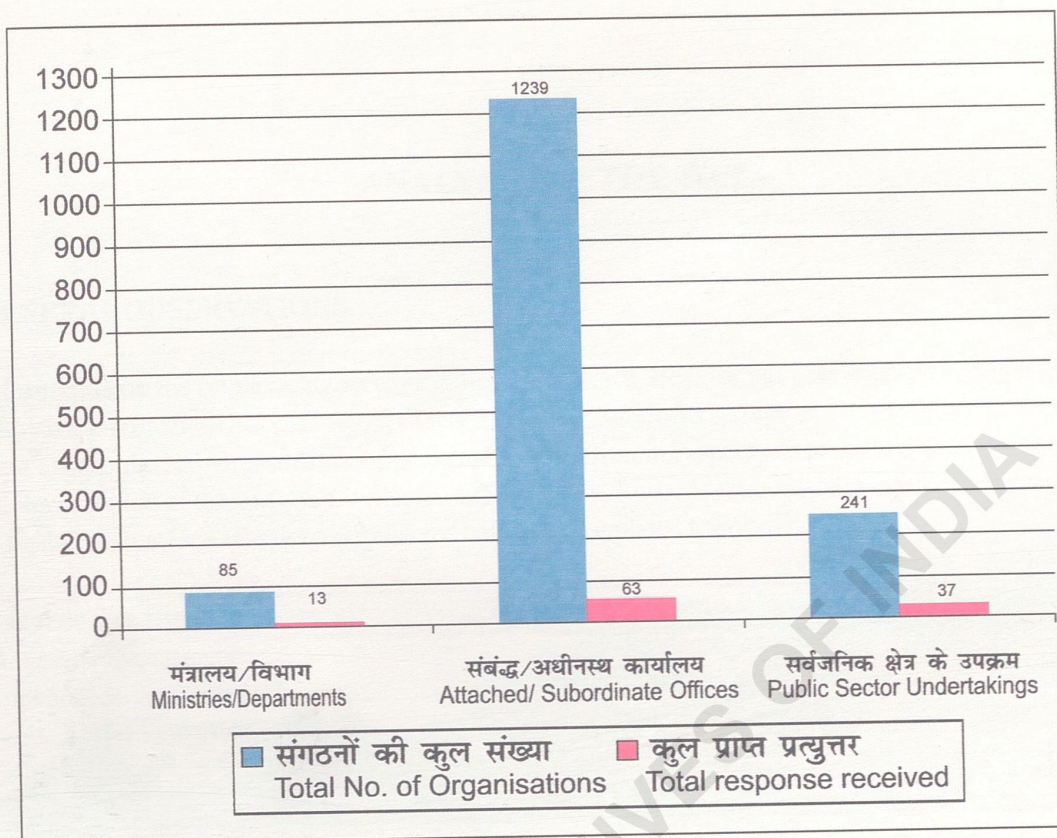
सामान्य निष्कर्ष

वर्ष 2006 में लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार के 1,565 मंत्रालयों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से सूचना मांगी गयी थी। तथापि, इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर अमल के बारे में मात्र 113 संगठनों ने सूचना उपलब्ध करायी है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त उत्तरों को नीचे तालिका के रूप में दिया जा रहा है:

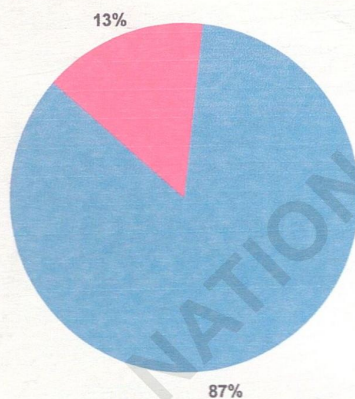
रिकार्ड सर्जक एजेंसियां	संगठनों की कुल संख्या	प्राप्त हुए कुल उत्तर
मंत्रालय/विभाग	85	13
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय आदि	1239	63
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	241	37
कुल	1565	113

2.1 उपर्युक्त आंकड़ों का विश्लेषण इंगित करता है कि मौजूदा रिपोर्ट के लिए कुल उत्तर 7.22 प्रतिशत बैठता है; यह पिछले वर्ष की रिपोर्ट के 9.85 प्रतिशत में 2.63 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। ज़ाहिर है कि यह अच्छा संकेत नहीं है और मैं सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर ध्यान दें और यह देखें कि आगामी वर्षों में अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाए ताकि लोक अभिलेखों का प्रबन्धन और रखरखाव सही ढंग से किया जा सके।

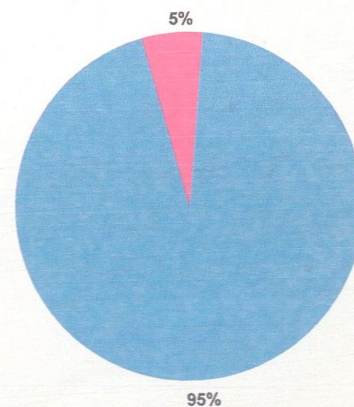
2.2 जिन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सूचना भेजी है उनके नाम अनुलग्नक-1 में देखे जा सकते हैं।



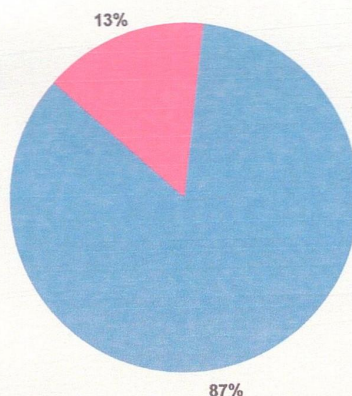
मंत्रालय/विभाग
Ministries/Departments



संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
Attached/Subordinate Offices



सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
Public Sector Undertakings



■ संगठनों की कुल संख्या (Total No. of Organisations)
 ■ कुल प्राप्त प्रत्युत्तर (Total response received)

ANALYSIS OF THE DATA

GENERAL OBSERVATIONS

Information on the implementation of Public Records Act, 1993 for the year 2006 was sought from 1565 Ministries/ Attached/ Subordinate Offices/ Public Sector Undertakings etc. of the Government of India. However, only 113 Organizations furnished information in respect of the action taken by them on the implementation of the various provisions of the said Act. Response received during the period under report from the various Organizations is indicated below in a tabulated form: -

Records Creating Agencies	Total No. of Organizations	Total response received
Ministries/ Departments	85	13
Attached/ Subordinate Offices etc.	1239	63
Public Sector Undertakings etc.	241	37
Total	1565	113

2.1 The analysis of the above data indicates that the total response is 7.22 per cent for the present report; it has gone down to 2.63 per cent as compared to the last years report 9.85 per cent. Obviously, this is not a good sign and I, plead once again to all records Creating Agencies to pay their attention and see that the provision of the Act are adhered to in the coming years so that the management and maintenance of the Public Records can be put on sound footing.

2.2 The names of the Ministries/ Departments/ Offices who have furnished information for this report may be seen **Annexure-I**.

विभागीय अभिलेख कक्ष

एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष अभिलेखों की बेहतर प्रबन्धन प्रणाली के लिए एक पूर्वापेक्षा है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उपधारा (2) में यह निर्धारित किया गया है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को उपयुक्त स्थानों पर अपने अभिलेख कक्ष स्थापित करने चाहिए और प्रत्येक अभिलेख कक्ष अभिलेख अधिकारी के प्रभार में होना चाहिए। विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापित करने का उद्देश्य स्थायी महत्व के अभिलेखों को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करना तथा उन्हें अभिलेखबद्ध करने, समीक्षा, सूचिका बनाने और उन अभिलेखों को नष्ट करने, जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई है, के लिए समय पर कार्रवाई करना है। अभिलेख सर्जक एजेंसियों का उक्त प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उन्हें अपने-अपने मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अभिलेख कक्ष स्थापित करने का अनुरोध किया। तथापि, इस संबंध में प्राप्त प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट होता है कि इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रीय अभिलेखागार अधिनियम की परिधि में आने वाली सभी एजेंसियों से अपने विभागीय अभिलेख कक्ष वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित और स्थापित करने का अनुरोध करता आ रहा है, इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इस संबंध में अभिलेख सर्जक एजेंसियों की ओर से और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

3.1 कुल मिलाकर 113 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना भेजी है। इनमें से 76 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं और 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय आदि हैं। इस संबंध में प्राप्त की गई सूचना की विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है।

3.2 निम्न 41 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उनके अभिलेख कक्ष सुव्यवस्थित है। इनके नाम इस प्रकार हैं: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण, रेल (रेलवे बोर्ड), पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य, डाक, भारतीय मौसम-विज्ञान, सड़क परिवहन और राजमार्ग, प्रकाशन, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और टाउन कन्ट्री एवं योजना संगठन, सभी दिल्ली में; तंबाकू विकास निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री, सभी चेन्नई में; जूट विकास निदेशालय और जूट आयुक्त का कार्यालय दोनों कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, दोनों मुंबई में; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आ.प्र.); केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान और महा डाकपाल का कार्यालय (कर्नाटक क्षेत्र), दोनों बंगलोर में; क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय, सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज ऑफ नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, समेकित मात्स्यिकी परियोजना, सभी कोचीन में; टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री, चण्डीगढ़ इंजीनियर संपर्क अधिकारी का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) छत्तीसगढ़; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (ज़िला सूरत); भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण और पत्तन स्वास्थ्य संगठन दोनों मारमागांव, गोवा में; केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोवा; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री, नागपुर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम।

DEPARTMENTAL RECORDS ROOM

A well-organised Departmental Records Room is the prerequisite for the better Records Management System. Sub-Section (2) of Section 5 of the Public Records Act, 1993 stipulates that all records creating agencies should set up their Records Rooms in such places as it does fit and also place each Records Rooms under the charge of a Records officer, the objective of setting up of the Departmental Records Room is to preserve the records of enduring value scientifically and take timely action for their recording, reviewing, indexing and weeding out of those records which are no longer required to be retained. Drawing the attention of the records creating agencies to the said provision, National Archives of India requested them to set up Record Rooms in their respective Ministry/ Department/ Office/ Public Sector Undertakings. However, response received in this regard reveals that in spite of the fact that National Archives of India has been requesting all agencies falling under the purview of the Act to organize and set up their Departmental Records Rooms in scientific way; very little attention has been paid towards this important aspect. More efforts on the part of the records creating agencies are required to be made in this regard.

3.1 In all 113 Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings have sent information. Out of which 76 are Ministries/ Departments/ Offices and 37 are Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc., the detailed analysis of information received in this regard is give below.

3.2 The following 41 Ministries/ Departments/ Offices have mentioned that their Records Rooms are well organized. These are: Ministries of Environment and Forests, Home Affairs, Information and Broadcasting, Railways (Railway Board), Shipping, Road Transport and Highways, Water Resources, Planning Commission and Prime Minister's Office, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Posts, India Meteorological, Road Transport and Highways, Publication, Directorate General of Supplies and Disposals, Indian Council of Agricultural research and Town Country and Planning organization all in New Delhi; Directorate of tobacco Development, Office of the Commissioner of Central Excise, BCG Vaccine Laboratory all in Chennai; Directorate of Jute Development and Office of the Jute Commissioner both in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise and Fishery Survey of India both in Mumbai Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP); Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and Office of the Chief Post Master General (Karnataka Circle) both in Bangalore; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Central Institute of Fisheries of Nautical and Engineering Training and Integrated Fisheries Project all in Cochin; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways), Chhattishgarh; Directorate of Mines Safety, Dhanbad; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (Distt. Surat); Fishery Survey of India and Port Health Organization both in Marmagao, Goa; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Central Agmark Laboratory, Nagpur; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam.

3.3 निम्नलिखित 35 संगठनों ने बताया है कि उनके अभिलेख कक्ष पूर्णतया व्यवस्थित नहीं हैं और उन्होंने 'शून्य' सूचना दी है, इनके नाम इस प्रकार हैं:- भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, चेन्नई; भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकारी स्वास्थ्य योजना; शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय - बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; महाडाक पाल (उड़ीसा मंडल) का कार्यालय, भुवनेश्वर; अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग चंडीगढ़; केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद; फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षेत्रीय केंद्र, हिसार (हरियाणा); सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (जयपुर); आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्टब्लेयर; इंजीनियर संपर्क कार्यालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), रांची; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, जिला संबलपुर, (उड़ीसा); पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान); परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, शिमला एवं तिरुवनंतपुरम। क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ।

3.4 निम्नलिखित पच्चीस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि ने सूचित किया है कि उनके पास सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष है - केन्द्रीय भांडागारण निगम, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण-विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम लिमिटेड, जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ, सभी नई दिल्ली और दिल्ली में; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई पत्तन न्यास, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, सभी मुंबई और नवी मुंबई में, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता पत्तन न्यास, सभी कोलकाता में; नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; सेमी-कन्डक्टर लेबोरेट्री, चण्डीगढ़ के निकट; ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़; नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गोलाघाट; हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड, सभी हैदराबाद में; हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, सभी जयपुर में; मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि, नागपुर; पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप; यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सिंहभूम (पूर्व); नार्दन कोलफील्ड लि., सिंगरौली; टूटिकोरिन पत्तन न्यास, टूटिकोरिन; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, सभी विशाखापत्तनम में।

3.5 तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., सभी चेन्नई में; ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि., राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड, सभी नई दिल्ली में; बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि., कोलकाता ने सूचित किया है कि उनके द्वारा अभी अभिलेख कक्ष स्थापित किए जाने हैं।

3.6 4 लोक उपक्रमों की एक अन्य श्रेणी है जिन्होंने 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं:- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली; एन्नोर पोर्ट लि. चेन्नई, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. लखनऊ।

3.7 इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों-गोआ शिपयार्ड लि., वास्को-डि-गामा; टिहरी हाइड्रो विकास निगम लि. टिहरी गढ़वाल; इस्पात निगम लि. विशाखापत्तनम से अस्पष्ट उत्तर प्राप्त हुए हैं।

3.3 The following 35 organizations have mentioned that their Records Rooms are not fully organized and furnished 'NIL' information. These are: Fishery Survey of India, Chennai; Government of India Stationery Office, Kolkata; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Branch Secretariat Department of Legal Affairs and Income Tax Appellate Tribunal all in Mumbai; Regional Offices of Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad, Jaipur, and Thiruvananthapuram; Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways, Chandigarh; Central Drugs Standard Control Organization (North Zone) Ghaziabad; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Office of Department of Road Transport and Highways, Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-I), Kanpur; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Engineer Liaison Office (Department of Road Transport and Highways), Ranchi; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima, Distt. Sambalpur, (Orissa); North Eastern Regional Office (Ministry of Environment & Forests), Shillong; Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan), Project Evaluation Offices, Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Guwahati, Patna, Shimla and Thiruvananthapuram and Regional Evaluation Offices, Chennai, Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow.

3.4 The following twenty five Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have reported that they have well organized Departmental Records Rooms-- Central Warehousing Corporation, National Institute of Immunology, National Buildings Construction Corporation Limited, Tribal Cooperation Marketing Development Federation, all in New Delhi and Delhi; Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai Port Trust, Jawaharlal Nehru Port Trust, all in Mumbai and Navi Mumbai; Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata Port Trust, all in Kolkata; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Semi-Conductor Laboratory, Near Chandigarh; Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat; Hindustan Fluorocarbons Limited, Bharat Dynamic Limited, all in Hyderabad; Hindustan Salts Limited, Sambhar Salts Limited, all in Jaipur; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Paradip Port Trust, Paradip; Uranium Corporation of India Limited, Singbhum (East); Northern Coalfield Limited, Singrauli; Tuticorn Port Trust, Tuticorn; Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam Port Trust, all in Visakhapatnam.

3.5 Tamil Nadu Trade Promotion Organization, Chennai Petroleum Corporation Limited, all in Chennai; Rural Electrification Corporation Limited, The National Small Industries Corporation Limited, all in New Delhi; Burn Standard Company Limited, Kolkata have informed that the Records Room are yet to be set up by them.

3.6 There is another category of four Public Sector Undertakings who have furnished nil reports. These are:- Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareilly; Ennore Port Limited, Chennai; National Safai Karmacharis Finance and Development Corporation, New Delhi; National Handloom development Corporation Limited, Lucknow.

3.7 Besides, vague replies have been received from the following three Public Sector Undertakings-Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Tehri Garhwal; Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam.

विभागीय अभिलेख अधिकारी

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) में यह निर्धारित है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण को अपने एक अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के तहत निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करने के लिए नामित करना होगा। विभागीय अभिलेख अधिकारी से अपेक्षित है कि वह संगठन में विभिन्न अनुभागों/प्रभागों में समन्वय रखे एवं मार्गदर्शन दे और महत्वपूर्ण कार्यों के अभिलेख प्रतिधारण समय सारणी के संकलन, गैर-प्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन, स्थायी प्रकृति के 25 वर्ष से पुराने अभिलेखों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित करने के संबंध में महानिदेशक अभिलेखागार के साथ संपर्क भी बनाए रखे। इसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अधिनियम की परिधि में आने वाले सभी संगठनों से विभागीय अभिलेख अधिकारियों को जल्द से जल्द नामित करने का अनुरोध किया है। इसके परिणामस्वरूप 838 संगठनों ने अब तक अपने एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 113 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों ने इस संबंध में अपेक्षित सूचना भेजी है। प्राप्त किए गए उत्तरों का विवरण नीचे दिया गया है।

4.1 42 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के पास पूर्ण प्रशिक्षित विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं। ये हैं:— पर्यावरण एवं वन गृह मंत्रालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य, डाक, भारतीय मौसम-विज्ञान, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, टाउन एंड कंट्री योजना संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सभी नई दिल्ली में; तंबाकू विकास निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय एवं बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री सभी चेन्नई में; जूट आयुक्त निदेशालय, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, सभी कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय एवं आयकार अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों मुंबई में; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.), केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान और महाडाकपाल का कार्यालय (कर्नाटक क्षेत्र) दोनों बंगलोर में; महाडाकपाल का कार्यालय (उड़ीसा क्षेत्र) भुवनेश्वर; टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री, चण्डीगढ़; इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) विभाग छत्तीसगढ़; सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज ऑफ नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय दोनों कोचीन में; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; पत्तन स्वास्थ्य संगठन मारमागांव, गोआ; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोआ; केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, गाजियाबाद; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; भारतीय खान ब्यूरो और केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री, दोनों नागपुर में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, संबलपुर (उड़ीसा); पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम।

4.2 निम्न 31 संगठनों ने यह सूचित किया कि वे छोटे संगठन हैं और उन्हें अभिलेख अधिकारी नामित करना आवश्यक नहीं लगता। कुछ कार्यालयों ने 'शून्य' उत्तर दिए हैं :- ये हैं प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली; भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, चेन्नई; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकारी स्वास्थ्य योजना, शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग और भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, सभी मुंबई में; सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, चण्डीगढ़; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और

DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 stipulates that every records creating agency shall nominate one of its officers as Records Officer to discharge the functions as out lined under Section 6(1) of the said Act. The Departmental Records Officer is required to coordinate and guide various sections/ Divisions of their respective organizations as well as liaisoning with the Director General of Archives regarding the compilation of Records Retention Schedule of substantive functions, appraisal of non-current records, transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for preservation. Taking into consideration National Archives of India has requested all the organizations falling under the purview of the Act to nominate Departmental Records Officer at their earliest. So far 838 organizations have nominated one of their officers as Records Officer. During the period under report 113 Ministries/ Departments/ Offices/ PSUs have furnished the requisite information in this regard. Details of replies received are give below.

4.1 42 Ministries/ Departments/ Offices have full trained Departmental Records Officers. These are:- Ministries of Environment and Forests, Home Affairs, Shipping, Road Transport and Highways, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Prime Minister's Office, Departments of Chemicals and petrochemicals, Commerce, Posts, India Meteorological, Road Transport and Highways, Directorate General of Supplies and Disposals, Town and Country Planning Organization, Indian Council of Agricultural Research all in New Delhi; Directorate of Tobacco Development, Office of the Commissioner of Central Excise and BCG Laboratory all in Chennai; Directorate of the Jute Commissioner, Government of India Stationery Office and Regional Evaluation Office all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise and Income Tax Appellate Tribunal both in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and Office of the Post Master General (Karnataka Circle) both in Bangalore; Office of the Post Master General (Orissa Circle) Bhubaneswar; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways), Chhattisgarh; Central Institute of Fisheries of Nautical and Engineering Training and Office of the Regional Labour Commissioner (Central) both in Cochin; Directorate of Mines Safety, Dhanbad; Port Health Organizations , Marmagoa, Goa and Office of the Commissioner of Central Excise, Panaji-Goa; Central Drugs Standard Central Organization, Ghaziabad; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Indian Bureau of Mines and Central Agmark Laboratory both in Nagpur; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Central Cattle Breeding Farm, Chiplita, Sambalpur (Orissa); North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam.

4.3 The following 31 Organizations have informed that they have small organizations and they do not feel necessary nominate Records Officer. Some offices have given 'NIL' replies. These are:- Department of Publication, New Delhi; Fishery Survey of India; Chennai; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Branch Secretariat of Department of Legal Affairs and Fishery Survey of India all in Mumbai; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways,

तिरुवनंतपुरम; समेकित मत्स्य परियोजना, कोचिन; फोरेज उत्पादन एवं प्रदर्शन हेतु क्षेत्रीय केन्द्र, हिसार (हरियाणा); सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर; आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; इंजीनियर संपर्क अधिकारी (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग), रांची; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान); परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना शिमला तथा निरुवानंतपुरम और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय चेन्नई, चंदीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ।

4.3 निम्नलिखित 3 संगठनों ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष उनके दफ्तरी/क्लर्क के प्रभार में हैं। ये हैं; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (ज़िला सूरत), भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण मारमागांव, गोआ तथा मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अण्डमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर।

4.4 जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि का संबंध है, विभागीय अभिलेख अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है। निम्नलिखित तीस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूर्णकालिक विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं— केन्द्रीय भंडागारण निगम, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण-विज्ञान संस्थान, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि., राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम लिमिटेड, जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ, सभी नई दिल्ली और दिल्ली में; हिन्दुस्तान पेपरकारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता पत्तन न्यास, बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि., सभी कोलकाता में; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई पत्तन न्यास, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, सभी मुंबई और नवी मुंबई में, तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई; नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; सेमी-कन्डक्टर लेबोरेट्री, चण्डीगढ़ के निकट; ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़; नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गोलाघाट; हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, हैदराबाद; हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, सभी जयपुर में; भारत डायनेमिक लिमिटेड, हैदराबाद; मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि. नागपुर; पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप; यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सिंहभूम (पूर्व); नार्दन कोलफील्ड लि., सिंगरौली; टूटिकोरिन पत्तन न्यास, टूटिकोरिन; इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., सभी विशाखापत्तनम में।

4.5 निम्नलिखित पांच लोक उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास कोई अभिलेख अधिकारी नहीं है :- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, राय बरेली; टिहरी हाइड्रो विकास निगम लि. टिहरी-गढ़वाल; एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय हथकरधा विकास निगम लि., लखनऊ।

4.6 चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चेन्नई ने सूचित किया है कि वे विभागीय अभिलेख अधिकारी नामित करने की प्रक्रिया में लगे हैं।

4.7 गोआ शिपयार्ड लि., वास्को-डि-गामा ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है।

Chandigarh; Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Thiruvananthapuram; Integrated Fisheries Project, Cochin; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Office of Department of Road Transport and Highways, Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-I) Kanpur; Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways), Ranchi; Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan); Project Evaluation Offices; Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Guwahati; Patna; Shimla and Thiruvananthapuram and Regional Evaluation Offices, Chennai; Chandigarh; Mumbai; Hyderabad; Jaipur and Lucknow.;

4.3 Under mentioned 3 organizations have intimated that their Records Rooms are under the charge of Daftry/ Clerk. These are; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (Distt. Surat); Fishery Survey of India, Marmagao, Goa and Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour works, Port Blair.

4.4 As regards the Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc, the position regarding the appointment of Departmental Records Officers, is as follows- The following thirty Public Sector Undertakings have full time Departmental Records Officers- Central Warehousing Corporation, National Institute of Immunology, Rural Electrification Corporation Limited, The National Small Industries Corporation Limited, National Buildings Construction Corporation Limited, Tribal Cooperation Marketing Development Federation, all in New Delhi and Delhi; Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata Port Trust, Burn Standard Company Limited, all in Kolkata; Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai Port Trust, Jawaharlal Nehru Port Trust, all in Mumbai and Navi Mumbai; Tamil Nadu Trade Promotion Organization, Chennai; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Semi-Conductor Laboratory, Near Chandigarh; Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat; Hindustan Fluorocarbons Limited, Hyderabad; Hindustan Salts Limited, Sambhar Salts Limited, all in Jaipur; Bharat Dynamic Limited, Hyderabad; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Paradip Port Trust, Paradip; Uranium Corporation of India Limited, Singhbhum East; Northern Coalfields Limited, Singrauli; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam Port Trust, Hindustan Shipyard Limited, all in Vishakapatnam.

4.5 The following five Public Sector Undertakings have informed that they have no Records Officer- Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Tehri-Garhwal; Ennore Port Limited, Chennai; National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation Limited, New Delhi; National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow.

4.6 Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai has informed that they are under process of nomination of Departmental Records Officer.

4.7 Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama has forwarded vague reply.

स्थान की भागीदारी

यह देखा गया है कि अर्ध-प्रचलित चरण में अभिलेखों को उनके अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा ध्यान नहीं रखा जाता। विशेषकर ऐसे मामलों में जहां अलग विभागी अभिलेख कक्ष नहीं बनाए जाते, वहां या तो इन अभिलेखों को गलियारों में रख दिया जाता है या अलमारियों में बेतरतीब ढंग से रख दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति अभिलेखों की हालात के लिए उपयुक्त नहीं हैं और परिणामस्वरूप इनमें से कई अभिलेख जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, नष्ट हो सकते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार सभी संगठनों को अपने एनेक्सी भवन नई दिल्ली में और भोपाल के क्षेत्रीय केंद्र तथा जयपुर, भुवनेश्वर एवं पांडिचेरी के अभिलेख केंद्रों में स्थान की भागीदारी करने का प्रस्ताव दे रहा है।

5.1 कुल 113 संगठनों ने सूचना भेजी है उनमें से 76 सरकारी संगठन हैं और 37 लोक उपक्रम हैं। सरकारी संगठनों के मामले में 69 संगठनों ने नकारात्मक उत्तर दिया है और 7 कार्यालयों ने स्थान की भागीदारी के लिए इच्छा दर्शाई है या पहले से ही अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार एनेक्सी भवन, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय अभिलेख केंद्रों, भोपाल, जयपुर, पांडिचेरी और भुवनेश्वर में स्थानांतरित कर दिए हैं। इस संबंध में प्राप्त उत्तरों के विवरण इस प्रकार है।

5.2 जो संगठन राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली या इसके अभिलेख केंद्रों में स्थान की भागीदारी के इच्छुक हैं; इस प्रकार हैं — सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग सभी नई दिल्ली में; तबाकू विकास निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, दोनों चेन्नई में; इन दोनों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख केंद्र पांडिचेरी में स्थान की भागीदारी की है; महाडाकपाल का कार्यालय (उड़ीसा मंडल), भुवनेश्वर ने अपने अभिलेख एन. ए. आई. अभिलेख केंद्र, भुवनेश्वर को भेज दिए हैं और नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर ने सूचित किया है कि अभिलेख एन. ए. आई. अभिलेख केंद्र, जयपुर को भेजे जाने हैं।

5.3 निम्नलिखित 69 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने शून्य रिपोर्ट भेजी हैं:—पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, वाणिज्य विभाग, डाक विभाग, भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग, प्रकाशन विभाग, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, टाउन एंड कंट्री योजना संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सभी नई दिल्ली में; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री दोनों चेन्नई में; जूट आयुक्त का कार्यालय, जूट विकास निदेशालय और भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, सभी कोलकाता में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, आयकार अपीलीय न्यायाधिकरण और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण सभी मुंबई में; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.), महाडाकपाल का कार्यालय (कर्नाटक मंडल) और केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान दोनों बंगलोर में; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग और टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री, दोनों चण्डीगढ़ में; इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग)

SHARING OF SPACE

It has been observed that during their semi-current stage the records are not well cared for the records creating agencies. Especially in the case where a separate Departmental Records Room has not been organized, either these records are dumped in the corridors or stacked haphazardly in the Almirahs. These types of conditions are not conducive to the health of the records and as a result many of these records, containing valuable information may perish, keeping all these problems in mind, National Archives of India has been inviting all the organizations to share space in its annexe building, New Delhi and also in its Regional Office at Bhopal and Records Centre at Jaipur, Pudducherry and Bhubaneswar.

5.1 In all 113 Organizations have furnished information, out of which 76 are the Government Organizations and 37 are Public Sector Undertakings. In case of the Government Organizations 69 Organizations have given negative response and 7 Offices have shown their willingness to Share Space or already transferred to the National Archives of India, Annexe Building, New Delhi and its Regional Records Centres, Bhopal, Jaipur, Pudducherry, and Bhubaneswar. Details of replies received in this regard are as follows: -

5.2 The Organization that are willing to Share space at N.A.I., New Delhi or its Records Centres are: Ministries of Information and Broadcasting, Shipping, Road Transport and Highways and Department of Road Transport and Highways all in New Delhi; Directorate of Tobacco Development and Office of the Commissioner of Central Excise both in Chennai have already shared at NAI, Record Centre, Pudducherry; Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar has already sent records to NAI, Record Centre, Bhubaneswar and Office of the Salt Commissioner, Jaipur has intimated that the records are to be sent to NAI, Record Centre, Jaipur.

5.3 The following 69 Ministries/ Departments/ Offices have furnished 'NIL' reports are : Ministries of Environment and Forests, Home Affairs, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Prime Minister's Office, Departments of Chemicals and petrochemicals, Commerce, Posts, India Meteorological, Publication, Directorate General of Supplies and Disposals, Town and Country Planning Organization and Indian Council of Agricultural Research all in New Delhi; Fishery Survey of India and BCG Vaccine Laboratory, both in Chennai; Office of the Jute Commissioner, Directorate of Jute Development and Government of India Stationery Office all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, Income Tax Appellate Tribunal and Fishery Survey of India all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP), Office of the Post Master General (Karnataka Circle) and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery both in Bangalore; Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad; Jaipur and Thiruvananthapuram; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways and Terminal Ballistics Research Laboratory both in Chandigarh; Office of the Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways), Chhattisgarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Central Institute of Fisheries of Nautical and Engineering Training and Integrated Fisheries Project all in Cochin; Directorate of Mines Safety, Dhanbad;

छत्तीसगढ़; क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय, सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ ऑफ नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और समेकित मात्स्यिकी परियोजना सभी कोचीन में; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (ज़िला सूरत); संबलपुर (उड़ीसा); और सूरतगढ़ (राजस्थान); केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद; पत्तन स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मारमागांव, गोआ और केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोआ; फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षेत्रीय केंद्र, हिसार (हरियाणा); सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (जयपुर); आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; भारतीय खान ब्यूरो और केन्द्रीय एग्मार्क लेबोरेट्री, दोनों नागपुर में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) रांची; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद; बंगलोर; भोपाल; गुवाहाटी; पटना; शिमला एवं तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई; कोलकाता; मुंबई; चंडीगढ़; हैदराबाद; जयपुर और लखनऊ।

5.4 सैंतीस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकाय जिन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय अभिलेख केंद्रों में स्थान की भागीदारी से संबंधित सूचना दी थी, उनमें से केवल एक संगठन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. ने अवश्यता पड़ने पर स्थान की भागीदारी की इच्छा व्यक्त की है।

5.5 निम्नलिखित अट्ठाईस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय इत्यादि हैं जो किसी न किसी कारण से अभिलेख भण्डारण के स्थान की भागीदारी करने के इच्छुक नहीं हैं। ये हैं — केन्द्रीय भांडागारण निगम, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण-विज्ञान संस्थान, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि., कृ. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम लिमिटेड, जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ, सभी नई दिल्ली और दिल्ली में; हिन्दुस्तान पेपरकारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता पत्तन न्यास सभी कोलकाता में; मुंबई, पत्तन न्यास, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, सभी मुंबई और नवी मुंबई में; एन्नोर पोर्ट लि. चेन्नई; नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद; हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक लि., सभी हैदराबाद में; हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, सांभर साल्ट्स लिमिटेड, सभी जयपुर में; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. लखनऊ; पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप; मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, रायबरेली; राष्ट्रीय यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सिंहभूम (पूर्व); नार्दन कोलफील्ड लि., सिंगरौली; टिहरी हाइड्रो विकास लिगम लि. टिहरी-गढ़वाल, गोआ शिपयार्ड लि. वास्को डि-गामा; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, सभी विशाखापत्तनम में;

5.6 पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि की एक और श्रेणी है जिन्होंने सूचना दी है कि उन्हें स्थान की भागीदारी की ज़रूरत नहीं है। ये हैं — तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइज़ेशन, चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., सभी चेन्नई में; टुटिकोरिन पत्तन न्यास, टुटिकोरिन; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुंबई; ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कारपोरेशन लि., डिब्रुगढ़।

5.7 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि; गोलाघाट ने सूचित किया है कि यह उनका विषय नहीं है।

5.8 सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता, वे हैं — सेमी-कन्डक्टर लेबोरेट्री, चंडीगढ़ के निकट; बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि., कोलकाता।

Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod (District Surat); District Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Central Drugs Standard Central Organization, Ghaziabad; Port Health Organizations and Fishery Survey of India both in Marmagao, Goa and Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Office of Department of Road Transport and Highways, Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-I), Kanpur; Indian Bureau of Mines and Central Agmark Laboratory both in Nagpur; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Engineer Liaison Office (Department of Road Transport And Highways), Ranchi; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour works, Port Blair; North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam; Project Evaluation Offices, Ahmedaba; Bangalore; Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow.

5.4 Out of thirty seven Public Sector Undertakings, Statutory Bodies etc. who have furnished information regarding sharing of space in National Archives of India, Regional Office Record Centres only one Organization the National Small Industries Corporation Limited has showed its willingness to share space if required by them.

5.5 The following twenty-eight Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc are unwilling to share records storage space for one reason or the other. These are- Central Warehousing Corporation, National Institute of Immunology, Rural Electrification Corporation Limited, National Safai Karmacharis Finance and Development Corporation, National Buildings Construction Corporation Limited, Tribal Cooperation Marketing Development Federation, all in New Delhi and Delhi; Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata Port Trust, all in Kolkata; Mumbai Port Trust, Mumbai, Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai; Ennore Port Limited, Chennai; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Hindustan Fluorocarbons Limited, Bharat Dynamic Limited, all in Hyderabad; Hindustan Salts Limited, Sambhar Salts Limited, all in Jaipur; National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow; Paradip Port Trust, Paradip; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli; National Uranium Corporation of India Limited, Singhbhum(East); Northern Coalfields Limited, Singrauli; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Tehri-Garwal; Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama; Hindustan shipyard Limited, Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam Port Trust, all in Visakhapatnam.

5.6 There is another category of five Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc., who have forwarded the information that the sharing of space is not necessary or required by them. These are-Tamil Nadu Trade Promotion Organization, Chennai Petroleum Corporation Limited, all in Chennai; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai; Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh.

5.7 Numaligarh Refinery Limited, Golaghat has informed that it is not contemplative to them.

5.8 Public Sector Undertakings that have intimated that it is not applicable to them are-Semi-Conductor Laboratory, Near Chandigarh; Burn Standard Company Limited, Kolkata.

अध्याय-6

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन

पुनरीक्षण व विनष्टीकरण

प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने दिन-प्रतिदिन के लेन देन में अभिलेखों का सृजन करता है। महत्वपूर्ण अभिलेखों को अल्पावधि के अभिलेखों से पृथक करने के लिए और इनके उचित प्रबंधन/रख-रखाव के लिए भी, उनका समय पर अभिलेखन/समीक्षा/छंटाई आदि ऐसे आवश्यक कदम हैं जिन्हें सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (ख) और लोक अभिलेख नियम, 1997 का नियम 9 उपबंधित करता है कि किसी भी अभिलेख को अभिलेखन और समीक्षा के बगैर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम (9) आगे उपबंधित करता है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण को इस विषय पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के समक्ष अर्ध वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों सहित लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि को दिनांक 12 अप्रैल 2007 को परिपत्र सं. 16-5/2006 आर एम जारी किया गया था। उन संगठनों की सूची जिन्होंने सूचना भेजी है अनुलग्नक II पर देखी जा सकती है। अन्य परिपत्र सं. 16-12 क/2007 आर एम जो दिनांक 13 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था के उत्तर में 113 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने सूचना भेजी है। सूचना का विश्लेषण निम्नानुसार है:-

6.1 37 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि वे अभिलेखन, समीक्षा, सूची बनाने और अभिलेखों को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं; ये इस प्रकार हैं: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य विभाग, डाक विभाग, भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, टाउन कन्ट्री एवं योजना संगठन, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सभी दिल्ली में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, तंबाकू विकास निदेशालय, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सभी चेन्नई में; जूट आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, मुंबई; महा डाकपाल का कार्यालय (कर्नाटक मंडल), बंगलोर और (उड़ीसा मंडल), भुवनेश्वर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, बंगलोर; टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेट्री, चण्डीगढ़; क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय और केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान दोनों कोचीन में; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मारमागांव, गोआ, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर और विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम।

6.2 39 संगठनों ने शून्य सूचना भेजी है। ये हैं: प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली; बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री, चेन्नई; जूट आयुक्त का कार्यालय और भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय दोनों कोलकाता में अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकारी स्वास्थ्य योजना, शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण सभी मुंबई में; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आ.प्र.), केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान बंगलोर में; अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग चण्डीगढ़, इंजीनियर संपर्क अधिकारी का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) छत्तीसगढ़; समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत); जिला

**RECORDING, REVIEWING AND WEEDING
OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS**

Every Records Creating Agency creates records in their day-to-day transactions. To segregate the important records from those of ephemeral ones and also for their proper management/ maintenance, their timely recording/ reviewing/ weeding are the essential steps which are required to be taken by all records creating agencies, the Section 6(1) (b) of Public Records Act, 1993 and Rule 9 of Public Records Rule, 1997 stipulate that no record shall be destroyed without being recorded and reviewed. Rule 9(1) of the Public Records Rules, 1997 further stipulates that each record-creating agency should furnish half-yearly returns on the subject to National Archives of India. Accordingly, a circular letter No. 16-5/ 2006 RM dated 12 April 2007 was issued to all Ministries / Departments/ Offices including Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. A list of organizations who have sent information may please be seen in Annexure II. In response to another circular letter No. 16-12A/ 2007 RM dated 13 April 2007. 113 Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have sent information. The analysis of information is given below.

6.1 37 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they are attending the job of Recording, Reviewing, Indexing and Weeding of records. These are:- Ministries of Environment and Forests, Home Affairs, Information and Broadcasting, Shipping Road Transport and Highways, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Prime Minister's Office, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Posts, India Meteorological, Road Transport and Highways, Town Country and Planning Organisation, Directorate General of Supplies and Disposals and Indian Council of Agricultural Research all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise, Directorate of Tobacco Development and Fishery Survey of India all in Chennai; Office of the Jute Commissioner, Kolkata; Offices of the Central Excise, Mumbai; Office of the Post Master General (Karnataka Circle), Bangalore and (Orissa Circle), Bhubaneswar; Project Evaluation Office, Bangalore; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central) and Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training both in Cochin; Directorate of Mines Safety, Dhanbad; Central Drugs Standard Central Organization (North Zone), Ghaziabad; Port Health Organization, Marmagao, Goa; Regional Evaluation Offices, Hyderabad; Jaipur and Lucknow; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair and Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam.

6.2 39 Organizations have furnished 'NIL' report. These are: - Department of Publication, New Delhi; BCG Vaccine Laboratory, Chennai; Directorate of the Jute Commissioner and Government of India Stationery Office both in Kolkata; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, Income Tax Appellate Tribunal and Fishery Survey of India all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and

संबलपुर (उड़ीसा); और सूरतगढ़ (राजस्थान); भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्ष मारमागांव, गोआ; केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त, का कार्यालय, पणजी, गोआ; फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षेत्रीय केंद्र, हिसार (हरियाणा); स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (जयपुर); आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री, नागपुर; इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) रांची; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद; भोपाल; गुवाहाटी; पटना; शिमला; तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई; कोलकाता; मुंबई और चंडीगढ़।

6.3 कुल सैंतीस लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचना भेजी है जिसमें से सत्रह ने सूचित किया है कि वे इस कार्य को कर रहे हैं। ये हैं: केन्द्रीय भंडागारण निगम, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण-विज्ञान संस्थान, दोनों नई दिल्ली में; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. मुंबई पत्तन न्यास, दोनों मुंबई में; जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई; हिन्दुस्तान पेपरकारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता; चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई; नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; सेमी कन्डक्टर लेबोरेट्री, चण्डीगढ़ के निकट; राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद; हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, सांभर साल्ट्स लिमिटेड, दोनों जयपुर में; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट; यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सिंहभूम (पूर्व); टुटिकोरिन पत्तन न्यास, टुटिकोटिन; इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, सभी विशाखापत्तनम में।

6.4 गोवा शिपयार्ड लि; वास्को-डि-गामा ने सूचित किया है कि वे आईएसओ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रक्रियात्मक मैनुअल के अनुसार अर्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, समीक्षा और छटाई कर रहे हैं।

6.5 कोलकाता पत्तन न्यास, बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि. सभी कोलकाता में; भारत डायनैमिक लि; हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. सभी हैदराबाद में; ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि, डिब्रूगढ़; मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि. नागपुर ने सूचित किया है कि कार्य चल रहा है।

6.6 निम्नलिखित दस संगठनों ने शून्य रिपोर्ट भेजी हैं — इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, रायबरेली; तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई; ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन लि; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ सभी नई दिल्ली और दिल्ली में; पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप; एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. लखनऊ; भारत डायनेमिक्स लि. हैदराबाद; हिंदुस्तान शिपयार्ड लि. विशाखापत्तनम।

6.7 नार्दन कोलफील्ड्स लि. सिंगरौली ने सूचित किया है कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है।

6.8 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि., दोनों नई दिल्ली में, ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं।

Highways, Chandigarh; Office of the Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways), Chhattisgarh; Integrated Fisheries Project, Cochin; Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod (District Surat); District Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Fishery Survey of India, Marmagao, Goa; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore; Hyderabad; Jaipur and Thiruvananthapuram; Regional Office of Department of Road Transport and Highways, Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-I), Kanpur; Central Agmark Laboratory, Nagpur; Engineer Liaison Office (Department of Road Transport and Highways), Ranchi; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla; Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; and Chandigarh..

6.3 In all thirty-seven Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have furnished Information out of which seventeen have reported that they are attending the job. These are- Central Warehousing Corporation, National Institute of Immunology, all in New Delhi; Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai Port Trust, all in Mumbai; Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai; Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; National Aluminum Company Limited, Bhubaneswar; Semi-Conductor Laboratory, Near Chandigarh; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Hindustan Salts Limited, Sambhar Salts Limited, all in Jaipur; Nimaligarh Refinery Limited, Golaghat; Uranium Corporation of India Limited, Singhbhum (East); Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam Port Trust, all in Visakhapatnam.

6.4 Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama has informed that they are doing recording, reviewing and weeding out of semi-current records as per ISO Quality Management System Procedural Manual.

6.5 Kolkata Port Trust, Burn Standard Company Limited, all in Kolkata; Bharat Dynamic Limited, Hindustan Fluorocarbons Limited, all in Hyderabad; Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur, have informed that the work is under process.

6.6 The following ten Organizations have forwarded Nil reports:- Indira Gandhi Rastriya Uran Akademi, Rae Bareilly; Tamil Nadu Trade Promotion Organization, Chennai; Rural Electrification Corporation Limited, National Safai Karamcharis Finance and Development Federation, Tribal Cooperation Marketing Development Federation, all in New Delhi and Delhi; Paradip Port Trust, Paradip; Ennore Port Limited, Chennai; National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad; Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam.

6.7 Northern Coalfields Limited, Singrauli has informed it is not required to them.

6.8 The National Small Industries Corporation Limited, National Buildings Construction Corporation Limited, all in New Delhi have sent vague reply.

अभिलेखों का सूचीकरण

अभिलेखों का सूचीकरण किसी भी संगठन की प्रशासनिक दक्षता निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों को समय पर और आवश्यकतानुसार सूचना प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है जो तभी संभव है यदि अभिलेखों में से तुरंत सूचना निकाली जा सके। अभिलेखों से आसानी और तेजी से सूचना प्राप्त करने के लिए अच्छे संदर्भ की ज़रूरत होती है। वार्षिक विभागीय सूचियों को अभिलेखों की श्रेणी 'क' और 'ख' में संकलित करने से इस कार्य में बहुत सहायता मिलती है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने परिपत्र सं. 16-12क/2007 आरएम दिनांक 13 अप्रैल 2007 के ज़रिए सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना देने का अनुरोध किया था। इस काम के बारे में मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोई उत्साहवर्धक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

कुल 113 संगठनों ने सूचना भेजी है। इनमें से 76 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं और 37 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सांविधिक निकाय इत्यादि हैं।

7.1 निम्न अभिलेख सर्जक अभिकरणों ने सूचित किया कि उन्होंने सूचियों का संकलन कर लिया है या संकलन प्रगति पर है। ये हैं:- जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि 1979-1982 अवधि के लिए उनके अभिलेखों की सूचियों का संकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सूचियों का संकलन प्रगति पर है। महाडाकपाल (कर्नाटक मंडल), बंगलोर; (उड़ीसा मंडल), भुवनेश्वर के कार्यालय और विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम सूचियों का संकलन कर रहे हैं।

7.2 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके मंत्रालय में अधिकांशतः कार्यात्मक फाइलिंग प्रणाली अपनाई जाती है।

7.3 निम्न 70 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे वार्षिक सूचियों का संकलन नहीं कर रहे वे ऐसा आवश्यक नहीं समझते और उन्होंने 'शून्य- सूचना भेजी है। ये हैं:- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल (रलवे बोर्ड), पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, योजना आयोग, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, वाणिज्य, डाक, भारतीय मौसम-विज्ञान, प्रकाशन, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, टाउन कन्ट्री एवं योजना संगठन, सभी दिल्ली में; तंबाकू विकास निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सभी चेन्नई में; जूट विकास निदेशालय, जूट आयुक्त का कार्यालय और भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, सभी कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, आयकार अपीलीय न्यायाधिकरण और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सभी मुंबई में; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, केंद्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलोर; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग और टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री, दोनों चण्डीगढ़ में; इंजीनियर संपर्क अधिकारी का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) छत्तीसगढ़; क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय, सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ ऑफ नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, और समेकित

INDEXING OF RECORDS

Administrative efficiency of an organization depends upon the submission of information to the decision-making authorities on time and as per requirement, which can only be done if the information is called out from amongst records quickly. Easy and quick retrieval of information from records requires good reference media, compilation of annual departmental indices of 'A' and 'B' Category of records will go a long way in facilitating this job. National Archives of India requested all the records Creating agencies vide its circular Nos. 16-12A/2007 RM 13 April 2007 to furnish the information on the action taken by them in this regard. No appreciative response has been received from the Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings on this work.

In all 113 organizations have furnished information. Out of these 76 are Ministries/ Departments/ Offices and 37 are Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc.

7.1 The following records creating agencies have informed that they have compiled or compilation of Indices is in progress. These are: as under: - Ministry of Water Resources, New Delhi has intimated that the indices of their records are being compiled for the period 1979-1982. Prime Minister Office, New Delhi has intimated that compilation of Indices is under process. Officers of the chief Post Master General, (Karnataka Circle), Bangalore; (Orissa circle), Bhubaneswar and Visakhapatnam dock Labour Board, Visakhapatnam are compiling the Indices.

7.2 Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi has informed that their Ministry is having mostly functional filing system.

7.3 The following 70 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they are not compiling annual indices, not necessary and sent 'NIL' reports. These are: Ministries of Environment and Forests, Home Affairs, Railways (Railway Board), Shipping, Road Transport and Highways, Planning Commission, Departments of Chemicals and petrochemicals, Commerce, Posts, India Meteorological, Publication, Directorate General of Supplies and Disposals, Indian Council of Agricultural Research and Town and Country Planning Organization all in New Delhi; Directorate of Tobacco Development, Office of the Commissioner of Central Excise, BCG Vaccine Laboratory and Fishery Survey of India all in Chennai; Directorate of the Jute Development, Office of the Jute Commissioner and Government of India Stationery Office all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, Income Tax Appellate Tribunal and Fishery Survey of India all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad; Jaipur and Thiruvananthapuram; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways and Terminal Ballistics Research Laboratory both in Chandigarh; Office of the Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways), Chhattisgarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Central

मात्स्यिकी परियोजना, सभी कोचीन में; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत); जिला संबलपुर (उड़ीसा); और सूरतगढ़ (राजस्थान); केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, गाजियाबाद; पत्तन स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, दोनों मारमागांव, गोआ में; और केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोआ; फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षेत्रीय केंद्र, हिसार (हरियाणा); सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय और नमक आयुक्त का कार्यालय दोनों जयपुर में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, कानपुर; केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री, और भारतीय खान ब्यूरो दोनों नागपुर में; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; इंजीनियर संपर्क कार्यालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), रांची; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, शिमला एवं तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ।

7.4 कुल 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/समितियों/निगमों इत्यादि ने उत्तर दिया है। उनमें से पांच नाम, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि. डिब्रूगढ़; राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. मुंबई; विशाखापत्तन पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम; नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. फरीदाबाद ने सूचित किया है कि कार्य प्रगति पर है।

7.5 सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन पर ये लागू नहीं होता, वे हैं:— राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि., नई दिल्ली; जनजातीय सहकारिता वपणन विकास संघ सब नई दिल्ली और दिल्ली; भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद।

7.6 कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता ने सूचित किया कि यह कार्य शीघ्र ही किया जाएगा।

7.7 मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई; गोआ शिपयार्ड लि. वास्को-डि-गामा ने सूचित किया है कि वे आईएसओ गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रक्रियात्मक मैनुअल के अनुसार अपना काम कर रहे हैं।

7.8 निम्न छब्बीस लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया कि वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। ये हैं: केन्द्रीय भंडागारण निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, ग्रामीण विद्युतिकरण निगम लि., सभी नई दिल्ली में; हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि, बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि, सभी कोलकाता में; चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, एन्नोर पोर्ट लि. सभी चेन्नई में; जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर, सेमी कन्डक्टर लेबोरेट्री, चण्डीगढ़ के निकट, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि., हैदराबाद; हिन्दुस्तान साल्ट्स लि, सांभर साल्ट्स लि., सभी जयपुर में; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि, सिंहभूम (पूर्व), नार्दन कोलफील्ड लि., सिंगरौली, मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि, गोलाघाट; टिहरी हाइड्रो विकास लिगम लि. टिहरी गढ़वाल; टुटिकोरिन पत्तन न्यास, टुटिकोटिन; पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. लखनऊ; इस्पात निगम लि., हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., सभी विशाखापत्तनम में।

Institute of Fisheries of Nautical and Engineering Training and Integrated Fisheries Project all in Cochin; Directorate of Mines Safety, Dhanbad; Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod (District Surat); District Sambal pur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Central Drugs Standard Central Organization, Ghaziabad; Port Health Organizations and Fishery Survey of India both in Marmagao, Goa; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Office of Department of Road Transport and Highways and Office of the Salt Commissioner both in Jaipur; Office of the Commissioner of Central Excise, Kanpur; Central Agmark Laboratory and Indian Bureau of Mines both in Nagpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport And Highways), Ranchi; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bangalore; Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow.

7.4 In all thirty-seven Public Sector Undertakings/Committees/Corporations etc. have responded. Out of which five creating agencies i.e. Brahamaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh; National Institute of Immunology, New Delhi; Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai; Visakhapatnam Port Trust, Vishakapatnam; National Hydroelectric Power Corporation limited, Faridabad have informed that the work is under process.

7.5 Public Sector Undertakings that have intimated that it is not applicable to them are-National Buildings Construction Cooperation limited, New Delhi; Tribal Cooperation Marketing Development Federation, Delhi; Bharat Dynamic Limited, Hyderabad.

7.6 Kolkata Port Trust, Kolkata have informed that the job will be taken up soon.

7.7 Mumbai Port Trust, Mumbai; Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama have informed that they are doing the job as per ISO Quality Management System Procedural Manual.

7.8 The following twenty-six Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have informed that they are not doing their jobs. These are - Central Warehousing Corporation, The National Small Industries Corporation Limited, National Safai Karamcharis Finance and Development Cooperation, Rural Electrification Corporation Limited, all in New Delhi; Hindustan Paper Corporation Limited, Burn Standard Company Limited, all in Kolkata; Chennai Petroleum Corporation Limited, Tamil Nadu Trade Promotion Organization, Ennore Port Trust, all in Chennai; Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Semi-Conductor Laboratory, Near Chandigarh; Hindustan Fluorocarbons Limited, Hyderabad; Hindustan Salts Limited, Sambhar Salts Limited, all in Jaipur; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli; Uranium Corporation of India, Singhbhum (East); Northern Coalfields limited, Singrauli; Mineral Exploration Cooperation Limited, Nagpur; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Tehri-Garhwal; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Paradip Port Trust, Paradip; National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow; Ispat Nigam Limited, Hindustan Shipyard Limited, all in Visakhapatnam.

अध्याय-8

अभिलेखों के प्रतिधारण समय-सूची का संकलन

एक सुव्यवस्थित अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के लिए सुव्यवस्थित अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची की जरूरत होती है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि द्वारा सृजित किए जा रहे विभिन्न अभिलेख समूहों के लिए प्रतिधारण समयावधि निर्धारित की गई हो। वास्तविक कार्यों से संबंधित आधिकारिक उनका कार्य भी करते हुए, इसके अलावा, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (3) और उक्त अधिनियम के तहत बनाई गई लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर ऐसी प्रतिधारण समय-सूची के संशोधन से संशोधित प्रतिधारण समय सूचियों में उनकी प्रतिधारण अवधि के साथ नए विषयों का शामिल होना सुनिश्चित हो पाएगा। ऐसी प्रतिधारण समय-सूचियां उक्त अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके संकलित की जानी चाहिए। कुल मिलाकर 113 अभिलेख सर्जक एजेंसियों से परिपत्र सं. 16.12 क/2007 दिनांक 12 अप्रैल 2007 का उत्तर दिया है जिसमें वर्ष 2006 की मौजूदा रिपोर्ट संकलित करने के संबंध में अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची बनाने की सूचना मांगी गई थी। इनमें से 76 सरकारी संगठनों और 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि हैं। प्राप्त उत्तर का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

8.1 निम्न 24 कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण समय सूची का संकलन किया है ये हैं: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रेल (रेलवे बोर्ड), पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, प्रकाशन विभाग, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और टाउन कन्ट्री एवं योजना संगठन सभी नई दिल्ली में; भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.); टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेट्री, चण्डीगढ़; समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (ज़िला सूरत); केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम।

8.2 ऐसे 49 कार्यालय हैं जिन्होंने अपने अभिलेखों की प्रतिधारण समय सूची संकलित नहीं की है और 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं: प्रकाशन विभाग, भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग दोनों दिल्ली में; तंबाकू विकास निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सभी चेन्नई में; जूट विकास निदेशालय, जूट आयुक्त का कार्यालय दोनों कोलकाता में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सभी मुंबई में; केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलोर; मुख्य महाडाकपाल कार्यालय (कर्नाटक मण्डल), बंगलोर और (उड़ीसा मण्डल), भुवनेश्वर; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, चण्डीगढ़; क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय, केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान और समेकित मात्स्यिकी परियोजना सभी कोचीन में; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा संबलपुर (उड़ीसा) और सूरतगढ़ (राजस्थान); पत्तन स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, दोनों मारमागाँव-गोवा में; केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोआ, फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षेत्रीय केंद्र, हिसार (हरियाणा); सड़क परिवहन एवं

**COMPILATION OF RETENTION
SCHEDULES FOR RECORDS**

A sound records management system requires a well drawn up Records Retention Schedule laying down retention periods for various records groups being created by different Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. while conducting their official business pertaining to substantive functions. Further, revision of such Retention Schedule after the expiry of every fifth years, as required under Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 framed under the said Act, would ensure inclusion of the new subjects along with their retention period within the body of the revised retention schedule. Such Retention Schedules should be compiled in consultation with the National Archives of India under the aforesaid section of the said Act. In all 113 Records creating agencies have furnished information in response to the circular letter No.16-12A/2007 dated 12 April 2007 seeking information on formulation of Records Retention Schedule in connection with compiling the present report for the year 2006 out of which 76 Government organizations and 37 are Public Sector Undertakings etc. Details of the replies received are indicated below: -

8.1 The following 24 Offices have informed that they have compiled Retention Schedule. These are: Ministries of Environment and Forests, Home Affairs, Information and Broadcasting, Railways (Railway Board), Shipping, Road Transport and Highways, Water Resources, Planning Commission and Prime Minister's Office, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Road Transport and Highways, Publication, Directorate General of Supplies and Disposals, Indian Council of Agricultural research and Town Country and Planning organization all in New Delhi; Government of India Stationery Office, Kolkata; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP); Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Integrated Fisheries Project, Cochin; Directorate of Mines Safety, Dhanbad; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (Distt. Surat); Central Drugs Standard Central Organization, Ghaziabad; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Visakhapatnam Dok Labour Board, Visakhapatnam.

8.2 These are 49 organizations have not compiled Retention Schedule of their records and furnished 'Nil' reports. These are: Departments of Publication, India Meteorological; Directorate of Tobacco Development, Office of the Commissioner of Central Excise, Fishery Survey of India all in Chennai; Directorate of the Jute Development, Office of the Jute Commissioner both in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, Income Tax Appellate Tribunal and Fishery Survey of India all in Mumbai; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; Offices of the Chief Post Master General (Karnataka Circle), Bangalore and (Orissa Circle), Bhubaneswar; Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad; Jaipur and Thiruvananthapuram; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways, Chandigarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Central Institute of Fisheries of Nautical and Engineering Training and Integrated Fisheries Project all in Cochin; Directorate of Mines Safety, Dhanbad; Central Cattle Breeding Farms, Chiplima, Sambalpur

राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय और नमक आयुक्त का कार्यालय दोनों जयपुर में; आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; इंजीनियर संपर्क कार्यालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), रांची; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, शिमला एवं तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ।

8.3 निम्न कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनकी अपनी प्रतिधारण समय सूची है, ये हैं; महाडाकपाल का कार्यालय, (उड़ीसा मंडल), भुवनेश्वर एवं बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री, चेन्नई।

8.4 वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची का अनुपालन कर रहे हैं।

8.5 जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विधिक नियमों इत्यादि का संबंध है, सैंतीस संगठनों जिन्होंने इस संबंध में सूचना भेजी है, उनमें से चौदह ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेखों के लिए प्रतिधारण समय-सूची तैयार कर ली है। ये हैं— ग्रामीण विद्युतीकरण निगम; जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ दोनों नई दिल्ली और दिल्ली में; हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., कोलकाता में; चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चेन्नई; हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. एवं सांभर साल्ट्स लि., दोनों जयपुर में; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि. भुवनेश्वर; नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि., फरीदाबाद; गोवा शिपयार्ड लि., वास्को डि-गामा; टुटिकोरिन पत्तन न्यास, टुटिकोटिन; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., इस्पात निगम लि., विशाखापत्तनम पत्तन न्यास सभी विशाखापत्तनम में।

8.6 निम्न चार लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची के संकलन के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है। ये हैं: ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लि. डिब्रूगढ़; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट; जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. लखनऊ।

8.7 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुंबई; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली ने सूचित किया कि वे कंपनी अधिनियम के अनुसार अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची का पालन कर रहे हैं।

8.8 हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि., हैदराबाद; तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइज़ेशन, चेन्नई; बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि., कोलकाता ने सूचित किया है कि अभिलेखों की प्रतिधारण समय-सूची के संकलन का कार्य जल्द ही आरंभ किया जाएगा।

8.9 एन्नोर पोर्ट लि. चेन्नई ने सूचित किया है कि अभिलेखों की प्रतिधारण समय-सूची उन पर लागू नहीं होती है।

(Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Port Health Organizations and Fishery Survey of India both in Marmagoa, Goa; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Office of Department of Road Transport and Highways and Office of the Salt Commissioner both in Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal –I), Kanpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Engineer Liaison Office (Department of Road, Transport And Highways), Ranchi; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bangalore; Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow.

8.3 The following offices have informed that they have their own Retention Schedule. These are: Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar and BCG Vaccine, Chennai.

8.4 Department of Commerce, New Delhi has informed that they are following the Records Retention Schedule issued by Department of Administrative Reforms and Public Grievances, New Delhi.

8.5 As regards Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. are concerned out of thirty-seven Organizations who have furnished information in this regard fourteen have informed that they have prepared Retention Schedule for records. These are- Rural Electrification Corporation Limited, Tribal Cooperation Marketing Development Federation, all in New Delhi and Delhi; Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata Port Trust, all in Kolkata; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Hindustan Salts Limited, Sambhar Salts Limited, all in Jaipur; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Hindustan Shipyard Limited, Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam Port Trust, all in Visakhapatnam.

8.6 The following four Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have informed that they have initiated the action for compilation of records retention schedule, Brahamaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat; Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai; National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow.

8.7 Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai; National Safai Karmacharis Finance and Development Corporation, New Delhi have informed that they are following the Records Retention Schedule as per Companies Act.

8.8 Hindustan Fluorocarbons Limited, Hyderabad; Tamil Nadu Trade Promotion Organization, Chennai; Burn Standard Company Limited, Kolkata have informed that the action towards the compilation of Records Retention Schedule will be taken up soon.

8.9 Ennore Port Limited, Chennai has informed the compilation of Records Retention Schedule is not applicable.

8.10 निम्नलिखित 4 लोक उपक्रमों / वैधानिक निकायों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं: केन्द्रीय भंडारण निगम लि., नई दिल्ली; नार्दन कोल्डफील्ड, सिंधरौली; मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई; भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद।

8.11 नौ संगठनों ने सूचित किया है कि उनके यहां कोई अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची नहीं हैं। ये हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि., राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. सभी नई दिल्ली में; सेमी कन्डक्टर लेबोरेट्री, चण्डीगढ़ के निकट; मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर; पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली; यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सिंहभूम (पूर्व); टिहरी हाइड्रो विकास निगम लि. टिहरी गढ़वाल।

8.10 The following four Undertakings/Statutory Bodies etc. have sent vague reply-Central Warehousing Corporation, New Delhi; Northern Coalfields Limited, Singrauli; Mumbai Port Trust, Mumbai; Bharat Dynamic Limited, Hyderabad.

8.11 Nine Organizations have reported that they have no records retention schedule- National Institute of Immunology, National Buildings Construction Corporation Limited, The National Small Industries Corporation Limited, all in New Delhi; Semi-Conductor Laboratory, Near Chandigarh; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Paradip Port Trust, Paradip; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli; Uranium Corporation of India Limited, Singhbhum (East); Tehri Hydro Development Corporation Limited, Tehri Garhwal.

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा (6) (च) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 7 अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों के लिए अपने वर्गीकृत अभिलेखों को पांच वर्षों में एक बार समीक्षा को अनिवार्य बनाता है ताकि इनकी श्रेणी को कम किया जा सके। इन उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए दिनांक 12 अप्रैल, 2007 को परिपत्र से 16-12.क/2007 आर एम और सं. 16-4क/2007 आर. एम सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को जारी किया गया था। इस संबंध में प्राप्त हुए उत्तर उत्साहवर्धक नहीं हैं क्योंकि केवल 113 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों/वैधानिक निकायों आदि ने उत्तर दिया है। प्राप्त की गई सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया है।

9.1 निम्न मंत्रालयों/कार्यालयों जिन्होंने अपने विवर्गीकृत अभिलेखों को विवर्गीकृत किया है, वे हैं: गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग और डाक विभाग सभी नई दिल्ली में; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, चेन्नई; टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री, चण्डीगढ़; क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय, कोचीन; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम।

9.2 निम्न 65 संगठन जो वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं/जिनके पास वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं या जिन्होंने अस्पष्ट उत्तर दिए हैं, ये हैं:— पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल (रेलवे बोर्ड), पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, प्रकाशन विभाग, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, टाउन कन्ट्री एवं योजना संगठन, सभी दिल्ली में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, तंबाकू विकास निदेशालय और बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री, सभी चेन्नई में; जूट आयुक्त का कार्यालय और भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, सभी कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण सभी मुंबई में; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.), केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान और महा डाकपाल का कार्यालय (कर्नाटक मंडल), बंगलोर और (उड़ीसा मंडल), भुवनेश्वर; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय — बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग चंडीगढ़; इंजीनियर संपर्क अधिकारी का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) छत्तीसगढ़; सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज ऑफ नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और समेकित मात्स्यिकी परियोजना दोनों कोचीन में; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत); चिपलिमा, संबलपुर, (उड़ीसा) और सूरतगढ़ (राजस्थान); केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद; पत्तन स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, दोनों मारमागाँव, गोवा, केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोवा, फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षेत्रीय केंद्र, हिसार (हरियाणा); सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय और नमक आयुक्त का कार्यालय, दोनों जयपुर में; आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; भारतीय खान ब्यूरो एवं केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री दोनों नागपुर में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; इंजीनियर संपर्क कार्यालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), रांची; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय,

DECLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS

De-classification of classified records is one of the important aspects of records management. Section 6(1) (f) of Public Records Act, 1993 and Rule 7 of Public Records Rules, 1997 lay down that all records creating agencies falling within the purview of said Act, shall review their all classified files once in five years with a view to downgrading them. In order to implement these provisions, circular letters No. 16-12A/2007 RM and No. 16-4A/2007 RM dated 12 April 2007 were issued to all records creating agencies. Replies received in this regard are not encouraging as only 113 Ministries/ Department/ Offices/ Public Sector Undertakings statutory Bodies etc. responded. A detailed analysis of the information received is given below.

9.1 The following Office who are de-classify their classified records are: Ministries of Home Affairs, Information and Broadcasting, Planning Commission, Prime Minister's Office, Departments of Chemicals and petrochemicals and Posts all in New Delhi; Fishery Survey of India, Chennai; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour works, Port Blair; Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam.

9.2 The following 65 organizations who are not doing De-classification of classified records/ do not have classified records or given vague replies. These are: Ministries of Environment and Forests, Home Affairs, Railways (Railway Board), Shipping, Road Transport and Highways, Water Resources, Departments of Commerce, India Meteorological, Road Transport & Highways, Publication, Directorate General of Supplies and Disposals, Indian Council of Agricultural Research and Town and Country Planning Organization all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise, Directorate of Tobacco Development and BCG Vaccine Laboratory all in Chennai; Directorate of the Jute Commissioner and Government of India Stationery Office all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, Income Tax Appellate Tribunal and Fishery Survey of India all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and Office of the Post Master General (Karnataka Circle) Bangalore and (Orissa Circle), Bhubaneswar; Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad; Jaipur and Thiruvananthapuram; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways, Chandigarh; Office of the Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways), Chhattisgarh; Central Institute of Fisheries of Nautical and Engineering Training and Integrated Fisheries Project both in Cochin; Directorate of Mines Safety, Dhanbad; Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod (District Surat); Chiplima, Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Central Drugs Standard Central Organization (North Zone), Ghaziabad; Port Health Organizations and Fishery Survey of India both in Marmagao, Goa; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Office of Department of Road Transport and Highways Office of the Salt Commissioner both in Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-I), Kanpur; Indian Bureau of Mines and Central Agmark Laboratory both in Nagpur; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Engineer Liaison Office

अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्टब्लेयर; पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, षिमला एवं तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ।

9.3 इस संबंध में सैंतीस लोक उपक्रमों/निगमों/वैधानिक निकायों आदि से प्राप्त सूचना का विश्लेषण इस प्रकार है। दो संगठनों ने सूचित किया है कि वे फाइलों का विवर्गीकरण कर रहे हैं। एक संगठन ने सूचित किया है कि उनका नया संगठन पांच वर्ष पुराना है इसलिए फाइलों की समीक्षा नहीं करते। आठ संगठनों ने सूचित किया है कि ये उन पर लागू नहीं हैं जबकि 22 संगठनों ने शून्य सूचना भेजी है और जबकि 4 संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं।

9.4 निम्नलिखित दो संगठनों ने सूचित किया कि उनके पास वर्गीकृत अभिलेख हैं और वे विवर्गीकरण का कार्य कर रहे हैं:- ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लि. डिब्रूगढ़; विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम।

9.5 एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई ने सूचित किया है कि वे वर्गीकृत अभिलेखों की समीक्षा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका संगठन आरम्भ हुए पांच वर्ष ही हुए हैं।

9.6 आठ संगठनों की एक अन्य श्रेणी यह महसूस करती है कि यह उन पर लागू नहीं है। ये हैं:- राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, लि., राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि., ग्रामीण विद्युतिकरण निगम, लि., सभी नई दिल्ली में; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट; बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि., कोलकाता; भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद।

9.7 निम्न 22 संगठनों ने शून्य रिपोर्ट भेजी है:- केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली; जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ, दोनों दिल्ली में; मुंबई पत्तन न्यास, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास सभी मुंबई एवं नवी मुंबई में; हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., कोलकाता पत्तन न्यास सभी कोलकाता में; तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. सभी चेन्नई में; हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., सांभर साल्ट्स लि., सभी जयपुर में; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; सेमी कन्डक्टर लेबोरेट्री, चण्डीगढ़ के निकट; हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि., हैदराबाद; पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप; यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सिंहभूम (पूर्व); इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली; गोआ शिपयार्ड लि., वास्को डि-गामा; मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर; नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि., फरीदाबाद; टिहरी हाइड्रो विकास लिगम लि., टिहरी (गढ़वाल); इस्पात निगम लि., विशाखापत्तनम।

9.8 निम्न चार लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं, नार्दन कोलफील्ड लि. सिंगरौली; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ; टुटिकोरिन पत्तन न्यास, टुटिकोरिन।

(Department of Road Transport And Highways), Ranchi; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour works, Port Blair; North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bangalore; Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow.

9.3 The analysis of information received from thirty seven Public Sector Undertakings/Corporations/ Statutory Bodies etc. in this regard is as follows. In all two Organizations have intimated that they are doing the de-classification of files. One organization has informed that they are in existence for five years and so not undertakes review of files. Eight Organizations have reported that it is not applicable to them whereas Nil/No information has been forwarded by twenty-two Organizations while four Organizations have sent vague reply.

9.4 The following two Organizations have informed that they are having classified records and doing the job of de-classification- Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

9.5 Ennore Port Limited, Chennai has informed that the organization has not undertaken review of classified records as it is in existence for five years.

9.6 The other category of eight Organizations who feel that it is not applicable to them are-National Institute of Immunology, National Small Industries Corporation Limited, National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, National Buildings Construction Corporation Limited, Rural Electrification Corporation Limited, all in New Delhi; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat; Burn Standard Company Limited, Kolkata; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.

9.7 The following twenty two Organizations have forwarded nil reports- Central Warehousing Corporation, New Delhi; Tribal Cooperation Marketing Development Federation, Delhi; Mumbai Port Trust, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Jawaharlal Nehru Port Trust, all in Mumbai and Navi Mumbai; Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata Port Trust, all in Kolkata; Tamil Nadu Trade Promotion Organization, Chennai Petroleum Corporation Limited, all in Chennai; Hindustan Salt Limited, Sambhar Salts Limited, all in Jaipur; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Semi-Conductor Laboratory, Near Chandigarh; Hindustan Fluorocarbons Limited, Hyderabad; Paradip Port Trust, Paradip; Uranium Corporation of India Limited, Singhbhum (East); Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli; Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Tehri Garwal; Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam.

9.8 The following four Public Sector Undertakings/Statutory Bodies have sent vague reply-Northern Coalfields Limited, Singrauli; Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam; National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow; Tuticorn Port Trust, Tuticorn.

निष्क्रिय आयोग समितियां

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) के साथ पठित धारा 3(2) के अनुसरण में, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों के अन्तरण से संबंधित सूचना एकत्र करने के प्रयास जारी रखे ताकि उन्हें वैज्ञानिक ढंग से संरक्षित किया जाए और उन्हें अनुसंधान कर्ताओं के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाए। कहना न होगा कि ऐसे निष्क्रिय निकायों के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें निहित सूचना उन परिस्थितियों को समझने के लिए, जिनमें उनका गठन किया गया, और उनके द्वारा किए गए कार्य को जानने के लिए स्रोत-सामग्री का काम करती है। इस संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 12 फरवरी 2007 को परिपत्र सं. 16-5/2007 आर एम और दिनांक 12 अप्रैल 2007 को सं. 16-12 क/2007 आर एम जारी किये। केवल 113 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि ने सूचना भेजी है। इनमें से 76 सरकारी संगठन हैं और 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है।

10.1 जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों की सूचना दी है लेकिन इन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थान्तरित करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

10.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों इत्यादि ने शून्य रिपोर्ट भेजी है या ये उन पर लागू नहीं हैं। ये हैं:- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल (रेलवे बोर्ड), पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, वाणिज्य विभाग, भारतीय मौसम-विज्ञान, डाक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और टाउन एन्ड कन्ट्री योजना संगठन सभी नई दिल्ली में तंबाकू विकास निदेशालय, बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सभी चेन्नई में; जूट विकास निदेशालय, जूट आयुक्त का कार्यालय और भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, सभी कोलकाता में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकारी स्वास्थ्य योजना, शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, आयकार अपीलीय न्यायाधिकरण, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सभी मुंबई में; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.), केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलोर; महा डाकपाल का कार्यालय (कॅनॉटक मण्डल) बंगलोर एवं (उड़ीसा मण्डल), भुवनेश्वर; अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग एवं टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री, चण्डीगढ़; इंजीनियर संपर्क अधिकारी का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) छत्तीसगढ़; सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज ऑफ नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय और समेकित मात्स्यिकी परियोजना, सभी कोचीन में; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय - बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत); जिला संबलपुर, (उड़ीसा) और सूरतगढ़ (राजस्थान); केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद; पत्तन स्वास्थ्य संगठन एवं भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण दोनों मारमागांव, गोवा; केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोवा; फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षेत्रीय केंद्र, हिसार (हरियाणा); सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय और नमक आयुक्त का कार्यालय, दोनों जयपुर में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, कानपुर; भारतीय खान ब्यूरो एवं केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री दोनों नागपुर में; मुख्य इंजीनियर

DEFUNCT COMMISSIONS/ COMMITTEES

In pursuance of section 3(2) (n) to be read with section 6(1) (I) of Public Records Act, 1993, National Archives of India continued its efforts to gather information in respect of transferring of records of defunct bodies with a view to preserve them in a scientific manner and to make them available for consultation to the researchers. Needless to mention here that the records of such defunct bodies are very important as information contained therein will be source material for understanding the circumstances under which these were set up and work accomplished by them. To collect information in this regard, National Archives of India issued circular letters No. 16-5/2007 RM dated 12 February 2007 and No.16-12A/ 2007 RM dated 12 April 2007 to all records creating agencies. In all 113 Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. have furnished information. Out of these 76 are Government organizations and 37 are Public Sector Undertakings. Detailed analysis of information received is indicated below.

10.1 Ministry of Water Resources, New Delhi has informed that the records of defunct bodies but they have not proposed to transfer to the National Archives of India.

10.2 The following Ministries/ Departments/ Offices etc have give 'NIL' report or not applicable to them. These are: Ministries of Environment and Forests, Home Affairs, Railways (Railway Board), Shipping, Road Transport and Highways, Planning Commission, Prime Minister's Office, Departments of Chemicals and petrochemicals, Commerce, India Meteorological, Posts, Road Transport and Highways, Publication, Directorate General of Supplies and Disposals, Indian Council of Agricultural Research and Town and Country Planning Organization all in New Delhi; Directorate of Tobacco Development, BCG Vaccine Laboratory and Fishery Survey of India all in Chennai; Directorate of the Jute Development, Office of the Jute Commissioner and Government of India Stationery Office all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, Income Tax Appellate Tribunal and Fishery Survey of India all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; Office of the Chief Post Master General (Karnataka Circle) Bangalore and (Orissa Circle), Bhubaneswar; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways and Terminal Ballistics Research Laboratory both in Chandigarh; Office of the Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways), Chhattisgarh; Central Institute of Fisheries of Nautical and Engineering Training and Office of the Regional Labour Commissioner (Central) and Integrated Fisheries Project all in Cochin; Regional Office for Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Thiruvananthapuram, Directorate of Mines Safety, Dhanbad; Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod (District Surat); District Sambal pur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Central Drugs Standard Control Organization (North Zone), Ghaziabad; Port Health Organizations and Fishery Survey of India both in Marmagao, Goa; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Office of Department of Road Transport and Highways and Office of the Salt Commissioner both in Jaipur; Office of the Commissioner of Central Excise, Kanpur; Indian Bureau of Mines and Central Agmark Laboratory both in Nagpur; Office of the Chief Engineer

और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; इंजीनियर संपर्क कार्यालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), रांची; पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, शिमला एवं तिरुवनंतपुरम। क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ।

10.3 इस संबंध में कुल 37 लोक उपक्रमों/समितियों/निगमों आदि ने उत्तर दिया जिनमें से 29 ने 'शून्य' सूचना भेजी, दो ने अस्पष्ट उत्तर भेजे जबकि 6 संगठनों ने सूचित किया कि ये उन पर लागू नहीं होता।

10.4 जिन 29 संगठनों ने 'शून्य' सूचना भेजी है, वे इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम; ग्रामीण विद्युतिकरण निगम, सभी नई दिल्ली में; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि, मुंबई पत्तन न्यास, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास सभी मुंबई एवं नवी मुंबई; हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि, कोलकाता पत्तन न्यास, सभी कोलकाता में; तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., एन्नोर पोर्ट लि. सभी चेन्नई में; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि. , भुवनेश्वर, सेमी कन्डक्टर लेबोरेट्री, चण्डीगढ़ के निकट, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. डिब्रूगढ़; नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. फरीदाबाद; हिंदुस्तान साल्ट्स लि., सांभर साल्ट्स लि., सभी जयपुर में; हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि., हैदराबाद; पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली; नार्दन कोलफील्ड लि. सिंगरौली; मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. , गोलाघाट; गोवा शिपयार्ड लि. वास्को डि-गामा; हिंदुस्तान शिपयार्ड लि., इस्पात निगम लि., विशाखापत्तनम पत्तन न्यास सभी विशाखापत्तनम में।

10.5 निम्नलिखित संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं— भारत डायनैमिक्स लि0, हैदराबाद; टुटिकोरिन पत्तन न्यास, टुटिकोरिन।

10.6 छह संगठनों ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता — राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सिंहभूम (पूर्व); टिहरी हाइड्रो विकास निगम लि. टिहरी गढ़वाल; राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि, नई दिल्ली; जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ, दिल्ली; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ।

and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Engineer Liaison Office (Department of Road Transport And Highways), Ranchi; North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bangalore; Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow.

10.3 In all thirty-seven Public Sector Undertakings/Committees/Corporations etc. responded in this regard. Out of which twenty-nine have furnished Nil information, two have sent vague reply, whereas six Organizations have intimated that it is not applicable to them.

10.4 The following twenty-nine Organizations have forwarded Nil information- The National Small Industries Corporation Limited, National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, Central Warehousing Corporation, Rural Electrification Corporation Limited, all in New Delhi; Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai Port Trust, Jawaharlal Nehru Port Trust, all in Mumbai and Navi Mumbai; Hindustan Paper Corporation Limited, Burn Standard Company Limited, Kolkata Port Trust, all in Kolkata; Tamil Nadu Trade Promotion Organization, Chennai Petroleum Corporation Limited, Ennore Port Limited, all in Chennai; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Semi-Conductor Laboratory, Near Chandigarh; Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Hindustan Salts Limited, Sambhar Salts Limited, all in Jaipur; Hindustan Fluorocarbons Limited, Hyderabad; Paradip Port Trust, Paradip; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli; Northern Coalfields Limited, Singrauli; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat; Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama; Hindustan Shipyard Limited, Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam Port Trust, all in Visakhapatnam.

10.5 The following Organizations have forwarded vague replies-Bharat Dynamic Limited, Hyderabad; Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

10.6 Six Organizations have informed that it is not applicable to them-National Institute of Immunology, New Delhi; Uranium Corporation of India Limited, Singhbhum (East); Tehri Hydro Development Corporation Limited, Tehri-Garwal; National Buildings Construction Corporation Limited, New Delhi; Tribal Cooperation Marketing Development Federation, Delhi; National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow.

अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गई कार्यवाई

राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के तहत निर्धारित एक सांविधिक अपेक्षा है क्योंकि इससे अनावश्यक अभिलेखों का नष्ट करके जरूरी शेल्फ स्थान की बचत करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, इस प्रकार बना शेल्फ स्थान नए अभिलेखों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर स्थायी स्वरूप के अभिलेखों को अभिलेखागार में स्थायी संरक्षण के लिए अंतरित किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परिपत्र सं. 16-12क/2007 आर एम दिनांक 12 अप्रैल, 2007 जारी किया गया था ताकि इस संबंध में उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाई का पता लगाया जा सके। उपर्युक्त परिपत्र के उत्तर में 76 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना भेजी है। ब्यौरा निम्नानुसार है :-

11.1 निम्न 26 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों जिन्होंने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन कर रहे हैं, ये हैं:- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य विभाग, डाक विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय सभी नई दिल्ली में; तंबाकू विकास निदेशालय, और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, चेन्नई; जूट आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय दोनों कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, मुंबई; मुख्य माहाडाकपाल का कार्यालय (कॅनॉटक मण्डल), बंगलोर और (उड़ीसा मण्डल) भुवनेश्वर; टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री, चण्डीगढ़; क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय, कोचीन; केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मारमागांव, गोवा; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम।

11.2 निम्न 50 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं:- भारतीय मौसम-विज्ञान, प्रकाशन विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा टाउन एन्ड कन्ट्री एवं योजना संगठन सभी दिल्ली में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण सभी चेन्नई में; जूट विकास निदेशालय, कोलकाता; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण एवं भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण सभी मुंबई में; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.); केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलोर; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय - बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग चण्डीगढ़; इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) छत्तीसगढ़; सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ ऑफ नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एवं समेकित मात्स्यिकी परियोजना दोनों कोचीन में; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत); चिपलिमा, संबलपुर, (उड़ीसा) और सूरतगढ़ (राजस्थान); भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मारमागांव, गोवा; केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय,

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Appraisal of Non-current records of the Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings in collaboration with the National Archives of India, is a statutory requirement as stipulated under Section 6(1)(c) of the Public Records Act, 1993 as it helps in saving precious shelf space by destroying records of ephemeral value. Further, on the one hand shelf space thus created can be utilized for storing fresh accrual of records, on the other hand records of permanent nature could be transferred to the Archival repository for permanent preservation, keeping in view the above said provision, a circular letter No. 16-12A/ 2007 RM dated 12 April 2007 was issued to all Records Creating Agencies so as to ascertain the extent of action initiated by them in this regard. In response to the above said circular 76 Ministries/ Departments/ Office and 37 Public Sector Undertakings have furnished information. Details are as under: -

11.1 The following 26 Ministries/ Departments/ Offices who have informed that they are conducting appraisal of Non-current records in consultation with National Archives of India. These are:- Ministries of Environment and Forests, Home Affairs, Information and Broadcasting, Shipping Road Transport and Highways, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Prime Minister's Office, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Posts, Road Transport and Highways, Directorate General of Supplies and Disposals all in New Delhi; Directorate of Tobacco Development and Fishery Survey of India, Chennai; Office of the Jute Commissioner Government of India Stationery Office both in Kolkata; Offices of the Commissioner of Central Excise, Mumbai; Office of the Post Master General (Karnataka Circle), Bangalore and (Orissa Circle), Bhubaneswar; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin; Central Drugs Standard Central Organization (North Zone), Ghaziabad; Port Health Organization, Marmagao, Goa; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam.

11.2 These following 50 Departments/ Offices have sent 'Nil' reports. These are: Departments of India Meteorological, Publication, Indian Council of Agricultural Research and Town and Country Planning Organization all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise, BCG Vaccine Laboratory and Fishery Survey of India all in Chennai; Directorate of the Jute Development, Kolkata; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, Income Tax Appellate Tribunal and Fishery Survey of India all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Ananatapur (AP); Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad; Jaipur and Thiruvananthapuram; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways, Chandigarh; Office of the Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways), Chattishgarh; Central Institute of Fisheries of Nautical and Engineering Training and Integrated Fisheries Project both in Cochin; Directorate of Mines Safety, Dhanbad; Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod (District Surat); Chiplima, Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Fishery Survey of India, Marmagao, Goa; Office of the Commissioner of Customs

पणजी, गोवा; फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षेत्रीय केंद्र, हिसार (हरियाणा); सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (जयपुर); आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; भारतीय खान ब्यूरो एवं केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री दोनों नागपुर में; मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर एवं इंजीनियर संपर्क कार्यालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), रांची; पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, शिमला एवं तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ।

11.3 कुल सैंतीस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने सूचना भेजी है जिनमें से दो संगठनों ने अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में सकारात्मक सूचना दी है। ये हैं— हिन्दुस्तान पेट्रोल कारपोरेशन लि० एवं कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता।

11.4 निम्न 25 लोक उपक्रमों ने शून्य सूचना भेजी है :- केन्द्रीय भंडागारण निगम, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., ग्रामीण विद्युतिकरण निगम, सभी नई दिल्ली में; मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई; बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि, कोलकाता; तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. सभी चेन्नई में; सेमी कन्डक्टर लेबोरेट्री, चण्डीगढ़ के निकट, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. डिब्रूगढ़; नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. फरीदाबाद; हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., सांभर साल्ट्स लि., सभी जयपुर में; हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि., हैदराबाद; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली; टिहरी हाइड्रो विकास निगम लि. टिहरी गढ़वाल; गोआ शिपयार्ड लि. वास्को डि-गामा; पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप; भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद; यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सिंहभूम (पूर्व); मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर; राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम पत्तन न्यास सभी विशाखापत्तनम में।

11.5 निम्न 5 संगठनों ने सूचित किया है कि उनका संगठन 25 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। इस लिए, अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन का उपबंध उन पर लागू नहीं होता — राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, और जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ, दोनों नई दिल्ली और दिल्ली में; एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट; नार्दन कोलफील्ड लि. सिंगरौली।

11.6 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि०, लखनऊ ने सूचित किया है कि कार्रवाई की जा रही है।

11.7 निम्न 4 संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं: नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चेन्नई; राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि., नई दिल्ली; टुटिकोरिन पत्तन न्यास, टुटिकोटिन।

and Central Excise, Panaji-Goa; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Office of Department of Road Transport and Highways, Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-I), Kanpur; Indian Bureau of Mines and Central Agmark Laboratory both in Nagpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur and Engineer Liaison Office (Department of Road Transport And Highways), Ranchi; North Eastern, Regional Office, Shillong; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bangalore; Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow.

11.3 In all thirty-seven Public Sector Undertakings/Statutory Bodies have furnished the information out of which two Organizations have furnished positive information about appraisal of non-current records. These are-Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata Port Trust, all in Kolkata.

11.4 The following twenty-five Public Sector Undertakings have sent Nil information- Central Warehousing Corporation, National Institute of Immunology, The National Small Industries Corporation Limited, Rural Electrification Corporation Limited, all in New Delhi; Mumbai Port Trust, Mumbai, Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai; Burn Standard Company Limited, Kolkata; Tamil Nadu Trade Promotion Organization, Hindustan Petroleum Corporation Limited, all in Chennai; Semi-Conductor Laboratory, Near Chandigarh; Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh; Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Hindustan Salts Limited, Sambhar Salts Limited, all in Jaipur; Hindustan Fluorocarbons Limited, Hyderabad; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareilly; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Tehri-Garwal; Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama; Paradip Port Trust, Paradip; Bharat Dynamic Limited, Hyderabad; Uranium Corporation of India Limited, Singhbhum (East); Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; National Ispat Nigam Limited, Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam Port Trust, all in Visakhapatnam.

11.5 The following five Organizations have reported that they are not twenty five old yet, therefore, the provision of appraisal of non-current records is not applicable to them- National Safai Karamcharis Finance and development Corporation, Tribal Cooperation Marketing Development Federation, all in New Delhi and Delhi; Ennore Port Limited, Chennai; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat; Northern Coalfields Limited, Singrauli.

11.6 National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow has reported that their action is under progress.

11.7 The following four Organizations have forwarded vague replies-National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; National Buildings Construction Corporation Limited, New Delhi; Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

संगठनात्मक इतिहास

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपना संगठनात्मक इतिहास संकलित करना चाहिए क्योंकि यह वर्षों से सृजित अभिलेखों का स्वरूप समझने के लिए आवश्यक साधन है। इस लेख में उसकी स्थापना, कार्य, विभिन्न स्कंधों प्रभागों इत्यादि के विकास के बारे में सूचना होनी चाहिए। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को परिपत्र सं. 16-2/2007 आर एम दिनांक 8 फरवरी 2007 जारी किया जिसमें उनसे उनके संगठनात्मक इतिहास को संकलित करने के लिए उनके द्वारा सन् 2006 में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि से प्राप्त उत्तर नीचे सार में दिया गया है।

12.1 निम्न 24 कार्यालयों ने सूचित किया कि उनके संगठनों का इतिहास संकलित नहीं किया गया है। ये हैं: गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रेल (रेलवे बोर्ड), पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य विभाग, भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग, प्रकाशन विभाग, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय और टाउन एन्ड कन्ट्री एवं योजना संगठन - सभी दिल्ली में; जूट विकास निदेशालय, जूट आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय दोनों कोलकाता में; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.); केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलोर; टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री, चण्डीगढ़; समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मारमागांव, गोवा; केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोवा; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।

12.2 ऐसे 47 कार्यालय, जिन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन नहीं किया है वे हैं:- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, तंबाकू विकास निदेशालय एवं भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री सभी चेन्नई में; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण एवं भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण सभी मुंबई में; मुख्य महाडाकपाल कार्यालय (कर्नाटक मण्डल), बंगलोर और (उड़ीसा मण्डल) भुवनेश्वर; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय - बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और तिरुवनंतपुरम; अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग चंडीगढ़; इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग) छत्तीसगढ़; क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय एवं सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज ऑफ नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, दोनों कोचीन में; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत); चिपलिमा, संबलपुर, (उड़ीसा) और सूरतगढ़ (राजस्थान); भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मारमागांव, गोवा; केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोवा; फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षेत्रीय केंद्र, हिसार (हरियाणा); सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर;

ORGANISTIONAL HISTORY

Section 6 (1)(I) of the Public Records Act, 1993 stipulates that each records creating agency shall compile its organizational History, as it is an essential tool for having proper appreciation of the nature of records generated by it over the years. This writ up should include the information about its setting up, functions, growth of different wings, division's etc. National Archives of India accordingly issued circular letter No. 16-2/ 2007 RM dated 8 February 2007 to all Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. requesting them to furnish the information in regard to the action taken by them during the year 2006 for compiling their organizational Histories. Response received from Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings etc. is summarized below:-

12.1 The following 24 offices have informed that they have compiled organizational histories. These are: - Ministries of Home Affairs, Information and Broadcasting, Railways (Railway Board), Shipping, Road Transport and Highways, Water Resources, Planning Commission, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, India Meteorological, Road Transport and Highways, Publication, Directorate General of Supplies and Disposals and Town Country and Planning organization all in New Delhi; Directorate of Jute Development and Government of India Stationery both in Kolkata; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP); Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Integrated Fisheries Project, Cochin; Directorate of Mines Safety, Dhanbad; Central Drugs Standard Control Organization(North Zone), Ghaziabad; Port Health Organization, Marmagao, Goa; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Indian Bureau of Mines, Nagpur.

12.2 These are 47 Offices, who have not compiled their Organizational Histories are: Indian Council of Agricultural Research, New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise, Directorate of Tobacco Development and Fishery Survey of India, BCG Vaccine all in Chennai; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Office of the Commissioner of Central Excise, Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, Income Tax Appellate Tribunal and Fishery Survey of India all in Mumbai; Offices of the Chief Post Master General (Karnataka Circle), Bangalore and (Orissa Circle), Bhubaneswar; Regional Offices for Health and Family Welfare, Bangalore, Hyderabad; Jaipur and Thiruvananthapuram; Office of the Superintending Engineer of Department of Road Transport and Highways, Chandigarh; Office of the Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways) Chhattisgarh; Office of the Regional Labour Commission(Central) and Central Institute of Fisheries of Nautical and Engineering Training both in Cochin; Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod (District Surat); Chiplima, District Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Fishery Survey of India, Marmagao, Goa; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana); Regional Office of Department of Road Transport and Highways, Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal -I), Kanpur; Central Agmark Laboratory, Nagpur; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Engineer Liaison Office (Department of Road Transport And Highways), Ranchi; North Eastern, Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong,

आयुक्त आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर; केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री, नागपुर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; इंजीनियर संपर्क कार्यालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), रांची; पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, शिमला एवं तिरुवनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ।

12.3 ऐसे संगठन हैं जिन्होंने सूचित किया है कि उनके संगठनात्मक इतिहास के संकलन का कार्य चल रहा है। ये हैं— पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों दिल्ली में; जूट आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता और मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर।

12.4 डाक विभाग, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके विभाग का स्थापना प्रभाग इस विषय से संबंधित कार्य करता है।

12.5 निम्नलिखित बाईस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/समितियों/निगमों/आयोगों ने अपने संगठनात्मक इतिहास की प्रतियां भेजी हैं— राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, सभी नई दिल्ली में; प्रमुख पत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण, मुंबई पत्तन न्यास, भारतीय नौवहन निगम लि, सभी मुंबई में; भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान एसोसिएशन, थाणे, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई; एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई; ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि., डिब्रूगढ़; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मुख्यालय), इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, हैदराबाद; गोआ शिपयार्ड लि. वास्को डि-गामा; मारमागांव पत्तन न्यास, गोवा, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इन्दौर; नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. फरीदाबाद; पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप; टुटिकोरिन पत्तन न्यास, टुटिकोटिन; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट; कोचिन पत्तन न्यास, कोचिन; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., और विशाखापत्तनम पत्तन न्यास दोनों विशाखापत्तनम में, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बड़ोदरा।

12.6 ऐसे 6 संगठन हैं जिन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन कर लिया है। ये इस प्रकार हैं :— इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली; केन्द्रीय भंडागारण निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, सभी नई दिल्ली में; मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुंबई।

12.7 तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई; कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता, इस्पात निगम लि., विशाखापत्तनम ने सूचित किया है कि उनके संगठनात्मक इतिहास के संकलन का कार्य प्रगति पर है।

12.8 नार्दन कोलफील्ड लि. सिंगरौली; ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन लि., राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि., नई दिल्ली में, ने सूचित किया कि ये उपबंध उन पर लागू नहीं होते हैं।

12.9 संगठनों का एक अन्य समूह है जिन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास के संकलन के संबंध में 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं— जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ, दिल्ली; हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि. सभी कोलकाता में; चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चेन्नई; नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; सेमी कन्डक्टर लेबोरेट्री, चण्डीगढ़ के निकट; हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि., हैदराबाद; हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., सांभर साल्ट्स लि. सभी जयपुर में; यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सिंहभूम (पूर्व); टिहरी हाइड्रो विकास निगम लि., टिहरी गढ़वाल; राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. लखनऊ।

12.10 निम्न 2 संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं। ये हैं: राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान नई दिल्ली; भारत डायनैमिक्स लि. हैदराबाद।

Visakhapatnam dock Labour Board, Visakhapatnam. Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bangalore; Bhopal; Guwahati; Patna; Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow.

12.3 These are organization who have informed that the compilation of their organizational history is in progress. These are: Ministry of Environment and Forests and Prime Minister's Office, Office of the Jute Commissioner, Kolkata and office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour works, Port Blair.

12.4 Department of Posts, New Delhi has informed that Establishment Division of their Department is concerned with the subject.

12.5 The following twenty-two Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies/ Committees/ Corporations/ Commissioner, have furnished copies of their organizational histories- National Water Development Agency, Moraji Desai National Institute of Yoga, all in New Delhi; Tariff Authority for Major Ports, Mumbai Port Trust, The Shipping Corporation of India Limited, all in Mumbai; Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane, Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai; Ennore Port Limited, Chennai; Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh; Upper Yamuna River Board (Head Quarters in National Capital Region), Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad; Goa Shipyard Limited, Vaco-Da-Gama; Mormugao Port Trust, Goa, Narmada Control Authority, Indore; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Paradip Port Trust, Paradip; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat; Cochin Port Trust, Cochin; Hindustan Shipyard Limited, and Visakhapatnam Port Trust, both in Visakhapatnam; Sardar Sarover Construction Advisory Committee, Vadodara.

12.6 There are six Organizations who have informed that they have compiled their organizational histories- Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli; Central Warehousing Corporation, The National Small Industries Corporation Limited, National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, all in New Delhi; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai.

12.7 Tamil Nadu Trade Promotion Organization, Chennai; Kolkata Port Trust, Kolkata; Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam have informed that the compilation of their organizational history is in progress.

12.8 Northern Coalfields Limited, Singrauli; Rural Electrification Corporation Limited, National Buildings Construction Corporation Limited, all in New Delhi have intimated that this provision is not applicable to them.

12.9 There is another group of Organizations who have sent Nil information regarding compilation of their organizational histories. These are-, Tribal Cooperation Marketing Development Federation, Delhi; Hindustan Paper Corporation Limited, Burn Standard Company Limited, all in. Kolkata; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; National Aluminum Company Limited, Bhubaneswar; Semi-Conductor Laboratory, Near Chandigarh; Hindustan Fluorocarbons Limited, Hyderabad; Hindustan Salts Limited, Sambhar Salts Limited, all in Jaipur; Uranium Corporation of India Limited, Singhbhum (East); Tehri Hydro Development Corporation Limited, Tehri-Garwal; National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow.

12.10 The following two Organizations have sent vague replies. These are-National Institute of Immunology, New Delhi; Bharat Dynamic Limited, Hyderabad.

‘क’ श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिलिमिंग

अभिलेख सर्जक एजेंसियों की अभिरक्षा में रखे “क” श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिलिमिंग के कार्य में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों को परिपत्र सं. 16-6/2007 आर एम दिनांक 12 फरवरी 2007 जारी किया जिसमें उनसे यह मामला उनके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों और उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया गया था ताकि वे इस विभाग को अपेक्षित सूचना भेज सकें। संदर्भाधीन अवधि के दौरान कुल 16 संगठनों ने सूचना भेजी है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

13.1 प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके कार्यालय में 115 फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोफिलिमिंग के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट किया जाना है। कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता ने सूचित किया है कि उनके पास अनेक रिपोर्टें और अभिलेख जैसे न्यासियों की बैठकों की कार्यवाहियां, भू-संपत्ति के हकदारी विलेख, नदियों के पुराने चार्ट और अनेक लीज करार तथा संविदाएं हैं जिन्हें प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए स्थायी रूप से संरक्षित किया जाना जरूरी है और इसलिए उनकी माइक्रोफिलिमिंग की जानी चाहिए। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उन्हें उन अभिलेखों की संख्या बताने का अनुरोध किया है जो 25 वर्ष से कम पुराने हैं ताकि आगे आवश्यक कार्रवाही की जा सके।

13.2 जल संसाधन मंत्रालय ने अपने अधीन सभी संगठनों को संबोधित पत्र प्रति अग्रेषित की है जिनमें क श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिलिमिंग के संबंध में सूचना सीधे राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, साथ ही इसकी सूचना मंत्रालय को भी देने को कहा है ताकि राष्ट्रीय अभिलेखागार उनकी माइक्रोफिलिमिंग के लिए कार्यक्रम तय कर सके।

13.3 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने “शून्य सूचना भेजी है। ये हैं- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, योजना आयोग, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, राष्ट्रीय जल विकास नीति, सभी नई दिल्ली में, सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी और एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, टम्बरम दोनों चेन्नई में तथा मुख्य इंजीनियर का कार्यालय, अण्डमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर।

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

To accelerate the work of Microfilming of 'A' Category records lying in the custody of records creating agencies, the National Archives of India issued a circular letter No. 16-6/ 2007 RM dated 12 February 2007 to all Ministries/ Departments/ Offices of the Government of India with the request to bring the matter to the knowledge of their Attached/ Subordinate Offices and Public Sector Undertakings which are functioning under their control as this would enable them to furnish the requisite information to this Department. During the period under report, in all 16 organizations have furnished information, details of which are as under: -

13.1 Prime Minister's Office, New Delhi has informed that their office is having 115 files, which are to be identified for microfilming purpose. Kolkata Port Trust, Kolkata has informed that they have a number of reports and records like proceedings of Trustees meetings, title deed of Land Properties, old river charts and are number of lease agreements and contracts which require permanent preservation for administrative purpose and as such should be microfilmed. National Archives of India has requested them to intimate their quantum of records, which is less than 25 years old for taking further necessary action.

13.2 Ministry of Water Resources, New Delhi has forwarded a copy of letter addressed to all organizations under the Ministry to furnish due information in respect of microfilming of 'A' Category records directly to NAI. Under intimation to the Ministry to enable NAI to chalk out a programme to undertook their Microfilming.

13.3 The following Ministries/ Department/ Offices and PSUs have furnished 'NIL' information. These are: - Ministries of Environment and Forests, Information and Broadcasting, Departments of Agriculture and Cooperation, Commerce, Industrial Policy and Promotion, Road Transport and Highways, Secondary and Higher Education, Planning Commission, Directorate General of Supplies and Disposals, National Water Development Policy all in New Delhi: Central Institute of Plastics Engineering and Technology and MEPZ special Economic Zone, Tambaram, both in Chennai and Office of the Chief Engineer, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair.

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) ख के साथ पठित लोक अधिनियम नियमावली 1997 के विस्तारित नियम 5 के अनुसार अभिलेखागार महानिदेशक को मूल्यांकन करने के लिए और स्थायी प्रकृति के जमा किए गए अभिलेख जो 25 वर्ष से पुराने हैं और अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे हुए हैं को स्वीकार करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इसी प्रकार अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) (ग) के तहत प्रत्येक रिकार्ड ऑफिसर को 25 वर्ष पुराने अभिलेखों का मूल्यांकन राष्ट्रीय अभिलेखागार की परामर्श से करके स्थायी महत्व के अभिलेखों की छटाई करके राष्ट्रीय अभिलेखागार में अंतरित किया जाना चाहिए।

14.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कुल 20,763 फाइलों को मूल्यांकित किया। इनमें से 11,406 फाइलों का प्रातिधारण के लिए अनुशासित किया गया और 9,357 फाइलों को नष्ट करने को अनुशासित किया गया। इस प्रकार अभिलेखों के रख रखाव के लिए प्रतिवर्ष 9,357 रुपयों की बचत हुई।

14.2 जिन संगठनों के अभिलेखों को राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकित किया गया, इस प्रकार है: भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (1954-1981), गृह मंत्रालय (1972-80), विधि एवं न्याय (1975-77), रेल (रेलवे बोर्ड) (1960-81), पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (1962-73) और जल संसाधन मंत्रालय (1955-81); वाणिज्य विभाग (1945-81) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय (1961-81), भुगतान आयुक्त (निष्क्रिय निकाय) (वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग), (1983-1997), केन्द्रीय मॉनीटरिंग (निष्क्रिय निकाय) (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (1940-2005) और बेस हॉस्पिटल, दिल्ली छावनी (पीओडब्ल्यू), ऑपरेशन विजय (1999) सभी नई दिल्ली में।

14.3 इसके अलावा अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने भी 2,703 फाइलों का मूल्यांकन किया। इनमें से 306 को प्रातिधारण के लिए और 2397 फाइलों को नष्ट करने के लिए अनुशासित किया गया। जिस कार्यालय के अभिलेखों को मूल्यांकित किया गया वो है:- लोह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय कोलकोता (1943-1995)

APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Under Section 3(2) of the Public Record Act, 1993 with the elaborate Rule 5 of the Public Records Rules, 1997, the Director General of Archives has been authorized to undertake the appraisal and also accept for deposit records of permanent nature. Similarly Section 6 (1)(c) of the Public Records Act, 1993 also made the Departmental Records Officer responsible for appraisal of Public Records, which are more than twenty-five years' old in consultation with National Archives of India with a view to identifying the records of permanent value for subsequent transfer to National Archives of India for scientific preservation.

14.1 During the period under report, the National Archives of India appraised 20,763 non-current records. Out of these 11,406 was recommended for permanent retention and 9,357 for destruction. This resulting in saving Rs. 9,357/- Per annum on the upkeep of records.

14.2 The organizations whose records were appraised by the officers of National Archives of India are: Ministries of Heavy Industries and Public Enterprises (1954-1981), Home Affairs (1972-1980), Law and Justice (1975-1977), Railways (Railway Board) (1960-1981), Shipping, Road Transport and Highways (1962-1973) and Water Resources (1955-1981), Department of Commerce (1945-1981), Office of the Comptroller and Auditor General of India (1961-1981), Office of the Commissioner of Payment (Defunct Bodies) (Ministry of Mines) (1985-1988), Finance Commission (Defunct Body) (Department of Expenditure of Ministry of Finance) (1983-1997), Central Monitoring (Defunct Bodies) (Ministry of Information and Broadcasting (1940-2005) and Base Hospital, Delhi Cantt. (POW), Operation Vijay (1999) all in New Delhi.

14.3 Further, Record Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar had also appraised 2,703 files. Out of these 306 files were recommended for retention and 2397 files for destruction. The organization whose records were appraised is:- Office of the Development Commissioner of Iron and Steel, Kolkata (1943-1995).

संदर्भ माध्यम

संदर्भ माध्यम एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रशासनिक साधन है जिसे प्रत्येक संगठनों द्वारा अपनाए जाने की जरूरत है। तदनुसार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के धारा 3(2)(ड) में निर्धारित किए अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वस्तु-सूची, संसूची, तालिका के रूप में अपनी अभिरक्षा में रखे अभिलेखों का उपयुक्त संदर्भ माध्यम तैयार करने के प्रयास जारी रखे ताकि अनुसंधान कर्ताओं और प्रशासकों के लिए तत्काल सूचना प्राप्त की जा सके।

15.1 गृह विभाग की 187 फाइलों की विषय सूची, मेडिकल क (जनवरी 1918 से अगस्त 1919) तैयार की गई।

15.2 (क) "अभिलेखों के संदर्भ माध्यम का कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम" के तहत, कोमैट टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लि0, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित शृंखला के अभिलेखों की 68, 280 फाइलों की डाटा प्रविष्टि की गई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/विभाग (1946-1978), संचार एवं प्रसारण मंत्रालय (1946-1976), सूचना और प्रसारण मंत्रालय (1942-1947) जल भूतल परिवहन मंत्रालय (1925-1978) मंत्रालय उद्योग विभाग एवं श्रम विभाग (1923-1937) तथा डाक एवं तार विभाग (1920-1975), राष्ट्रपति सचिवालय (1952-1976) और योजना आयोग (1952-1976)।

(ख) राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेखों के संदर्भ माध्यमों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को जारी रखते हुए, मैसर्स माइक्रोग्राफिक्स इंडिया द्वारा सैनिक/सैन्य विभाग "क" (1875-1935) सैनिक/सैन्य विभाग 'ख' की 16,994 फाइलों की डाटा प्रविष्टि की गई।

15.3 अभिलेखकारों/सहायक अभिलेखकारों और आउटसोर्स किए गए डाटा मान्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा (1955) और वित्त मंत्रालय (1973-1976) गृह मंत्रालय/विभाग (1860-1970), विदेश विभाग (1862-1871), विदेश एवं राजनीतिक (1890-1920), वित्त विभाग (1924-1930), न्यायिक विभाग (1862), उच्चायोग का सचिवालय (1932), बघेलखण्ड एजेंसी (1901-1946), भोपाल एजेंसी (1908-1945), बुन्देलखंड एजेंसी (1871-1886) सेंट्रल इंडिया एजेंसी (1853-1949), ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स एजेंसी (1902-1947), मद्रास स्टेट्स एजेंसी (1869-1917), पंजाब स्टेट्स एजेंसी (1893-1947), राजपूताना एजेंसी (1864-1954), बगदाद रेजिडेंसी (1967-1913), हैदराबाद रेजिडेंसी (1767-1913) और मैसूर रेजिडेंसी (1926-1946) इत्यादि की रिकार्ड शृंखला से 4,61,734 प्रविष्टियों के ऑनलाइन डाटा को मान्यीकृत किया।

15.4 ओरियन्टल रिकार्ड्स (ओ आर) प्रभाग ने निम्नलिखित कार्य किया।

फारसी में दस्तावेजों की विवरणात्मक सूची

- 1 डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ पर्शियन कारसपोण्डेंस खण्ड V (1805)
पूरे मसौदे की जांच की और उसे व्यवस्थित किया। हिज तारीखों को ईस्वी में परिवर्तित किया, तथा खण्ड की भूमिका और पाठ तैयार किया तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया।
- 2 डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ अक्वाइर्ड डाक्यूमेंट्स
खण्ड vi (1831-50) दस्तावेजों की 210 पर्चियों का मिलान किया।

REFERENCE MEDIA

Reference Media is an important administrative tool, which needs to be undertaken by each and every organization. Accordingly, the National Archives of India as stipulated Section 3(2) (e) of the Public Records Act, 1993 continued its efforts to prepare suitable reference media in the form of inventories, indices, catalogue of the records in its custody to facilitate quick retrieval of information for researchers and administrators.

15.1 Subject list of 187 files of Home Department, Medical 'A' (January 1918 to August, 1919) was prepared.

15.2 (a) Under the programme 'Computerization of Reference Media of Records' data entry of 68,280 files of the following series of records were completed by Comat Technologies Private Limited, New Delhi:- Ministries/ Departments of Commerce and Industry (1946-1978), Communication (1946-1976), Information and Broadcasting (1942-1947), Surface and Transport (1925-1978), Department of Industry and Labour (1923-1937) and Post and Telegraph (1920-1975), President's Secretariat (1915-1946) and Planning Commission (1952-1976).

(b) Continuing the work of computerization of reference Media of records in National Archives of India Data entry of 16,994 files of Military/ Army Department 'A' (1875-1935) Military/Army Department 'B' was completed by M/s Micrographics India.

15.3 The online data validation of 4,61,734 entries were completed from the record series of Ministries of Education (1955) and Finance (1973-1976), Ministry/ Department of Home (1860-1970), Departments of Foreign (1862-1871), Foreign and Political (1890-1920), Finance (1924-1930), Judicial (1862), Secretariat of High Commission (1932), Baghelkhand Agency (1901-1946), Bhopal Agency (1908-1945), Bundelkhand Agency (1871-1886), Central India Agency (1853-1949), Eastern India States Agency (1902-1947), Madras States Agency (1869-1917), Punjab States Agency (1893-1947), Rajputana Agency (1864-1954), Bagdad Residency (1767-1913), Hyderabad Residency (1782-1948) and Mystore Residency (1926-1946) etc. by the Archivists/ Assistant Archivists and outsourced Data Validators.

15.4 The Oriental Records (O.R.) Division has prepared.

Descriptive listing of documents in Persian.

1. Descriptive List of Persian Correspondence Vol. V (1805)
Checked the whole draft (1294) and arranged the same. Converted Hijra dates into Christian era, prepared preface and the text of the volume and submitted for approval.
2. Descriptive list of Acquired Documents:-
Vol. VI (1831-50) compared 210 slips of documents.

खण्ड vii (1851-70) पाठ के संकलन, टंकण के बाद उसका मिलान किया और आवश्यक संशोधन कर दिए गए।

इसके अलावा 1140 के संदर्भ कार्ड अधिगृहीत दस्तावेजों और 91 अधिगृहीत पुस्तकें के बनाये गए।

15.5 निजी अभिलेखागार अनुभाग ने के० एम० मुंशी, एन० संजीवा रेड्डी और प्रो० द्विजेन्द्र त्रिपाठी के पेपरो की 5,968 मदों/पत्रों की विषय सूची बनाई।

15.6 उपर्युक्त के अतिरिक्त, कार्टोग्राफिक प्रभाग ने भारत पाक राजस्व मानचित्र खण्ड 1 की संदर्भ सूची भी बनाई है। उपर्युक्त संदर्भ सूची के प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

Vol. VII (1851-70) after compilation of typing the text, the same has been compared and necessary correction have been carried out .

Besides 1140 catalogue cards of the Acquired documents and 91 acquired books were prepared.

15.5 Private Archives section has prepared subject lists of 5,968 items/ letters of K.M. Munshi, N. Sanjiva Reddy and professor Dwijendra Tripathi papers.

15.6 In Addition to above Cartographic Division has also prepared catalogue of Indo-Pak Revenue map Vol. I. The above mentioned Catalogue is likely to be published.

अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (ख) महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को अधिनियम की परिधि में आने वाले समस्त अभिलेख सर्जक अभिकरणों से स्थायी स्वरूप के लोक अभिलेखों को स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत करता है। इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) भी ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी अभिलेख की किसी निजी स्रोत से उपहार, खरीद या अन्य ढंग से स्वीकार्यता को भी विहित करती है। उपर्युक्त उपबंधों के अनुपालन में, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित लोक अभिलेख सीरीज और समस्त निजी पत्र अधिग्रहित किए हैं:-

16.1 संदर्भाधीन अवधि में राष्ट्रीय अभिलेखागार को अभिलेख सर्जक एजेंसियों से प्राप्त लोक अभिलेखों की अवाप्ति-अधिग्रहण का ब्यौरा इस प्रकार है : कम्पनी कार्य मंत्रालय की 334 फाइलें (1947-74); गृह मंत्रालय की 8119 फाइलें (1969-81); वित्त मंत्रालय की 1207 फाइलें (1982-92); विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की 2943 फाइलें (1933-70); खान मंत्रालय की 6 फाइलें (1985-91); रेल (रेलवे बोर्ड) की 1092 फाइलें (1957-91); वाणिज्य विभाग की 5648 फाइलें (1926-72); माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग की 248 फाइलें (1956-79); खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की 218 फाइलें (1950-75); डाक विभाग की 309 फाइलें (1947-74); विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की 190 फाइलें (1931-72); प्रधान मंत्री कार्यालय की (1947-73); मंत्रिमंडल सचिवालय की 1 फाइल (1980); वायुसेना मुख्यालय की 19 फाइलें (1955-80); राजपूताना राइफल्स दिल्ली छावनी के 693 शीट रोल (1916-48); युद्धबंदी (ऑपरेशन विजय 1999) बेस हास्पिटल, दिल्ली छावनी की 4 फाइलें; भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (मुख्यालय, नई दिल्ली और दिल्ली मंडल) की 3489 फाइलें (1903-78); रेल सुरक्षा आयोग, लखनऊ की 2228 फाइलें (1942-72); वन अनुसंधान संस्थान (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद), देहरादून (उत्तराखण्ड) की 1204 फाइलें और जम्मू-कश्मीर के अभिलेखों के 6111 शीट रोल (1933-53)।

16.2 उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार रिकार्ड केन्द्र (पूर्वी मंडल), भुवनेश्वर ने भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग, केन्द्रीय भूकम्प विज्ञान वैद्यशाला, शिलांग की 21 फाइलें (1957-78), उपनिदेशक, विदेश व्यापार के कार्यालय, शिलांग की 52 फाइलें (1959-78); मुख्य खनन सलाहकार के कार्यालय, पूर्वी रेलवे, धनबाद की 920 फाइलें (1894-78); पेटेंट एण्ड डिजाइन, कोलकाता की 3243 फाइलें (1961); भारत सरकार लेखन-सामग्री कार्यालय, कोलकाता की 17 फाइलें (1928-78); और एण्ड्रू यूल् एण्ड कंपनी लि० कोलकाता की 148 मदों (1798-1968) की अधिग्रहण की।

16.3 सार्वजनिक रिकार्ड के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित भारतीयों के निजी दस्तावेजों (पेपरों) और विदेशों से भारतीय हित संबंधी रिकार्डों का अधिग्रहण करना भी जारी रखा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत:-

1. प्रो० द्विजेन्द्र त्रिपाठी के कागजात (1916-51) : इनमें प्रो० द्विजेन्द्र त्रिपाठी, अहमदाबाद द्वारा दान की गई 24 मदें हैं जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा लि०, लार्सन एण्ड टूब्रो से संबंधित फाइलें रिपोर्ट तथा अहमदाबाद कॉटन टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज के संस्थापक रांची राम छोड़लाल के कागजात शामिल हैं।

ACCESSIONS/ ACQUISITIONS

As per Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993, the Director General, National Archives of India is empowered to accept Public records of permanent nature from all the records creating organizations falling within the purview of said Act. Likewise, Section 11(1) of the said Act also stipulates about the accessioning of any records of historical or national importance from any private source by way of gift, purchase or otherwise. Keeping in view the above said provision, the National Archives of India acquired the following series of Public records as well as private papers during the period under report.

16.1 As regards accessioning/ acquisition of Public Records from Records Creating agencies to National Archives of India during the period under report are: 334 files of Ministry of company Affairs (1947-74); 8,119 files of Ministry of Home Affairs (1969-81); 1,207 files of Ministry of Finance (1982-92); 2,943 files of Ministry of Law and Justice (Department of Legislature) (1933-70); 6 files of Ministry of Mines (1985-98); 1,092 files of Ministry of Railways (Railway Board) (1957-91); 5,648 files of Department of Commerce (1926-72); 14 files of Department of Secondary and Higher Education (1956-71); 248 files of Department of Shipping (1956-79); 213 files of Department of Food and Public Distribution (1950-75); 309 files of Department of Posts (1947-74); 190 files of Science and Technology (1931-72); 117 files of Prime Minister's Office (1947-73); 1 file of Cabinet Secretariat (1980); 19 files of Air Headquarter (1955-80); 693 sheet rolls of Rajputana Rifles, Delhi Cantt. (1916-48); 4 files of Prisoner of War (Operation Vijay 1999) Base Hospital, Delhi Cantt.; 3,489 files of Archaeological Survey of India (Headquarters, New Delhi and Delhi Circle) (1903-78); 2,228 files of Commission of Railway Safety, Lucknow (1942-72); 1,204 files of Forest Research Institute (India Council of Forestry Research and Education), Dehradun (Uttarakhand) and 6,111 sheet rolls of the records of Jammu and Kashmir (1933-53).

16.2 In addition to above the National Archives of India, Record Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar accessioned 21 files of India Meteorological Department, Central Seismological Observatory, Shillong (1957-78); 52 files of Office of the Deputy Director of Foreign Trade, Shillong (1959-78); 920 files of Office of the Chief Mining Adviser, Eastern Railway, Dhanbad (1894-1978); 17 files of Government of India Stationery Office, Kolkata (1928-78); 3,243 files of Patent and Design, Kolkata (1961) and 148 items of Andrew Yule and Company Limited, Kolkata (1798-1968).

16.3 Besides Public Records, National Archives of India continued to acquire private papers of eminent Indians in various fields as well as of Indian interest from abroad. Under this programme: -

1. Prof. Dwijendra Tripathi Papers (1916-51):- 24 items including files, reports, relating to Bank of Baroda, Hilda Ltd., Larsen and Toubro and Ranchi Ram Chhodlal Papers, the founder of Ahmedabad Cotton Textile Industries donated by Professor Dwijendra Tripathi, Ahmedabad.

2. श्री जितेन्द्र प्रसाद के कागजात (1980-2001) : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष और महासचिव स्वर्गीय जितेन्द्र प्रसाद के निजी कागजात की 10 फाइलें जो श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अर्जुन सिंह के साथ हुए पत्र व्यवहार से संबंधित हैं तथा विविध कागजात, प्रेस क्लिपिंग और सान्त्वना संदेश इत्यादि हैं। ये कागजात उनकी पत्नी श्रीमती कांता प्रसाद, दिल्ली से प्राप्त हुए।
 3. प्रो० मलविन्दर जीत सिंह संग्रहण (1915-16, 1930-33) :- प्रो० मलविन्दर जीत सिंह वराइच, चण्डीगढ़ से विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों नामतः श्री चेताराम, श्री कपूर सिंह, श्री हरदिल सिंह, बिशन सिंह और गुरमुख सिंह इत्यादि के 17 फोटोग्राफ प्राप्त हुए हैं।
 4. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के कागजात (1950) :- श्री राजेश वर्मा, दिल्ली से प्राप्त "रोजनामचा" नामक एक पांडुलिपि में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा की गई दैनिक टिप्पणियां शामिल हैं।
 5. श्री यू० जी० कृष्णामूर्ति (1996, 2000, 2003, और 2005-06) :- 41 मर्द जिनमें अंग्रेजी तथा विभिन्न भाषाओं में छपी पुस्तकें हैं नामतः थॉट इज योर एनिमी, नो वे आउट, दि करेज टु स्टैण्ड अलोन इत्यादि। इन पुस्तकों में दार्शनिक विचारों और जीवन इत्यादि के प्रति तार्किक दृष्टिकोण के विचार, यू० जी० कृष्णामूर्ति के उद्धरण; 108 मनी मैक्सिम कार्ड का सेट; यू० जी० के इन्टरव्यू की सीडी/वीसीडी, वेब पेज लिंक और अमरीका में यू० जी० कृष्णामूर्ति पर जारी पोस्टेज स्टॉप शामिल हैं। ये सब श्री चन्द्रशेखर बाबू, बंगलोर से प्राप्त हुए।
 6. विदेशों से भारतीय विषयों की माइक्रोफिल्म (1882-1947) :- डब्ल्यू ओ सीरीज, एफ० ओ सीरीज और पी आर ओ की 15 माइक्रोफिल्म रोल ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन (यू.के.) से प्राप्त हुई हैं। ये इन विषयों से संबंधित हैं- भारतीय सेना स्टाफ कोर; भारत में रॉयल इंजीनियर्स अधिकारियों की सेवा-शर्तों को शासित करने वाले संशोधित नियम; भारत में राज्याभिषेक दरबार, संगीत व्यवस्था; भारतीय सेना अधिनियम/नियम; भाषण; भारत और मिस्त्र से संबंधित प्रेस की कतरनें, भारतीय व्यय आयोग; लार्ड किचनर और कर्जन के साथ पत्र-व्यवहार जो अन्य बातों के साथ-साथ अफगानिस्तान से भी संबंधित हैं; गोल मेज सम्मेलन (कागजात और पत्र-व्यवहार) इत्यादि।
- 16.4 राष्ट्रीय अभिलेखागार, रिकार्ड केन्द्र, भुवनेश्वर ने उड़ीसा अनुसंधान परियोजना से संबंधित ताड़ पत्र और कागजात अधिगृहीत किए। यह संग्रहण बहुत मूल्यवान है, जिसमें 195 ताड़ पत्र की पांडुलिपियां, पांडुलिपियों की 146 कागजी प्रतियां, पांडुलिपि सामग्री पर 15 पुस्तकें और एक विस्तृत नक्शा (जगन्नाथ मंदिर, पुरी का स्थापत्य आरेख, 3.5 ग. 3.5 आकार का) शामिल हैं। इस अनुसंधान परियोजना का वित्तपोषण जर्मन रिसर्च काउन्सिल, बॉन ने किया था जो इण्डोलॉजी का अग्रणी केंद्र है।
- 16.5 उपर्युक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय अभिलेखागार, रिकार्ड केंद्र (पूर्वी मंडल) को श्री केलकर नायक से श्री रासनन्द नायक की धारानी गीतिका की दो शीटें दान-स्वरूप प्राप्त हुई हैं।

2. Shri Jitendra Prasad Papers (1980-2001):- 10 files of Private papers of Late Shri Jitendra Prasad former vice President and General Secretary of Indian National Congress relating to correspondence of Smt. Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Arjun Singh, along with misc. papers, press clippings and condolence messages etc. received from his wife Smt. Kanta Prasad, Delhi.
 3. Proffessor Malwinder Jit Singh collection (1915-16, 1930-33):- 17 Photographs of various freedom fighters are namely i.e. Shri Chetram, Shri Kapur Singh, Shri Hardil Singh, Bishan Singh & Gurumukh Singh etc have been received from Prof. Malwinderjit Singh Waraich, Chandigarh.
 4. Dr. Rajendra Prasad papers (1950):- One manuscript entitled *Roznamcha* contains daily notes made by Dr. Rajendra Prasad, Ex-President of India received from Shri Rajesh Verma, Delhi.
 5. Shri U.G. Krishnamurti Papers (1996, 2000, 2003 & 2005-06):- 41 items containing printed books in English as well as in different languages i.e. *Thought is your enemy*, *No Way Out*, *The courage to stand alone* etc. These books contains the ideas of philosophical thought and rational approach relating to life etc. quotes of U.G. Krishnamurti; set of 108 money maxim cards; CDs/ VCDs of U.G.'s interviews world of web pages links and postage stamps issued in USA on U.G. Krishnamurti received from Shri Chandrasekhar Babu, Bangalore.
 6. Microfilm of Indian interest from abroad (1882-1947):- 15 Microfilm rolls of W.O. series, F.O. series, and PRO series have been received from the British Library, London (UK). These relates to changes in system of appointment of Indian Army Staff Corps; revised rules governing conditions of service of Royal Engineers; Officers in India; Coronation Durbar in India; Musical arrangements; Indian Army Act Rule; Speeches; Press cuttings relating to India and Egypt; Indian Expenditure Commission; correspondence with Lord Kitchener and Curzon relating inter-alia to Afghanistan; Round Table Conference (papers and correspondence) etc.
- 16.4 National Archives of India, Record Centre, Bhubaneswar acquisitioned of Pal leaf and papers manuscripts belonging to the Orissa Research Project. This collection is extremely valuable, consisting of 195 palm leaf manuscripts, 146 paper copies of manuscripts, 15 books on the manuscripts material and one detailed plan (Portrait of Architectural drawing of Lord Jagannath Temple, Puri 3.5x3.5 size). This research Project was funded by the German Research Council, Bonn, a leading centre of Indology.
- 16.5 In addition to above, the National Archives of India, Record Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar has also has received as donation, 2 sheets of "Dharani Gitika by Shri Rasananda Nayak" from Shri Kalkar Nayak.

16.6 राष्ट्रीय अभिलेखागार के निजी दस्तावेजों का संग्रहण निजी और सरकारी एजेंसियों से प्राप्त रिकार्डों एवं दस्तावेजों के कारण और अधिक समृद्ध हुआ। इनमें प्रमुख हैं:- भारत रत्न और प्रमुख भारतीय दार्शनिक एवं जन-नेता डॉ० भगवानदास (1869-1958) द्वारा दिल्ली में चौथे भारतीय संस्कृतिसम्मेलन (2-3 मार्च 1952) में दिए गए अध्यक्षीय भाषण के दो मूल और हस्तलिखित मसौदे अधिग्रहित किए गए, डॉ० भगवान दास लोक क्षेत्र के अनेक पहलुओं से जुड़े थे जैसे शिक्षा और समाज-सुधार तथा हमारे देश में शिक्षा के विकास में उनका प्रमुख योगदान था, वाराणसी में सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज की स्थापना करना जो बाद में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बना।

16.7 उपर्युक्त के अतिरिक्त, ओरियन्टल रिकार्ड्स प्रभाग (ओ आर) ने ऐतिहासिक दस्तावेज खरीद समिति के जरिए सहबद्ध अभिलेखीय सामग्री का अधिग्रहण किया है। ये इस प्रकार हैं:-

- (i) 70 दस्तावेज (19 उर्दू में जो 1880 से 1941 ई० तक है तथा 51 देवनागरी/मोदी में) झांसी के डॉ० एम० एल० गुप्ता से प्राप्त किए गए।
- (ii) 100 दस्तावेजों (78 उर्दू में और 22 देवनागरी में) जो 1879 से 1941 ई० तक की अवधि से संबंधित हैं, झांसी के श्री राजीव लोचन गुप्ता से प्राप्त किए गए।
- (iii) बंगला में 3 पांडुलिपियां मिदनापुर (पं० बंगाल) के श्री शिव नारायण पोरे से प्राप्त की गई।
- (iv) 12 दस्तावेज जो फारसी में हैं और 1811 से 1866 ई० से संबंधित हैं, इलाहाबाद के श्री जलालुद्दीन से प्राप्त किए गए।
- (v) 26 दस्तावेज जो मोदी में हैं, वाराणसी के श्री यू० एस० दूबे से प्राप्त किए गए।
- (vi) 2 पुस्तकें जो अंग्रेजी में हैं और जिनके नाम हैं ग्रेट कैप्टनज और ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन मेरठ के श्री जमीर एच० जैदी से प्राप्त की गई।
- (vii) फारसी में "सरगुजश्त-ए-महात्मा गांधी (अंग्रेजी से अनुवादित) नामक पुस्तक दिल्ली की बेबी बुशरा कबीर से भेंट स्वरूप प्राप्त की गई।
- (viii) 101 दुर्लभ पुस्तकें जो आगरा की डॉ० श्रीमती शशि गोयल से भेंट स्वरूप प्राप्त हुई। मुख्यतः ये अंग्रेजी और उर्दू में हैं, लेकिन कुछेक फारसी, संस्कृत, हिन्दी, जर्मन, इटालियन और फ्रेंच में भी हैं।
- (ix) 11 दस्तावेज (1882-1919 ई०) अम्बेडकर नगर (उ०प्र०) के श्री एल० एच० गुप्ता से प्राप्त हुए।
- (x) 8 मर्दें (देवनागरी/हिन्दी में पांडुलिपियां/पुस्तकें) दिल्ली के श्री चन्द्रभान दास से प्राप्त हुई।

16.8 उपर्युक्त के अतिरिक्त, कार्टोग्राफिक प्रभाग ने निम्नलिखित कार्टोग्राफिक रिकार्ड/मानचित्र हासिल किए:-

- (i) विदेश मंत्रालय (भूटान अनुभाग), उत्तरी प्रभाग, नई दिल्ली, की 6 फाइलें।
- (ii) भारतीय सर्वेक्षण, उपनिदेशक, कारोबार एवं प्रचार, का कार्यालय, देहरादून (उत्तराखंड) की 1687 फाइलें।

16.6 The private paper collection of the National Archives of India was further enriched with the acquisition of records and documents from private and public agencies. Prominent amongst the private papers acquired are two original and handwritten drafts of a Presidential Speech delivered by Bharat Ratna awardee and prominent Indian Philosopher and public figure, Dr. Bhawan Das (1869-1958) at the 4th "Bharatiya Sanskriti Sammelan" held at Delhi (2-3 March 1952), Dr. Bhagwan Das was actively involved in various aspects of public life such as education and social Reform and one of his major contributions to the development of Education in our country was the founding of the Central Hindu College at Varanasi, which later evolved into Benaras Hindu University.

16.7 In addition to above Oriental Records Division (OR) has also made acquisition of assorted archival material through Historical Document Purchase Committee. These are:-

- (i) 70 Documents (19 in Urdu covering the period from 1880 to 1941 AD and 51 in Devanagiri/Modi) acquired from Dr. M.L. Gupta of Jhansi.
- (ii) 100 documents (78 in Urdu and 22 in Devanagiri) covering period from 1879 to 1941 AD, acquired from Shri Rajiv Lochan Gupta of Jhansi.
- (iii) 3 manuscripts in Bengali from Shri Shib Naryana Porey of Midnapur (West Bengal).
- (iv) 12 documents in Persian covering the period 1811 to 1866 AD, acquired from Shri Jalaluddin of Allahabad.
- (v) 26 documents in Modi acquired from U.S. Dubey of Varanasi.
- (vi) 2 Books in English entitled *Great Captains* and *A History of Britain* acquired from Shri Zamir H. Zaidi of Meerut.
- (vii) A Book of Persian entitled *Sarguzasht-i Mahatma Gandhi* (Translation from English), received a gift from Baby Bushra Kabir of Delhi.
- (viii) 101 rare Books received as a gift from Dr. Mrs. Shashi Goyal of Agra. Mainly in English and Urdu, a few books are in Persian, Sanskrit, Hindi, German, Italian and French.
- (ix) 11 documents (1882-1919 AD), acquired from Shri L.H. Gupta of Ambedkarnagar (U.P.).
- (x) 8 items (manuscripts/ books in Devanagiri/ Hindi) acquired from Shri Chandra Bhan Das of Delhi.

16.8 In addition to above Cartographic Division accessioned the following Cartographic Records/ Maps:-

- (i) 6 files of Ministry of External Affairs (Bhutan Section), Northern Division, New Delhi.
- (ii) 1,687 files of Survey of India, Office of the Director, Business & Publicity, Dehradun (Uttarakhand).

अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची की पुनरीक्षा

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (ग) में यह प्रावधान है कि अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची के संकलन के लिए उत्तरदायी होगा। इन अभिलेख प्रतिधारण समय-सूचियों को पांच वर्ष में एक बार संशोधित किया जाना अपेक्षित है ताकि नए विषय शीर्ष शामिल किए जा सकें जो पांच वर्ष की अवधि में संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों के बदलते और बढ़ते कार्यकलापों के कारण शामिल हो गए हैं। संदर्भाधीन अवधि में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 12 मंत्रालयों विभागों कार्यालयों के महत्वपूर्ण कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण समय-सूचियों की पुनरीक्षा की है। विस्तृत सूचना नीचे दी गई है :

17.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण समय-सूचियों की पुनरीक्षा के लिए उसी स्थान पर अध्ययन कार्य किया गया, रिपोर्टें पूरी की गईं और पुनरीक्षित अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को संबंधित संगठनों के पास कार्यान्वयन के लिए भेजा गया : रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम मंत्रालय), नागर विमानन महानिदेशालय (नागर विमानन मंत्रालय) और प्रधानमंत्री कार्यालय, सभी नई दिल्ली में, तंबाकू विकास निदेशालय (कृषि मंत्रालय), बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, कॉरपोरेट ऑफिस और चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मनाली रिफाइनरी (दोनों पेट्रोलियम मंत्रालय) सभी चेन्नई में और राष्ट्रीय परीक्षण गृह (उपभोक्ता मामले, खाद्य और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय), कोलकाता; (हेडक्वार्टर्स में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक साझी अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची संकलित की गई)।

17.2 सेना मुख्यालय (रक्षा मंत्रालय) के निम्नलिखित डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल स्टॉफ (जी एस) शाखा निदेशालय के उसी स्थान पर अभिलेख प्रतिधारण समय-सूचियों का अध्ययन कार्य किया गया और रिपोर्टें अंतिम रूप दिए जाने के विभिन्न चरणों पर हैं। ये हैं : स्टॉफ ड्यूटी, क्षेत्रीय सेना, सैन्य सर्वेक्षण, सैन्य प्रचालन, युद्ध उपस्कर, वित्तीय योजना, सेना विमानन, राष्ट्रीय रायफल्स, संयुक्त राष्ट्र शांति केन्द्र, रक्षा सुरक्षा कोर, सेना स्थायी स्थापना समिति, सूचना प्रौद्योगिकी, यांत्रिक बल, इन्फैंट्री पर्सपेक्टिव प्लानिंग, मिलिटरी इन्टेलिजेन्स, प्रचालन संभारिकी, सेना वायु रक्षा, सिग्नल, प्रबंधन सूचना प्रणाली संगठन, आर्टिलरी और सैन्य प्रशिक्षण निदेशालय।

VETTING OF RETENTION SCHEDULES OF RECORDS

Section 6(1)(c) of the Public Records Act, 1993 provides that the Records Officer shall be responsible for compilation of Records Retention Schedules in consultation with the National Archives of India. These Records Retention Schedules are also required to be revised once in five years with a view to accommodate new subject Heads which might have been added due to the changing and expanding activities of the concerned records creating agencies during the span of proceeding five years. Keeping this in view, National Archives of India has vetted records retention schedules of substantive functions of 12 Ministries/ Departments/ Offices during the period under report. Information in detail is indicated below: -

17.1 On the spot studies for vetting the Records Retention Schedules of the following Ministries/ Departments/ Offices were taken up, completed the reports and the vetted Records Retention Schedules were sent for implementation to the respective organizations:- Directorate General of Employment and Training (Ministry of Labour), Directorate General of Civil Aviation (Ministry of Civil Aviation) and Prime Minister's Office all in New Delhi; Directorate of Tobacco Development (Ministry of Agriculture), BCG Vaccine Laboratory (Ministry of Health and Family Welfare), Chennai Petroleum Corporation Limited, Corporate Office and Chennai Petroleum Corporation Limited, Manali Refinery (both Ministry Petroleum) all in Chennai and National Test House (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution), Kolkata (A common Records Retention Schedule was compiled for Headquarters and the Regional Offices).

17.2 On the spot study for vetting the Records Retention Schedule of the following Directorate of General Staff (GS) Branch of Army Headquarters (Ministry of Defence) were taken up completed and the reports are under various stages of finalization these are: Directorates of Staff Duties, Territorial Army, Military Survey, Military Operation, War Equipment's, Financial Planning, Army Aviation, Rashtriya Rifles, Centre for United Nations Peace Keeping, Defence Security Corps, Army Standing Establishment Committee, Information Technology, Mechanized Forces, Infantry, Perspective Planning, Military Intelligence, Operation Logistic, Army Air Defence, Signals, Management Information system organization, Artillery and Military Training.

परामर्शी कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) (झ) के तहत महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार से यह अपेक्षित है कि वह अभिलेखों के सृजन, निपटान और उनके अर्ध-प्रचलित चरण के दौरान अभिलेख प्रबंधन के मानदंडों, तकनीकों और वैज्ञानिक संरक्षण के अनुप्रयोग के संबंध में सभी मंत्रालयों विभागों इत्यादि को परामर्श दें। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबंधन कार्यों से संबंधित मामलों पर विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परामर्श देने के प्रयास जारी रखे।

18.1 अर्ध प्रचलित अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण को अभिलेख प्रबंधन का एक मुख्य कार्य मानते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने मंत्रालयों/ विभागों कार्यालयों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया और उन्हें मौजूदा स्थितियों को सुधारने के लिए वही पर सलाह और मार्गदर्शन किया गया।

संदर्भाधीन अवधि में, राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने 17 संगठनों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया। ये हैं— रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, व्यय विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, योजना आयोग, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सभी नई दिल्ली में; तंबाकू विकास निदेशालय, राष्ट्रीय परीक्षण गृह, बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० सभी चेन्नई में, और नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., नोएडा।

18.2 इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख सर्जक एजेंसियों को उनके अनुरोध प्राप्त होने पर अभिलेख प्रबंधन के मामलों पर परामर्श देना जारी रखा। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों को अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सलाह दी गई : राजस्व विभाग, राष्ट्रीय लघु उद्योग लि० और राष्ट्रीय आईटीआई लि०, सभी नई दिल्ली में; हैवी उद्योग लि० और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम दोनों कोलकाता में और नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, फरीदाबाद (हरियाणा)।

18.3 रिकार्ड केन्द्र, पुडुचेरी ने जूट विकास निदेशालय और राष्ट्रीय नृ-विज्ञान सर्वेक्षण—दोनों कोलकाता में : को अभिलेख प्रबंधन कार्यों के बारे में सलाह दी।

18.4 विभिन्न रेपोग्राफिक सेवाओं के बारे में निम्नलिखित कार्यालयों को तकनीकी जानकारी मार्गदर्शन दिया गया—भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय राज्य व्यापार निगम—सभी नई दिल्ली में; उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेख, गाजियाबाद, राजस्थान राज्य अभिलेख, बीकानेर; अभिलेख, विभाग, हरियाणा, पंचकुला और पेपर आर्टलैब आस्ट्रेलिया, एडिलेड।

18.5 उपर्युक्त के अलावा, श्री एन०एस०मणि, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट ने “डिजिटल संरक्षण पर डीईएसआईडीओसी (डेसीडॉक), नई दिल्ली में व्याख्यान दिया।

CHAPTER 18

ADVISORY WORK

Under Section 3(2) (I) of Public Records Act, 1993, Director General, National Archives of India is required to render advice to all Ministries/ Departments etc. on the creation, disposal of records and application of standards, techniques of records management and scientific preservation during their Semi-Current stage. Accordingly, National Archives of India continued its efforts to advise various records creating agencies on the matters related to records management activities.

18.1 Considering the upkeep and preservation of semi-current records as one of the prime areas of the records management, National Archives of India inspected the Departmental Records Rooms of Ministries/ Departments/ Offices and provided on the spot advice and guidance for improvement in the existing conditions.

During the period under report, Departmental Records Rooms of 17 organizations were inspected by the officers of the National Archives of India. These are: Ministries of Defence, Environment and Forests, Information and Broadcasting and Shipping, Road Transport and Highways, Departments of Commerce, Expenditure, Information and Technology, Secondary and Higher Education, Planning Commission, Airport Authority of India, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation and Council of Scientific and Industrial Research all in New Delhi; Directorate of Tobacco Development, National Test House, BCG Vaccine Laboratory, Petroleum Corporation Limited all in Chennai and National Fertilizers Limited, Noida.

18.2 Further, National Archives of India continued to render advice on the matters of Records Management to records creating agencies as and when such requests were received. Accordingly, advice on various aspects of records management was rendered by officers of National Archives of India to the following offices:- Department of Revenue, The National Small Industries Limited and ITI Limited, all in New Delhi; Heavy Udyog Limited and National Handloom Development Corporation, both in Kolkata and National Hydroelectric Power Corporation, Faridabad (Haryana).

18.3 The Records Centre, Puducherry advised the Records Management activities to Directorate of Jute Development and Anthropological Survey of India, both in Kolkata.

18.4 The Technical Information/ guidance on the various Reprographic services was also given to the following organizations:- Registrar General of India, National Human Rights Commission, The State Trading Corporation of India Limited all in New Delhi; Uttar Pradesh State Archvies, Ghaziabad; Rajasthan State Archives, Bikaner; Archives Department, Haryana, Punchkula and also Paper Artlab Australia, Adelaide.

18.5 In addition to above Shri N.S. Mani, Microphotographer delivered Lecutre in DESIDOC, New Delhi on 'Digital Preservation'.

18.6 अभिलेखों के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित संस्थाओं को विशेषज्ञ की सलाह दी गई है: पी एच डी चैम्बर ऑफ कामर्स, नई दिल्ली : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा मुक्तिधाम मुकाम, तहसील नोखा जिला, बीकानेर, श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र महासभा मुक्तिधाम, गुवाहाटी, आंध्रप्रदेश राज्य अभिलेख और अनुसंधान संस्थान, तरनाका और स्टेट सेन्ट्रल लाइब्रेरी, आंध्रप्रदेश सरकार दोनों हैदराबाद में तथा विश्वभारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल।

18.6 Expert advice render to following Institutions in respect of preservation of records. These are: PHD Chamber of Commerce, New Delhi; Board of Secondary Education, Bhopal; Akhil Bhartiya Bishnoi Mahasabha Mukhtidham Mukam, Tehsil Nokha District, Bikaner; Srimanta Sankardeva Kalakshetra Mahasabha Mukhtidham, Guwahati; Andhra Pradesh State Archives and Research Institute, Tarnaka and State Central Library, Government of Andhra Pradesh Both in Hyderabad and Visva Bharti, Santiniketan, West Bengal.

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार का अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय अभिलेखीय अध्ययनो में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा। इनमें अभिलेख और रिकार्ड प्रबंधन में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम और रिकार्ड प्रबंधन, रिकार्ड प्रशासन तथा पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखों के संरक्षण एवं रिकार्डों की मरम्मत से संबंधित अल्पकालिक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शामिल है। मंत्रालयों विभागों कार्यालयों सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और विभागीय अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवा सकते हैं। इसके अलावा, सचिवों की समिति के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निर्दिष्ट विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम शुरू किया ताकि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) के तहत यथानिर्धारित कार्य करने में समर्थ हो सकें। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सितम्बर 1998 में इसकी शुरुआत से अब तक 70 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और 838 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। वर्ष 2006 के दौरान अभिलेख प्रबंधन में अभिमुखी पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 4 में देखी जा सकती है।

19.1 शैक्षिक वर्ष 2005-06 में अभिलेखों के रखरखाव के एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बैच में 18 विद्यार्थी थे, इनमें से तीन को उच्चतर शिक्षा विभाग, राज्य अभिलेख शाखा, (पश्चिम बंगाल सरकार) कोलकाता, कला एवं संस्कृति विभाग (मिजोरम सरकार), आइजौल और राजस्थान सचिवालय, पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग, जयपुर ने प्रायोजित किया था और शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.2 अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय ने पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण से संबंधित दो अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जिसमें 23 उम्मीदवारों ने भाग लिया। सिंधिया स्कूल, ग्वालियर और इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, कोलकाता ने एक एक अभ्यर्थी को प्रायोजित किया और शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.3 अभिलेख प्रबंधन में दो अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 29 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। दो को तमिलनाडु आर्काइज, चेन्नई ने, एक को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने तथा एक और को राज्य अभिलेख निदेशालय, नालंदा, तिरुवनंतपुरम ने नामित किया था जबकि शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.4 अभिलेखीय विद्यालय अध्ययन ने अभिलेख प्रबंधन में भी पाठ्यक्रम आयोजित किया जिसमें 12 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें से दो अभ्यर्थियों को आर्काइज एण्ड हिस्टोरिकल रिसर्च, विशेष आयुक्त, तमिलनाडु आर्काइज, एगमोर, चेन्नई ने प्रायोजित किया था और शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.5 रेप्रोग्राफी में अल्पकालिक पाठ्यक्रम के दो सत्र भी आयोजित किए गए जिसमें 12 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से पांच अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अभिलेखागार, रक्षा मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन और नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सभी नई दिल्ली में ने तथा एक अभ्यर्थी को तमिलनाडु आर्काइज, चेन्नई ने प्रायोजित किया तथा शेष निजी अभ्यर्थी थे।

CHAPTER 19

TRAINING

The School of Archival Studies of the National Archives of India continued to conduct training courses in Archival Studies. These comprise of One-Year Diploma Course in Archives and Records Management, Short Term Certificate Courses in Records Management, Records Administration and Conservation of Books, Manuscripts and Archives and Repair of records. Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. can avail of this facility and get their staff working in Departmental Records Room trained. Besides, as per the directives of the Committee of Secretaries, National Archives of India started Five Days Orientation Courses in Record Management for designated Departmental Records Officers with a view to enable them to discharge various functions as stipulated under Section 6 (1) of the Public records Act, 1993. The National Archives of India has so far conducted 70 Courses after its introduction in September 1998 and imparted training to 838 officers. A list of Departmental Records Officers who have attended the Orientation Courses in Records Management during the year 2006. (Please be seen in Annexure IV of the report).

19.1 One-Year Diploma Course in Archives Keeping for the academic year 2005-2006 had a batch of 18 students. Out of these, three are sponsored by Higher Education Department, State Archives Branch, Government of West Bengal, Kolkata; Art and Culture Department (Government of Mizoram), Aizwal and Rajasthan Secretariat of Department of Tourism, Art and Culture, Jaipur and the rest were private candidates.

19.2 School of Archival Studies also conducted two short term Courses in Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives which were attended by 23 candidates. One each was sponsored by the Scindia School, Gwalior and Institute of Development Studies, Kolkata and the rest were private candidates.

19.3 Two Short Term Courses in Records Management were conducted, which were attended by 29 Candidates, Two were nominated by Tamil Nadu Archives, Chennai one was nominated by Aligarh Muslim University, Aligarh whereas one was nominated by office of the Directorate of State Archives, Nalanda, Thiruvananthapuram and the rest were Private candidates.

19.4 School of Archival Studies also conducted in Archives Management which was attended by 12 candidates. Out of these two were sponsored by The Special Commissioner of Archives and Historical Research, Tamil Nadu Archives, Egmore, Chennai and the rest were private candidates.

19.5 Two sessions of Short Term Course in Reprography were also conducted which were attended by 12 candidates. Out of these Five were sponsored by National Archives of India, Ministry of Defence, Lok Sabha Secretariat, Parliament House and Nehru Memorial Museum and Library four in New Delhi and one by Tamil Nadu Archives, Egmore, Chennai and the rest were private candidates.

19.6 Two Short Term Courses in Servicing and Repair of Records were attended by 27 candidates. Out

19.6 अभिलेखों के रखरखाव और मरम्मत से संबंधित दो अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में 27 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से 5 अभ्यर्थियों को संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो, संसद भवन, नई दिल्ली, दिल्ली अभिलेख विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार आर्काइव्स एण्ड हिस्टॉरिकल रिसर्च के विशेष आयुक्त, तमिलनाडु आर्काइव्स, एग्मोर, चेन्नई ने प्रायोजित किया था और शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.7 निम्नलिखित 29 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अपने अधिकारियों को नामित करने की इच्छा व्यक्त की है। ये हैं: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, वाणिज्य विभाग, डाक विभाग, भारतीय मौसम-विज्ञान, सड़क परिवहन और राजमार्ग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, टाउन एण्ड कन्ट्री योजना संगठन, सभी दिल्ली में; जूट विकास निदेशालय, जूट आयुक्त का कार्यालय एवं भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय सभी कोलकाता में; अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकारी स्वास्थ्य योजना, मुंबई; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.); केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलोर; मुख्य महा डाकपाल कार्यालय (उड़ीसा मंडल) भुवनेश्वर; समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन; खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मारमागांव, गोवा; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, शिमला; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापत्तनम।

of these 5 were sponsored by Bureau of Parliamentary Studies and Training, Parliament House, New Delhi; Department of Delhi Archives, Govt. of NCT of Delhi, New Delhi; The Special Commissioner of Archives and Historical Research, Tamil Nadu Archives, Egmore, Chennai and the rest were private candidates.

19.7 The following 29 Ministries/ Departments/ Offices have shown their willingness to depute their officials for various training courses conducted by the National Archives of India. These are:- Ministries of Environment and Forests, Information and Broadcasting, Shipping, Road Transport and Highways, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Prime Minister's Office, Departments of Commerce, Posts, India Meteorological, Road Transport and Highways, Indian Council of Agricultural Research and Town and Country Planning Organization, all in New Delhi; Directorate of the Jute Development, Office of the Jute Commissioner and Government of India Stationery Office all in Kolkata; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP), Central Institute of Coastal Engineering, Bangalore; Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle) Bhubaneswar; Integrated Fisheries Project, Cochin; Directorate of Mines Safety, Dhanbad; Port Health Organizations, Marmagao, Goa; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Regional Evaluation Office, Lucknow; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Project Evaluation Office, Shimla; and Regional Office for Health and Family Welfare, Visakhapatnam.

अभिलेख जागरूकता

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) (घ) के तहत अभिलेखागार महानिदेशक को लोक अभिलेखों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने संदर्भाधीन अवधि के दौरान में निम्नलिखित प्रदर्शनियां आयोजित की और अन्य कार्यक्रमलाप भी किए गए।

20.1 'दांडी यात्रा' की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस विभाग द्वारा नई दिल्ली में प्रदर्शनी आयोजित की गई और 75 प्रदर्शों के संक्षिप्त रूपांतर के साथ यह प्रदर्शनी विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित की गई। संदर्भाधीन अवधि में, उक्त प्रदर्शनी उत्तरांचल राज्य अभिलेखागार, देहरादून द्वारा 30 जनवरी से 14 जून 2006 तक आयोजित की गई जिसका उद्घाटन उत्तराखण्ड सरकार में प्रधान सचिव श्री एस.के. मट्टू ने किया।

तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्स ने इस प्रदर्शनी को कोयम्बटूर, मदुरै, सेलम, कुडालोर, थंजापुर और त्रिची स्थित जिला रिकार्ड केन्द्रों में अपने विभिन्न शाखा कार्यालयों में 1 फरवरी से 7 अप्रैल तक आयोजित किया।

हरियाणा राज्य अभिलेखागार ने यह प्रदर्शनी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में 30 जनवरी 2006 से 02 फरवरी 2006 तक आयोजित की जिसका उद्घाटन श्रीमती मीना मांडा, अभिलेखागार एवं पुरातत्व राज्य मंत्री, हरियाणा सरकार ने किया। इसके अलावा, यह प्रदर्शनी एस0 के0 कॉलेज, अम्बाला छावनी (9-10 फरवरी, 2006), एम डी एस डी कॉलेज, अम्बाला शहर में 21 मार्च 2006 को तथा कार्यालय परिसर पंचकुला में भी 5-13 अप्रैल 2006 के दौरान आयोजित की गई।

20.2 अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की पूर्वसंध्या को 18 मई 2006 से मई 2006 तक क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसे 300 से अधिक लोग देखने आए। उनमें विशिष्ट व्यक्ति थे प्रो० के० के० बासा, निदेशक, आई० जी० आर० एम० एस०, भोपाल और श्री के० के० मुहम्मद, अधीक्षक पुरातत्वविद मध्यमंडल, भोपाल।

20.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार समिति की 42वीं बैठक के साथ ही देहरादून में ऐतिहासिक दस्तावेजों की प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसका उद्घाटन 19 जून 2006 को श्री के० जयकुमार, महानिदेशक अभिलेखागार ने किया।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय, नई दिल्ली सभी कार्य दिवसों को जनता के लिए सुबह 10.00 बजे से सायं 5.30 तक खुला रहा।

20.4 संदर्भाधीन अवधि में महानिदेशक, अभिलेखागार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया।

ARCHIVAL AWARENESS

Under Section 3(2)(d) of the Public Records Act, 1993, the Director General of Archives is authorized by the Central Government to hold exhibition of Public records so as to create archival awareness among the masses. Accordingly, National Archives of India mounted the following exhibitions and also undertook other activities during the period under report.

20.1 On the occasion of 75th Anniversary of 'Dandi Yatra' an exhibition was organized by this Department at New Delhi and a condensed version of 75 exhibits along with kit an exhibition was forwarded to various State/ U.T. Government for the display. During the period under report, the said exhibition was organized by Uttanchal State Archives, Dehradun from 30 January 2006 to 14 June 2006 which was inaugurated by Shri S.K. Mattoo, Principal Secretary, Government of Uttarakhand.

The Tamil Nadu State Archives displayed this exhibition in their various branch-offices at District Record Centre, Coimbatore, Madurai, Salem, Cuddalore, Thajavur and Trichy from 1 February 2006 to 7 April 2006.

The Haryana State Archives organized this exhibition at Kurukshetra University, Kurukshetra from 30 January 2006 to 02 February 2006, which was inaugurated by Mrs. Meena Manda, State Minister of Archives and Archaeology, Government of Haryana. Besides, it was also organized at S.K. College, Ambala Cantt. (9-10 February, 2006), MDSD College, Ambala city on 21 March 2006 and also organized at office premises Panchkula from 5-13 April 2006.

20.2 On the eve of International Museum Day 18 May 2006 to 25 May 2006 an Exhibition was organized by Regional Office, Bhopal which was visited by more than 300 persons. Distinguished amongst them were Professor K.K. Basa, Director I.G.R.M.S., Bhopal and Shri K.K. Muhammad Superintending Archaeologist, Centre Circle, Bhopal.

20.3 An Exhibition of historical documents at Dehradun was inaugurated by Shri K. Jayakumar, Director General of Archives on 19 June 2006 to coincide with the 42nd Meeting of the National Committee of Archivists.

Besides, the National Archives Museum, New Delhi remained open for Public from 10:00 AM to 5:30 PM during all working days.

20.4 The Director General of Archives and other Senior Officers had attended the following meetings during the period under report: -

1. श्री जयकुमार, महानिदेशक, अभिलेखागार और संयुक्त सचिव, संस्कृतमंत्रालय ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया :
 - (i) 19-20 जून, 2006 को देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय अभिलेखपाल समिति की 42वीं बैठक।
 - (ii) उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय अभिलेखपाल समिति की कारोबारी बैठक जिसमें पांच प्रस्ताव पारित किए गए जबकि राष्ट्रीय अभिलेखागार और राज्य अभिलेखागारों के बीच सहयोग के पांच क्षेत्रों पर चर्चा की गई एवं अनुमोदन किया गया।
2. डॉ० शीतला प्रसाद, उपनिदेशक, अभिलेखागार ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया :
 - (i) 26-27 मार्च 2006 को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की 51वीं वार्षिक आम बैठक और नई दिल्ली में आयोजित इसके स्थापना दिवस का समारोह।
 - (ii) 17 मई 2006 को नई दिल्ली में आयोजित इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, शिमला की वार्षिक आम बैठक।
 - (iii) 9 अक्टूबर 2006 को वी० वी० गिरी राष्ट्रीय संस्थान, नोएडा की संयुक्त सलाहकार समिति की 18वीं बैठक।
3. श्री रघुनाथ मीणा, उपनिदेशक, अभिलेखागार को 1 नवम्बर 2006 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के प्रबंधन बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
4. डॉ० मीना गौतम, उपनिदेशक, अभिलेखागार को निम्नलिखित बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
 - (i) 30 अगस्त 2006 को परिवहन भवन, नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय परिषद की आयोजन समिति की पहली बैठक।
 - (ii) 2006-07 में क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन और सुदृढीकरण योजना के तहत विशेषज्ञ समिति की 24 नवम्बर 2006 को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में हुई बैठक।
5. डॉ० प्रमोद मेहरा, सहायक निदेशक, अभिलेखागार को निम्नलिखित बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
 - (i) 6 जनवरी 2006 को वी० वी० गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में आयोजित आईसीएचआरपी (ICHRP) की संयुक्त सलाहकार समिति की 17वीं बैठक।
 - (ii) पांडुलिपियों की खरीद के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली की विशेषज्ञ समिति की 13 जून 2006 को हुई बैठक।
6. श्री नवरत्न सिंह, सहायक निदेशक अभिलेखागार को निम्नलिखित बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
 - (i) हिमाचल राज्य संग्रहालय की कला कय समिति की 21 फरवरी 2006 को हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हुई बैठक।

1. Shri K. Jayakumar, Director General of Archives and Joint Secretary, Ministry of Culture attended the following meetings: -

- i. The 42nd Meeting of the National Committee of Archivists was held on 19-20 June 2006 at Dehradun.
- ii. The Business meeting of National Committee of Archivists held under his chairmanship, where five Resolutions were passed while five areas of collaborations between National Archives of India and State Archives were discussed and approved.

2. Dr. Shitla Prasad, Deputy Director of Archives attended the following meetings:-

- i. 51st Annual General Meeting of the Indian council of Historical Research and its foundation day function held on 26-27 March 2006 respectively at New Delhi.
- ii. Annual General Meeting of the Indian Institute of Advanced Study, Shimla held on 17 May 2006 at New Delhi.
- iii. 18th meeting of the Joint Advisory Committee of the V.V. Giri National Institute, Noida on 9 October 2006.

3. Shri Raghunath Meena, Deputy Director of Archives was deputed to National Museum to attend the meeting of the Board of Management of the National Museum Institute held on 1 November 2006 at New Delhi.

4. Dr. Meena Gautam, Deputy Director of Archives was deputed to attend the following meetings: -

- i. 1st Meeting of the organizing committee of International Council of Museums held on 30 August 2006 at Transport Bhawan, New Delhi.
- ii. Expert committee under the Scheme for 'Promotion and Strengthening of Regional and Local Museum' for 2006-2007 held on 24 November 2006 at National Museum, New Delhi.

5. Dr. Pramod Mehra, Assistant Director of Archives was deputed to attend the following meetings: -

- i. 17th Meetings of the Joint Advisory Committee of the ICHRP held on 6 January 2006 at the V.V. Giri National Labour Institute, Noida.
- ii. Meeting of the Expert Committee of Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi for purchase of manuscripts on 13 June 2006.

6. Shri Navaratan Singh, Asstt. Director of Archives was deputed to attend the following meetings:-

- i. Art Purchase Committee of Himachal State Museum held on 21 February 2006 at Himachal Bhawan, New Delhi.

- (ii) राज्य अभिलेखागार को पटियाला में नए परिसर में अभिलेख स्थानांतरित करने के बारे में सलाह देने के लिए 7-8 मार्च, 2006 को पंजाब राज्य अभिलेखागार में बैठक।
- (iii) क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढीकरण की योजना के तहत विशेषज्ञ समिति की 20 सितम्बर, 2006 को राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में हुई बैठक।

7. श्री अजित डे, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कला निधि प्रभाग के रेप्रोग्राफिक यूनिट के प्रचालन और कार्यकलाप की समीक्षा करने के लिए 20 जनवरी 2006 से 20 फरवरी 2006 तक हुई विशेषज्ञों की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। उन्होंने अंतिम बैठक में भी भाग लिया जो 18 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

8. डॉ० सी० एल० प्रजापति, वैज्ञानिक अधिकारी को उत्तराखण्ड राज्य अभिलेखागार की भवन निर्माण समिति की 12 सितम्बर 2006 को देहरादून में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

9. डॉ० यशोधरा जोशी, वैज्ञानिक अधिकारी को 18 अप्रैल, 2006 को आईसीसीआर (ICCR) में प्रतिनियुक्त किया गया ताकि वे मौलाना आजाद संग्रहण की पांडुलिपियों की जांच कर सकें और उनके संरक्षण के संबंध में सलाह दें।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

श्री नवरत्न सिंह, सहायक निदेशक, अभिलेखागार को संरक्षण इत्यादि की जरूरतों का आकलन करने के लिए बहुपक्षीय योजना दल के भाग के रूप में 24 जनवरी से 2 फरवरी 2006 तक अफगानिस्तान भेजा गया।

प्रशिक्षण/व्याख्यान/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां :

1. श्री जगमोहन सिंह, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट को 23 जनवरी, 2006 को राष्ट्रीय आपराधिक और न्यायिक विज्ञान संस्थान, दिल्ली में आयोजित पुलिस और न्यायिक फोटोग्राफी में नौवें डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को मैक्रो और माइक्रो फोटोग्राफी पर एक व्याख्यान देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। प्रतिभागियों ने इस विषय में प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए 24 जनवरी 2006 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।
2. डॉ० बी० मजुमदार, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट और श्री राजेश सहायक माइक्रोफोटोग्राफिस्ट को भारतीय पुरातत्व सोसायटी द्वारा 28-29 जनवरी, 2006 को लाल किले में आयोजित फोटो नेगेटिव और फोटोग्राफ पर एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया।
3. श्री मीमांसक, हिन्दी अधिकारी को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली में 21 मार्च, 2006 को आयोजित "वैश्विक संदर्भ में कला रूपों की प्रासंगिकता" पर एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
4. डॉ० यशोधरा जोशी, वैज्ञानिक अधिकारी को "चित्रों की देखरेख" से संबंधित नई दिल्ली में आयोजित तीन माह के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को "कागज पर बने चित्रों के संरक्षण की सामग्री; मापदंड और अनुप्रयोग" पर 29 मार्च 2006 को व्याख्यान देने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय प्रतिनियुक्त किया गया।

- ii. Meeting in Punjab State Archives on 7-8 March 2006 to Advise State Archives on shifting the records to the new premises in Patiala.
 - iii. Meeting of the Expert Committee under the Scheme for promotion and strengthening of Regional and Local Museums held on 20 September, 2006 at National Archives of India, New Delhi
7. Shri Ajit Dey, Microphotographer was deputed to attend the meeting of Experts on 20 January 2006 and 20 February 2006 to review the operation and activities of the Repographic unit of Kala Nidhi Division of the IGNCA. He also attended the final meeting, which was held on 18 April 2006 at New Delhi.
8. Dr. C.L. Prajapati, Scientific Officer was deputed to Uttarakhand State Archives to attend the meeting of their Building Committee held on 12 September 2006 at Dehradun.
9. Dr. Yashodra Joshi, Scientific Officer was deputed to ICCR on 18 April 2006 to examine the manuscripts of Maulana Azad collection and advise on their conservation.

International Relations:

Shri Navratan Singh, Assistant Director of Archives was deputed to Afghanistan from 24 January to 2 February 2006 as part of the multisided planning team to assess the requirements of conservation etc.

Training/ Lectures/ Workshops/ Seminars:

1. Shri Jagmohan Singh, Microphotographer was deputed to deliver a lecture on 'Macro and Micro Photography' to the participants of the 9th Diploma Course in Police and Forensic Photography on 23 January 2006 at the National Institute of Criminology and Forensic Science, Delhi. The participants visited the National Archives of India on 24 January 2006 for a practical demonstration in the subject.
2. Shri B. Majumdar, Microphotographer and Shri Rajesh, Assistant Microphotographer was deputed to attend a workshop on photo negatives and photographs organized by the Indian Archaeological Society at Red Fort, Delhi on 28-29 January 2006.
3. Shri Mimansak, Hindi Officer was deputed to attend a Seminar on 'Relevance of Art Forms in the Global Context' held on 21 March 2006 at National School of Drama, New Delhi.
4. Dr. Yashodhara Joshi, Scientific Officer was deputed to National Museum to deliver a lecture on 'Materials in Conservation of Paintings on paper: parameters and Application' to the Students of their three months Course on 'Care of Paintings' held on 29 March 2006 at New Delhi.

5. श्री तेग सिंह, डॉ० अरुण श्रीवास्तव, अभिलेखपाल और श्री एम० एन० खुल्बै सहायक केमिस्ट को आर बी आई प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में 7 अप्रैल 2006 को उनके कर्मचारियों को अभिलेख प्रशासन, संरक्षण पर व्याख्यान देने के लिए नियुक्त किया गया।
6. श्रीमती गायत्री वशिष्ठ और श्री जे० सी० डाबी, अभिलेखपाल को 8 अगस्त 2006 को अभिलेख प्रबंधन पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों को कमश: "विभागीय अभिलेख कक्ष और विभागीय अभिलेख अधिकारियों के कार्य" तथा "लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997" के संबंध में व्याख्यान देने के लिए नियुक्त किया। आई एस टी एम (ISTM) के 32 प्रतिभागियों के समूह ने अपने पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता के साथ 8 अगस्त 2006 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें स्टैक क्षेत्र के साथ विभाग भी दिखाया गया।
7. श्री राजेश वर्मा, अभिलेखपाल को भारतीय रिजर्व बैंक प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली नियुक्त किया गया और उन्होंने 22 अगस्त 2006 को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रशिक्षणार्थियों को "अभिलेख प्रबंधन और अभिलेखों का रखरखाव" पर व्याख्यान दिया। 18 प्रशिक्षणार्थियों के दल ने भारतीय रिजर्व बैंक के अपने पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता के साथ राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।
8. श्री एन० एस० मणि, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट को रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र, दिल्ली नियुक्त किया गया और उन्होंने 23 अगस्त 2006 को आयोजित "लाइब्रेरी नेटवर्क, डाटाबेस और सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं सेवाएं" संबंधी पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को "डिजिटल संरक्षण" पर व्याख्यान दिया।
9. श्री फरीद अहमद, अभिलेखाधिकारी को नई दिल्ली में 21 अगस्त से सितंबर, 2006 के दौरान आयोजित "प्रशिक्षण तकनीकों" पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आई एस टी एम, नई दिल्ली नियुक्त किया गया।
10. श्री भरत सिंह, सहायक को आई एस टी एम में 7-10 अगस्त, 2006 को आयोजित "सेवाओं में आरक्षण" संबंधी पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आई एस टी एम, नई दिल्ली नियुक्त किया गया।
11. श्रीमती प्रंजना सिन्हा और श्रीमती मधु कौशिक, दोनों अभिलेखपालों को 20 से 24 नवंबर 2006 को आई एस टी एम, नई दिल्ली में "सूचना का अधिकार" के संबंध में आयोजित पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आई एस टी एम (ISTM) नियुक्त किया गया।
12. श्रीमती रीटा कामरा, सहायक को 20-22 नवंबर, 2006 के दौरान आई एस टी एम, नई दिल्ली में "टिप्पण और आलेखन" के संबंध में आयोजित पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आई एस टी एम नियुक्त किया गया।
13. श्रीमती जया रवीन्द्रन, श्रीमती मधु कौशिक, श्रीफरीद अहमद, श्री महेश नारायण, अभिलेखपाल, सुश्री संगीता तवाकले, श्री उदय शंकर, सहायक अभिलेखपाल, श्री एन० एस० मणि, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट, श्री एस० सरकार, एल आई ओ और श्रीमती एस० त्यागी, श्रीमती वन्दना, एल आई ओ को नई दिल्ली में 5-8 दिसंबर 2006 को आयोजित "डिजिटल लाइब्रेरी आई सी डी डल, 2006 इन्फार्मेशन मैनेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्सस" संबंधी अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडिया हैबिटेट सेन्टर भेजा गया।
14. श्री एस० आर० मान और श्री ए० के० नेमा, एल आई ए को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की में 13-16 दिसंबर 2006 को आयोजित "ओपन सोर्स मूवमेंट-एशिया पर्सपेक्टिव" पर लैजलिक (LASLIC) XXII राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए रुड़की नियुक्त किया गया।

5. Shri Teg Singh, Dr. Arun Shrivastava, Archivists and Shri M.N. Khulbe, Asstt. Chemist were deputed to RBI Training Institute, New Delhi on 7 April 2006 to deliver lectures on Archives Administration, Conservation to their staff.
6. Smt. Gayatri Vashist and Shri J.C. Dabi, Archivists were deputed to Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi to deliver Lectures on 'Departmental Records Rooms and Functions of Departmental Records Officers' and 'Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997' respectively to the trainees of Records Management Course held on 8 August 2006. The group of 32 participants along their Course coordinator from the ISTM visited National Archives of India on 8 August 2006. They were shown round the Department including stack area (1st Floor).
7. Shri Rajesh Verma, Archivist was deputed to the Reserve Bank of India Training Centre, New Delhi and delivered a lecture on 'Importance of Records Management and Maintenance of Records' to the trainees of Reserve Bank of India held on 22 August 2006. The group of 18 trainees along with their course coordinator from RBI also visited National Archives of India and were shown round the Department.
8. Shri N.S. Mani, Microphotographer was deputed to Defence Scientific Information and Documentation Centre, Delhi and delivered a lecture on 'Digital Preservation' to the participants of the course on 'Library Networks, Database and Information Management System and Services' held on 23 August 2006.
9. Shri Farid Ahmad, Archivist was deputed to ISTM, New Delhi to attend a training Course on 'Training Techniques' held from 21 August to 1 September 2006 at New Delhi.
10. Shri Bharat Singh, Assistant was deputed to ISTM, New Delhi to attend a course on 'Reservation in Services' held from 7-10 August 2006 at ISTM.
11. Smt. Pranjana Sinha and Smt. Madhu Kaushik, both Archivists were deputed to ISTM to attend a course on 'Right to Information' held from 20 to 24 November 2006 at ISTM, New Delhi.
12. Smt. Rita Kamra, Assistant was deputed ISTM to attend a course on 'Noting and Drafting' held from 20-22 November 2006 at ISTM, New Delhi.
13. Smt. Jaya Ravindaram, Smt. Madhu Kaushik, Shri Farid Ahmad, Shri Mahesh Narain, Archivists, Ms. Sangeeta Tawakley, Shri Uday Shankar, Assistant Archivist, Shri N.S. Mani, Microphotographer, Shri S.Sarkar, LIO and Smt. S.Tyagi, Smt. Vandana, LIAs were deputed to Indian Habitat Centre to attend the International Conference on 'Digital Librarians-ICDL, 2006- Information Management for Global Access' held on 5-8 December 2006 at New Delhi.
14. Shri S.R. Mann and Shri A.K. Nema, LIAs were deputed to Roorkee to attend an LASLIC XXII National Seminar on 'Open Source Movement – Asia Perspective' held on 13-16 December 2006 at Indian Institute of Technology, Roorkee.

15. श्री टी० हुसैन और श्री जे० सी० डाबी अभिलेखाधिकारी को अभिलेखों के प्रशिक्षणार्थियों को कमशः "विभागीय अभिलेख कक्ष और विभागीय अभिलेख अधिकारियों के कार्य पर व्याख्यान देने के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली नियुक्त किया गया।

16. राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० (एन एच पी सी) के निमंत्रण पर राष्ट्रीय अभिलेखागार ने एन एच पी सी मुख्यालय, फरीदाबाद में 4-5 अप्रैल, 2006 को अभिलेख प्रबंधन से संबंधित एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में श्रीमती गायत्री वशिष्ठ, सर्वश्री जे० सी० डाबी और टी० हुसैन, सभी अभिलेखाधिकारियों ने व्याख्यान दिए।

17. मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय विभाग, बिहार सरकार के निमंत्रण पर श्री संजय गर्ग, सहायक निदेशक अभिलेखागार और डॉ० (कु०) यशोधरी जोशी, वैज्ञानिक अधिकारी को पुराना सचिवालय, पटना में 12-13 अक्टूबर, 2006 को आयोजित "अभिलेख प्रबंधन और अभिलेखों को संरक्षण" संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला संचालित करने के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया गया। सचिवालय के विभिन्न विभागों और बिहार के विभिन्न मंडलों/उपमंडलों/जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 150 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इस कार्यशाला को प्रेस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों में दर्शाया गया।

18. नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, (कोयला मंत्रालय) सिंगरौली (म.प्र) के निमंत्रण पर श्री संजय गर्ग, सहायक निदेशक अभिलेखागार और श्रीमती प्रंजना सिन्हा, अभिलेखाधिकारी ने 11-13 दिसंबर, 2006 के दौरान "अभिलेख प्रबंधन और अभिलेखों का संरक्षण" के संबंध में तीन दिवसीय कार्यशाला संचालित की। नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 विभागीय अभिलेख अधिकारियों और कार्मिक एवं एच आर डी प्रभागों से आए 15 प्रमुख अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। प्रमुख पदों पर कार्यरत अन्य कई स्टॉफ सदस्यों ने उद्घाटन और समापन समारोहों में हिस्सा लिया।

19. अभिलेखों के उच्च स्तरीय प्रयोक्ताओं में अभिलेखों के रखरखाव के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और कार्यक्षेत्र प्रचालन में अभिलेख प्रबंधन की अहम भूमिका के बारे में उन्हें जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा "अभिलेख प्रबंधन की चुनौतियां और सर्वोत्तम पद्धतियां" शीर्षक से छह एक दिवसीय संगोष्ठियों की श्रृंखला आयोजित की गई। इस संगोष्ठी श्रृंखला के लिए श्री संजय गर्ग, सहायक निदेशक अभिलेखागार संसाधन व्यक्ति थे और श्री टी० हुसैन, अभिलेखाधिकारी, समन्वयकर्ता थे।

(i) इस श्रृंखला की पहली संगोष्ठी नेहरू सेन्टर, मुंबई में 22 जून 2006 को आयोजित की गई। इस एक दिवसीय संगोष्ठी में मुंबई के विभिन्न सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं के 24 अधिकारियों तथा भारतीय बैंक अभिलेखागार, पुणे के एक अधिकारी ने भाग लिया।

(ii) दूसरी संगोष्ठी 27 जून 2006 को भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलोर में आयोजित की गई जिसमें बंगलोर के विभिन्न सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं के 25 अधिकारियों तथा मैसूर से आए एक अधिकारी ने भाग लिया।

(iii) तीसरी संगोष्ठी भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी (असम) में 21 जुलाई 2006 में आयोजित की गई। भारत सरकार के विभिन्न संगठनों के 18 प्रतिभागियों ने संगोष्ठी में भाग लिया।

15. Shri T. Hussain and Shri J.C. Dabi, Archivists were deputed to Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi to deliver lectures on 'Departmental Records Room and Functions of Departmental Records Officers' respectively to the trainees of Records.

16. At the invitation of National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) the National Archives of India conducted a workshop on Records Management on 4-5 April 2006 at the NHPC headquarters, Faridabad. Smt. Gayatri Vashist, S/Shri J.C. Dabi, and T. Hussain, all Archivists delivered lectures in the workshop.

17. At the invitation of Department of Cabinet Secretariat and Coordination, Government of Bihar, Shri Sanjay Garg, ADA and Dr.(Km.) Yashodhra Joshi, Scientific Officer were deputed as Resource Persons to conduct two days workshop on 'Records Management and Conservation of Records' on 12-13 October 2006 at Old Secretariat, Patna. 150 participants representing various Departments of the Secretariat as well as different Divisions/ Sub-divisions/ Districts of Bihar. The event was prominently covered by the press, both electronics and Print Media.

18. At the invitation of Northern Coal Fields Limited, (Ministry of Coal), Singrauli (MP), Shri Sanjay Garg, ADA and Smt. Pranjana Sinha, Archivist conducted 3 days workshop on 'Records Management and Conservation of Records' from 11-13 December 2006. 14 Departmental Records Officers representing various projects of Northern Coal Fields Limited, and 15 key officials from the Personnel and HRD Divisions attended the workshop. Many other staff members holding responsible posts attended the inaugural and the valedictory functions.

19. A series of six one-day seminars entitled 'Records Management Challenges and Best Practices' was organised by the National Archives of India with a view to creating awareness about the importance of record keeping among the high-end users of records and to sensitise them about the vital role of Records Management in efficient administration. Shri Sanjay Garg, ADA was the Resource Person and Shri T. Hussain, Archivist was the Coordinator for this Seminar series.

- i. The first Seminar in this series was held at the Nehru Centre, Mumbai on 22 June 2006. 24 officers of various Government Organizations/ Public Sector Undertakings/ Institutions of Mumbai including one officer of Reserve Bank of India Archive, Pune attended the day long Seminar.
- ii. The second Seminar was held on 27 June 2006 at the Indian Academy of Sciences, Bangalore, 25 officers of various Government organizations / Public Sector Undertakings/ Institutions of Bangalore including one officer from Mysore attended the Seminar.
- iii. The third Seminar was held on 21 July 2006 at Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati (Assam). 18 participants from various organizations of Government of India had attended the Seminar.

- (iv) चौथी संगोष्ठी राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता में 25 जुलाई 2006 को आयोजित की गई।
- (v) पांचवीं संगोष्ठी राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चैन्नई में 19 सितंबर 2006 को आयोजित की गई। भारत सरकार के विभिन्न संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र/उपक्रमों के 33 प्रतिभागियों ने संगोष्ठी में भाग लिया।
- (vi) छठी संगोष्ठी सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में 21 सितंबर 2006 को आयोजित की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा केन्द्र सरकारी संगठनों के 33 वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया।

20.5 सांस्कृतिक मामले और विरासत विभाग, सिक्किम सरकार के निमंत्रण पर "अभिलेख प्रबंधन" पर दो दिवसीय कार्यशाला 17 और 18 जुलाई 2006 को पुलिस मुख्यालय, सिक्किम में आयोजित की गई। श्री संजय गर्ग, सहायक निदेशक अभिलेखागार और श्री शबीउद्दीन खान, अभिलेखाधिकारी को संसाधन व्यक्ति के रूप में भेजा गया। इस कार्यशाला में 83 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें सिक्किम सरकार के संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव तथा निर्दिष्ट अभिलेख अधिकारी और रिकार्ड कीपर शामिल थे।

20.6 संदर्भाधीन अवधि में राष्ट्रीय अभिलेखागार में अनेक गणमान्य अतिथि पदारे जो कि निम्नलिखित हैं:-

1. आई सी सी आर (ICCR) के विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम के तहत श्री तारीमी राद की अध्यक्षता में इन्स्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक एन्साइक्लोपीडिया के 5 विद्वानों के शिष्टमंडल ने 19 जनवरी 2006 को विभाग का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार के साथ विचार विमर्श किया। उन्हें विभाग दिखाया गया।
2. 3 फरवरी 2006 को पाकिस्तान के 7 विद्वानों के एक दल ने डॉ० मुबारक अली, इतिहासकार की अध्यक्षता में आई सी सी आर के विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम के तहत विभाग का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार के कई वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्हें विभाग तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार का संग्रहालय दिखाया गया।
3. 90 आई ए एस परीक्षार्थियों (2005-06) के दल ने अपने पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में 10 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। राष्ट्रीय अभिलेखागार पर एक प्रस्तुति डॉ० मीना गौतम, अभिलेख उपनिदेशक और प्रमोद मेहरा, सहायक अभिलेख निदेशक ने संयुक्त रूप से पेश की। उन्हें विभाग में दिखाया गया।
4. श्री माओ फ्यूमिन, चीन के अभिलेखागार प्रशासन के महानिदेशक और श्री वू होंगता, निदेशक अन्तर्राष्ट्रीय आदान प्रदान और सहयोग विभाग ने भारत चीन सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, 2003-05 के अन्तर्गत 10-15 फरवरी, 2006 के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने अभिलेखागार महानिदेशक और राष्ट्रीय अभिलेखागार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भेंट की और राष्ट्रीय अभिलेखागार के कार्यक्रम का गहन अध्ययन किया। उन्होंने आई जी एन सी ए, राष्ट्रीय संग्रहालय, नेहरू स्मारक संग्रहालय और भोगी लाल लहरचन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डोलॉजी, दिल्ली का दौरा किया। आगरा और स्थानीय जगहों का दौरा भी आयोजन किया गया।
5. श्री मॉरिट्स हसन खान, सूरीनाम गणराज्य के गृह मंत्री ने 12 मई 2006 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने अभिलेखागार महानिदेशक तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें विभाग में दिखाया गया।

- iv. The fourth Seminar was held on 25 July 2006 at the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Kolkata.
- v. The fifth Seminar was held on 19 September 2006 at the National Institute of Technical Teachers Training and Research Chennai. 33 participants from various organizations of Government of India and Public Sector Undertakings were attended the Seminar.
- vi. The sixth Seminar was held on 21 September 2006 at the Salarjung Museum, Hyderabad. 33 Senior Executives/ Officers of Public Undertakings and other Central Government Organizations have attended the Seminar.

20.5 At the invitation of the Department of Cultural Affairs and Heritage, Government of Sikkim, a Two day Workshop on 'Records Management' was conducted on 17 and 18 July 2006 at the Police Headquarters, Sikkim. Shri Sanjay Garg, ADA and Shri Shabiuddin Khan, Archivist were deputed as the Resource Persons. The Workshop was attended by 83 participants including Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Under Secretaries of Government of Sikkim as well as designated Records Officers and Records Keepers.

20.6 National Archives of India had many distinguished visitors during the period under report.

1. A 5 member's delegation of scholars from the Institute of Islamic Encyclopaedia, Iran headed by Mr. Taremi Raad visited the Department on 19 January 2006 under the ICCR distinguished visitors programme and held discussions with DGA. They were also shown round the Department.
2. A group of 7 Scholars from Pakistan headed by Dr. Mubarak Ali, Historian visited the Department on 3 February 2006 under the distinguished guest programme of ICCR and held meeting with Director General of Archives and other senior officers of National Archives of India. They were shown round the Department and NAI, Museum.
3. A group of 90 IAS Probationers (2005-06) visited National Archives of India on 10 February 2006 as part of their course. A presentation on National Archives of India was given jointly by Dr. Meena Gautam, DDA and Dr. Pramod Mehra, ADA. They were shown round the Department.
4. Mr. Mao Fumin, Director General State Archives Administration of China and Mr. Wu Hongda, Director, Department of International Exchange and Cooperation visited National Archives of India from 10-15 February 2006 under the Indo-China Cultural Exchange Programme, 2003-2005. They held meeting with the Director General of Archives and Senior Official of NAI and undertook an in-depth study of the working of National Archives of India. They also visited IGNCA, National Museum, Nehru Memorial Museum and Bhogilal Leharchand Institute of Indology, Delhi. A tour to Agra and local sight seeing were also organised.
5. Mr. Maurits Hassan Khan, Home Minister of the Republic of Suriname visited National Archives of India on 12 May 2006. He had a meeting with Director General of Archives and other Senior Officers of the Department and was shown round the Department.

6. श्री रघु मेनन, अपने सचिव और वित्तीय सलाहकार, संस्कृतिमंत्रालय ने 4 जुलाई 2006 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। उन्हें विभाग के कार्यकरण की जानकारी दी गई और विभिन्न प्रभागों में ले जाया गया।

7. मलेशिया के राष्ट्रीय अभिलेखागार से आए चार अभिलेखाधिकारियों के एक दल नामतः श्री अबू रहमान बिन एच जे अहमद, श्री अबू बकर बिन जकारिया और श्रीमती मजुरा बिनती रोहानी तथा श्रीमती सुजाना बिनती मु० ईसा ने 6 नवम्बर 2006 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और उन्हें विभाग दिखाया गया।

8. श्री फ्लोरस गिराएड्स, डच म्युनिसिपल अभिलेखाधिकारी ने 27-28 नवंबर, 2006 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और डी. डी. ए. (पी) तथा डी डी ए (एमजी) के साथ विभाग के कार्यकरण और प्रशिक्षण के संबंध में बैठक की। उन्हें भी विभाग दिखाया गया और उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार के कार्यकलाप के बारे में जानकारी दी गई।

9. श्री हीदर ब्राउन, सहायक निदेशक आर्टलैब आस्ट्रेलिया ने 4 दिसम्बर 2006 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और अभिलेख महानिदेशक, उपनिदेशक (पी) तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और राष्ट्रीय अभिलेखागार में "प्रीजर्वेशन माइक्रोफिलिमिंग" पर एक कार्यशाला आयोजित करने की व्यवहार्यता पर चर्चा की।

10. श्रीलंका के राष्ट्रीय अभिलेखागार की निदेशक डॉ० सरोजा वेदटासिंघे ने 15 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और साझे हितों के मामलों पर अभिलेख उपनिदेशक (आर) और अभिलेख उपनिदेशक (एम जी) के साथ बैठक की।

6. Shri Raghu Menon, Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Culture visited National Archives of India on 4 July 2006 and held meeting with senior officers. He was briefed about the functioning of the Department and taken to different Divisions.

7. A group of four Archivists from the National Archives of Malaysia, namely Messrs Abu Rahman Bin HJ Ahmad, Abu Bakar Bin Zakaria, and Mrs. Mazura Binti Rohani and Mrs. Suzana Binti Md. Isa visited National Archives of India on 6 November 2006 and were shown round the Department.

8. Mr. Florus Geraedts, Dutch Municipal Archivist visited National Archives of India on 27-28 November, 2006 and held meeting with DDA (P) and DDA (MG) regarding functioning and training of the Department. He was also shown round and briefed on the activities of the National Archives of India.

9. Mr. Heather Brown, Asstt. Director, Artlab Australia visited National Archives of India on 4 December 2006 and held meeting with DGA, DDA (P) and other senior officers of this Department and discussed the feasibility of holding a workshop on 'Preservation Microfilming' in the National Archives of India.

10. Dr. Saroja Wettasinghe, Director National Archives of Sri Lanka visited National Archives of India on 15 December 2006 and held meeting with DDA (R) and DDA (MG) on matter of common interest.

प्राथमिकताएं

लोक सेवाओं के कारगर प्रबंधन में और प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखों का महत्व सर्वज्ञान है। सूचना का अधिकार अधिनियम (आर टी आई), 2005 के अधिनियमन से एक बार फिर सभी सरकारी प्राधिकरणों में कार्यक्षम अभिलेख प्रबंधन आरंभ करने की जरूरत को बल मिला है। भारत सरकार ने बार-बार प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया है जहां लोक सेवा की सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाने के लिए अभिलेख प्रबंधन एक प्रमुख क्षेत्र है। जून 2006 में सरकार को प्रस्तुत की गई दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली रिपोर्ट में आर टी आई अधिनियम के संदर्भ में अभिलेख प्रबंधन की भूमिका की जांच की गई थी और यह कहा गया था, “सूचना का अधिकार प्राप्त होने से सरकारी अभिलेखों की जनता द्वारा जांच की जा सकेगी, और इससे जनता को यह जानने का एक महत्वपूर्ण साधन मिल जाएगा कि सरकार क्या करती है और कितने कारगर ढंग से करती है और इस तरह जिससे सरकार अधिक जवाबदेह बनेगी”।

अभिलेखों के अत्यधिक महत्व और उनके प्रबंधन की अनिवार्य जरूरत का अधिकाधिक एहसास हो जाने के बावजूद सरकारी कार्यालयों में जमीनी हकीकत सिद्धान्त और व्यवहार में जमीन आसमान का अन्तर दिखाती हैं। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्टों के जरिए मैंने बार बार अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अपने संगठनों में अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों की स्थिति के संबंध में रिपोर्टें और विवरण प्रस्तुत करने में खराब निष्पादन पर चिन्ता व्यक्त की है। इस वर्ष की स्थिति इस ढीले रवैये की निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करती है।

21.1 इस रिपोर्ट को करने के लिए, अभिलेख सर्जक एजेंसियों से सूचना प्राप्त करने के हमारे भरसक प्रयत्नों के बावजूद, इस वर्ष प्राप्त समग्र प्रतिक्रिया में गिरावट का रुख देखा गया है। हालांकि भारत सरकार के मुख्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रतिक्रिया में कोई सुधार नहीं देखा गया और वह पिछले वर्ष के 13 पर स्थिर रही, सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित स्थिति निराशाजनक थी क्योंकि कुल 1239 संगठनों में से जिन्हें रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था केवल 63 या सिर्फ 5 प्रतिशत ने उत्तर भेजा है। इसी प्रकार, 241 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/समितियों/आयोगों में से केवल 37 ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस वर्ष उत्तर की समग्र स्थिति सिर्फ 7.22 प्रतिशत रही है। इसलिए लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म 5 में समय पर रिपोर्ट की प्रस्तुति जो लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 का अनिवार्य उपबंध है, को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

21.2 आरटीआई अधिनियम के अधिनियम से विभागीय अभिलेख अधिकारियों (डी आर ओ) की भूमिका उनके प्रभार में रखे अभिलेखों में निहित सूचना के प्रदाता के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की परिधि में आने वाली सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियां, जिन्होंने अभी तक अपने विभागीय अभिलेख अधिकारी नामित नहीं किए हैं, बिना अधिक देरी किए ऐसा कर लें, जिसकी सूचना राष्ट्रीय अभिलेखागार को भी दी जाए तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित किए जाने वाले डी आर ओ के लिए उन अभिविन्यास पाठ्यक्रमों के अर्न्तगत प्रशिक्षण हेतु नामित करें। जिनकी सूचना वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

PRIORITIES

In the effective management of public services and for ensuring openness, transparency and accountability in administration, the importance of records is well-known. The enactment of the Right to information Act (RTI), 2005, had once again underlined the emergent need for instituting an efficient records management in all public authorities. The Government of India had time and again laid emphasis on administrative reforms wherein records management has formed one of the core areas for improving the delivery system of public service. The very first report of the Second Administrative Reforms Commission (ARC) that was submitted to the Government in June 2006, examined the role of records management in the light of the RTI Act and stated, 'Right to information opens up government's records to public scrutiny, thereby arming citizens with a vital tool to inform them about what the government does and how effectively, thus making the government more accountable.'

In spite of this growing realization about the vital importance of the records and the imperative need for their management, the ground reality in government office shows the stark contrast between principle and practice. Through my reports on the implementation of the Public records Act, 1993, I have repeatedly voiced my concern on the poor response by the records creating agencies in submitting reports and returns on the state of records management activities in their respective organizations. The situation this year presents a dismal picture of this lax attitude.

21.1 Despite our best efforts to elicit information from the records creating agencies for compiling this report, the overall response received this year has shown a downward trend. While the response from main Ministries/ Departments of the Government of India did not show any improvement and has remained constant at 13 as was in the last year, the position with regard to the attached/ subordinate offices was discouraging as out of a total of 1,239 organizations that were requested to send in their reports, only 63, or just 5 per cent responded. Similarly, out of 241 public sector undertakings/ committees/ commissions etc. only 37 sent in their report. Over all the response this year had been just 7.22 per cent. Therefore, timely submission of the report in Form 5 of the Public Records Rules, 1997, which is a mandatory provision of the Public Records Act, 1993, may be taken as the top most priority.

21.2 The role of the Departmental Records Officers (DROs) has assumed a greater significance with the enactment of the RTI Act, as provider of information contained in the records under his charge. Therefore, all records creating agencies falling within the purview of the Public Records Act, 1993 who have so far not nominated their departmental records officers may do so without any further delay under intimation to the National Archives of India and depute them to receive training under Orientation Courses in Records Management for DROs organised by the National Archives of India, the information of which can be seen on our website.

21.3 जिन अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया जा चुका है और जिन्हें स्थायी प्रतिधारणा के लिए निर्दिष्ट किया जा चुका है, उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजने के कार्य को भी प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। यह देखा गया है कि अभिलेख सर्जक एजेंसिया मूल्यांकित अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाती और इसके परिणामस्वरूप भारी जमाव हो जाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने इस जमाव को खत्म करने और इन अभिलेखों के अन्तरण के लिए विशेष उपाय किए हैं। लेकिन संबंधित संगठनों, जहां ऐसे अभिलेख अन्तरण के लिए रखे हैं, के सक्रिय सहयोग के बिना यह कार्रवाई सफल नहीं हो सकती। इसलिए, मैं ऐसे सभी संगठनों से अपील करता हूँ कि इससे पहले कि उनमें निहित बहुमूल्य सूचना से आने वाली पीढ़ियां वंचित हो जाए वे ये अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेज दें।

21.4 अन्त में, मैं मंत्रालयों और विभागों के सभी प्रमुखों और सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से अपील करता हूँ कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के विभिन्न उपबंधों को पूरी निष्ठा से कार्यान्वित करके अपने संगठनों में अभिलेख प्रबंधन को संस्थागत रूप दें। मैं उनके इस प्रयास में राष्ट्रीय अभिलेखागार की ओर से हर प्रकार की सहायता का आश्वासन देता हूँ।

22 -

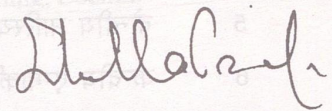
(डॉ० शीतला प्रसाद)

महानिदेशक, अभिलेखागार

भारत सरकार

21.3 The transfer of non-current records that have been appraised and marked for permanent retention, to the National Archives of India also needs to be prioritized. It has been observed that the records creating agencies do not take necessary steps to transfer the appraised records to National Archives of India and as a result huge back-log have been created. The National Archives of India has taken special measures to clear this back-log and to get these records transferred. However, such an exercise cannot become successful without active cooperation of the respective organizations where such records are awaiting transfer. Therefore, I appeal to all such organizations to transfer these records to National Archives of India, before the invaluable information contained therein is lost to the posterity.

21.4 Finally, I would like to appeal to all the heads of departments of the ministries and departments and the CEOs of all public sector undertakings to institutionalize the records management activities in their organizations by implementing various provisions of the Public Records Act, 1993 in letter and spirit. I assure of all help from the National Archives of India in their endeavour.



(Dr. Shitla Prasad)
Director General of Archives
Government of India

Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries

15. Regional Station for Poultry Production and Development, New Delhi

Ministry of Chemical and Fertilizers

16. Department of Chemicals and Fertilizers, New Delhi

अनुलग्नक-1

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

कृषि मंत्रालय

- 1 केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत)।
- 2 केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, सम्बलपुर, (उड़ीसा)।
- 3 केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)
- 4 केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर।
- 5 केन्द्रीय मात्स्यिकी नॉटिकल और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन।
- 6 केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री, नागपुर
- 7 तंबाकू विकास निदेशालय, चेन्नई।
- 8 जूट विकास निदेशालय, कोलकाता।
- 9 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, चेन्नई।
- 10 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई।
- 11 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मारमागांव, गोवा।
- 12 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
- 13 समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन।
- 14 दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)।

पशु पालन, दुग्ध एवं मात्स्यिकी मंत्रालय

- 15 फोरेज उत्पादन और प्रदर्शन का क्षेत्रीय केंद्र, हिसार (हरियाणा)।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

- 16 रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली।

**LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED INFORMATION
ON THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC RECORDS ACT, 1993**

A. MINISTRIES/DEPARTMENTS/OFFICES

Ministry of Agriculture

1. Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat).
2. Central Cattle Breeding Farm, Chiplima, Dist. Sambalpur (Orissa).
3. Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan)
4. Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.
5. Central Institute of Fisheries of Animals and Engineering Training, Cochin.
6. Central Agmark Laboratory, Nagpur
7. Directorate of Tobacco Development, Chennai.
8. Directorate of Jute Development, Kolkata
9. Fishery Survey of India, Chennai
10. Fishery Survey of India, Mumbai
11. Fishery Survey of India, Marmagoa, Goa.
12. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
13. Integrated Fisheries Project, Cochin.
14. Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP).

Ministry of Animal Husbandry Dairying and Fisheries

15. Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana)

Ministry of Chemical and Fertilizers.

16. Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

- 17 वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली।
- 18 आपूर्ति और निपटान निदेशालय, नई दिल्ली।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- 19 डाक विभाग, नई दिल्ली।
- 20 आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (कर्नाटक सर्किल), बंगलोर।
- 21 आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (उड़ीसा सर्किल), भुवनेश्वर।

रक्षा मंत्रालय,

- 22 टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़।

पर्यावरण और वन मंत्रालय

- 23 पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 24 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग।

भू-विज्ञान मंत्रालय

- 25 भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग, नई दिल्ली।

वित्त मंत्रालय

- 26 उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, मुंबई।
- 27 सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निरोधक), चेन्नई।
- 28 केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पणजी, गोवा।
- 29 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर।
- 30 आयकर आयुक्त (अपील-1) का कार्यालय, कानपुर।
- 31 नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- 32 बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई।
- 33 केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद।
- 34 अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकारी स्वास्थ्य योजना, मुंबई।

Ministry of Commerce and Industry

17. Department of Commerce, New Delhi.
18. Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.

Ministry of Communication and Information Technology.

19. Department of Posts, New Delhi.
20. Office of the Chief Postmaster General, (Karnataka Circle), Bangalore.
21. Office of the Chief Postmaster General, (Orissa Circle), Bhubaneswar

Ministry of Defence

22. Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.

Ministry of Environment and Forests.

23. Ministry of Environment and Forests, New Delhi.
24. North Eastern, Regional Office, Shillong.

Ministry of Earth Sciences

25. India Meteorological Department, New Delhi

Ministry of Finance

26. Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai.
27. Office of the Commissioner of Central Excise, Chennai.
28. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji, Goa.
29. Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur
30. Office of the Commissioner of Income Tax, (Appeal-I), Kanpur.
31. Office of the Salt Commissioner, Jaipur.

Ministry of Health and Family Welfare

32. BCG Vaccine Laboratory, Chennai.
33. Central Drugs Standard Central Organisations, (North Zone) Ghaziabad.
34. Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai.

35 पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मारमागांव, गोवा।

36 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलोर।

37 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद।

38 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।

39 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम।

गृह मंत्रालय

40 गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

41 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।

विधि एवं न्याय मंत्रालय

42 शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, मुंबई।

43 आयकार अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

44 खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद।

45 क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय, कोचीन।

खान मंत्रालय

46 भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, मंत्रालय

47 पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।

48 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली।

49 इंजीनियर संपर्क कार्यालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) रांची, झारखंड।

50 अधीक्षक इंजीनियर का कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग चंडीगढ़।

51 इंजीनियर संपर्क अधिकार का कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) छत्तीसगढ़।

52 मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्टब्लेयर।

53 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (जयपुर)।

35. Port Health Organization, Marmagao, Goa.
36. Regional Office for Health and Family Welfare, Bangalore
37. Regional Office for Health and Family Welfare, Hyderabad
38. Regional Office for Health and Family Welfare, Jaipur
39. Regional Office for Health and Family Welfare, Thiruvananthapuram

Ministry of Home Affairs

40. Ministry of Home Affairs, New Delhi.

Ministry of Information and Broadcasting

41. Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.

Ministry of Law and Justice

42. Branch Secretariat, Department of Legal Affairs, Mumbai.
43. Income Tax Appellate Tribunal, Mumbai.

Ministry of Labour and Employment

44. Directorate of Mines Safety, Dhanbad
45. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin.

Ministry of Mines

46. Indian Bureau of Mines, Nagpur

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

47. Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, New Delhi.
48. Department of Road Transport and Highways, New Delhi.
49. Engineer Liaison Office (Deptt of Road Transport and Highways) Jharkhand
50. Office of the Superintending Engineer of Deptt of Road Transport and Highways, Chandigarh.
51. Office of the Engineer Liaison Officer (Department of Road Transport and Highways) Chhattisgarh
52. Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Wones, Port Blair.
53. Regional Office of Deptt. Of Road Transport & Highways, Jaipur

54	विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड, विशाखापत्तनम।	35
रेल मंत्रालय		
55	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली।	36
कपड़ा मंत्रालय		
56	जूट आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता	37
शहरी विकास मंत्रालय		
57	प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।	38
58	भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता।	39
59	टाउन एन्ड कन्ट्री एवं योजना संगठन, नई दिल्ली।	40
जल संसाधन मंत्रालय		
60.	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।	41
ख अन्य संगठन		
61	प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।	42
योजना मंत्रालय		
62	योजना आयोग, नई दिल्ली।	43
63	परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद।	44
64	परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, बंगलोर।	45
65	परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भोपाल।	46
66	परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, गुवाहाटी।	47
67	परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, पटना।	48
68	परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, षिमला।	49
69	परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, त्रिवेंद्रम।	50
70	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई।	51
71	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चंडीगढ़।	52
72	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, मुम्बई।	53

54. Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam

Ministry of Railways

55. Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi.

Ministry of Textiles

56. Office of the Jute Commissioner, Kolkata.

Ministry of Urban Development

57. Department of Publication, New Delhi
58. Government of India Stationery Office, Kolkata
59. Town and Country Planning Organisation, New Delhi

Ministry of Water Resources

16. Ministry of Water Resources, New Delhi.

B. OTHER ORGANISATION(S)

61. Prime Minister's Office, New Delhi.

Ministry of Planning

62. Planning Commission, New Delhi.
63. Project Evaluation Office, Ahmedabad.
64. Project Evaluation Office, Bangalore
65. Project Evaluation Office, Bhopal.
66. Project Evaluation Office, Guwahati.
67. Project Evaluation Office, Patna.
68. Project Evaluation Office, Shimla
69. Project Evaluation Office, Tiruvandrum.
70. Regional Evaluation Office, Chennai.
71. Regional Evaluation Office, Chandigarh.
72. Regional Evaluation Office, Mumbai.

- 73 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद।
 74 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर।
 75 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कोलकाता।
 76 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ।

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय इत्यादि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

- 77 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लि. डिब्रूगढ़।
 78 हिंदुस्तान फलोरोकार्बन्स लि., हैदराबाद।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

- 79 केन्द्रीय भंडागारण निगम, नई दिल्ली।

नागर विमानन मंत्रालय

- 80 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

- 81 तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, चेन्नई।
 82 हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., जयपुर।
 83 सांभर साल्ट्स लि., जयपुर।
 84 नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर।

रक्षा मंत्रालय

- 85 गोवा शिपयार्ड लि., वास्को डि-गामा।
 86 भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- 87 राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय

- 88 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., कोलकाता।
 89 बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि., कोलकाता।

73. Regional Evaluation Office, Hyderabad.
74. Regional Evaluation Office, Jaipur.
75. Regional Evaluation Office, Kolkata.
76. Regional Evaluation Office, Lucknow.

C. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS / COMMITTEES / CORPORATIONS / STATUTORY BODIES ETC.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

77. Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh.
78. Hindustan Fluorocarbons Limited, Hyderabad.

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

79. Central Warehousing Corporation, New Delhi.

Ministry of Civil Aviation

80. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Raebareli.

Ministry of Commerce and Industry

81. Tamilnadu Trade Promotion Organisation, Chennai.
82. Hindustan Salts Limited, Jaipur.
83. Sambhar Salts Limited, Jaipur.
84. National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.

Ministry of Defence

85. Goa Shipyard Limited, Vasco-da-Gama.
86. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.

Ministry of Health and Family welfare

87. National Institute of Immunology, New Delhi.

Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises

88. Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata
89. Burn Standard Company Limited, Kolkata.

खान और खनिज मंत्रालय

- 90 यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सिंहभूम (पूर्व)।
91 नार्दन कोलफील्ड लि. सिंगरौली।
92 मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि., नागपुर।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

- 93 चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चेन्नई।
94 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुंबई।
95 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट।

ऊर्जा मंत्रालय

- 96 नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि., फरीदाबाद।
97 टिहरी हाइड्रो विकास निगम लि., टिहरी गढ़वाल।
98 ग्रामीण विद्युतिकरण निगम, नई दिल्ली।

जहाजरानी मंत्रालय

- 99 पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप।
100 एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई।
101 मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई।
102 जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई।
103 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम।
104 कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता।
105 विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम।
106 टुटिकोरिन पत्तन न्यास, टुटिकोरिन।

लघु उद्योग मंत्रालय

- 107 नेशनल लघु उद्योग कारपोरेशन लि., नई दिल्ली।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

- 108 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली।

Ministry of Mines and Minerals

90. Uranium Corporation of India Limited, Singhbhum (East).
91. Northern Coalfields Limited, Singrauli.
92. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.

Ministry of Petroleum and Natural Gas

93. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai.
94. Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai.
95. Numaligarh Refinery Limited, Golaghat.

Ministry of Power

96. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad.
97. Tehri Hydro Development Corporation Limited, Tehri Garhwal.
98. Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi.

Ministry of Shipping

99. Paradip Port Trust, Paradip.
100. Ennore Port Limited, Chennai.
101. Mumbai Port Trust, Mumbai.
102. Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai.
103. Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam.
104. Kolkata Port trust, Kolkata.
105. Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
106. Tuticorn Port Trust, Tuticorn.

Ministry of Small Scale Industries

107. The National Small Industries Corporation Limited, New Delhi.

Ministry of Social Justice and Employment

108. National Safai Karmacharis Finance and Development Corporation, New Delhi.

इस्पात मंत्रालय

Ministry of Mines and Minerals

109 इस्पात निगम लि., विशाखापत्तनम।

कपड़ा मंत्रालय

110 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

Ministry of Petroleum and Natural Gas

111 जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्रिफेड), दिल्ली में।

शहरी विकास मंत्रालय

112 राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि., नई दिल्ली।

ऊर्जा मंत्रालय

Ministry of Power

113 सेमी कन्डक्टर लेबोरेट्री, एस.ए.एस नगर (चण्डीगढ़ के निकट)।

जहाजरानी मंत्रालय

Ministry of Shipping

99 पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप।

100 एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई।

101 मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई।

102 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई।

103 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम।

104 कोल्काता पोर्ट ट्रस्ट, कोल्काता।

105 विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम।

106 तमिळु पोर्ट ट्रस्ट, तमिळु।

सहकारी मंत्रालय

Ministry of Small Scale Industries

107 The National Small Industries Corporation Limited, New Delhi।

सामाजिक न्याय मंत्रालय

Ministry of Social Justice and Employment

108 National Social Justice and Employment Corporation, New Delhi।

Ministry of Steel

109. Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam.

Ministry of Textiles

110. National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow.

Ministry of Tribal Affairs

111. Tribal Cooperation Marketing Developing Federation (TRIFED), Delhi.

Ministry of Urban Development

112. National Buildings Construction Corporation Limited, New Delhi.

Department of Power

113. Semi-Conductor Laboratory, S.A.S.Nagar (Near Chandigarh).

अनुलग्नक - II

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा तथा
विनष्टीकरण के संबंध में की गयी प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक
विवरणियां प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

क्रमसं.	संगठन का नाम	प्राप्त अर्धवार्षिक विवरणों की सं.
कृषि मंत्रालय		
1	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड़, जिला सूरत।	2
2	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)।	1
3	केन्द्रीय एगमार्क लेबोरेट्री, नागपुर।	2
4	केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर।	1
5	जूट विकास निदेशालय, कोलकाता।	1
6	बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर।	2
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
7	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली।	1
नागर विमानन मंत्रालय		
8	प्रधान लेखा कार्यालय (नागर विमानन मंत्रालय), नई दिल्ली।	1
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
9	वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली।	1
10	अद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली।	2
11	आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली।	2
रक्षा मंत्रालय		
12	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।	2
13	सेना सम्पत्ति महानिदेशालय, नई दिल्ली।	1

Annexure-II

LIST OF ORGANIZATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF YEARLY RETURNS ON PROGRESS MADE BY THEM IN RECORDING, INDEXING, REVIEWING AND WEEDING OF SEMI-CURRENT RECORDS

A. MINISTRIES/ DEPARTMENTS / OFFICES

Sr. No.	Name of Organizations	No. of Half Yearly Returns received
Ministry of Agriculture		
1.	Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, Distt. Surat.	2
2.	Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan).	1
3.	Central Agmark Laboratory, Nagpur.	2
4.	Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.	1
5.	Directorate of Jute Development, Kolkata.	1
6.	Directorate of Millets Development, Jaipur.	2
Ministry of Chemicals and Fertilizers		
7.	Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi.	1
Ministry of Civil Aviation		
8.	Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation), New Delhi.	1
Ministry of Commerce and Industry		
9.	Department of Commerce, New Delhi.	1
10.	Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi.	2
11.	Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.	2
Ministry of Defence		
12.	Ministry of Defence, New Delhi.	2
13.	Directorate General of Defence Estates, New Delhi.	1

14	क्षेत्रीय सेना उड़ान सक्षमता केन्द्र, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.)	1
15	टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेट्री, चंडीगढ़।	2
पर्यावरण और वन मंत्रालय		
16	पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली।	2
17	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर।	1
18	क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी क्षेत्र, भोपाल।	1
वित्त मंत्रालय		
19	आयकर निपटान आयुक्त, नई दिल्ली।	2
20	कार्यालय आयकर महानिदेशक, नई दिल्ली।	1
21	कार्यालय केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद।	2
22	कार्यालय केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आयुक्त, पणजी (गोवा)।	2
23	कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, रायपुर।	1
24	कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, (अपील-1) कानपुर।	1
25	कार्यालय नमक आयुक्त, जयपुर।	2
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
26	बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई।	1
27	कार्यालय अवर निदेशक, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई।	2
28	संयुक्त निदेशक कार्यालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर।	2
गृह मंत्रालय		
29	महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय, नई दिल्ली।	1
30	आंचलिक परिषद सचिवालय, नई दिल्ली।	1
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
31	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।	1
श्रम और रोजगार मंत्रालय		
32	अनु. जा./अनु. जनजाति के लिए कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, हिसार।	2
33	केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर।	1
34	कार्यालय श्रम उपायुक्त (मध्य), चंडीगढ़।	2

14. Regional Centre for Military Airworthiness, Distt. Sultanpur (U.P.). 1 28
15. Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh 2 28

Ministry of Environment and Forests

16. Ministry of Environment & Forests, New Delhi. 2 28
17. Eastern Regional Office, Bhubaneswar. 1 28
18. Regional Office, Western Region, Bhopal. 1 28

Ministry of Finance

19. Income Tax Settlement commission, New Delhi. 2
20. Office of the Director General of Income Tax, New Delhi. 1
21. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Aurangabad. 2
22. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa. 2
23. Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur. 1
24. Office of the Commissioner of Central Excise, (Appeal-I) Kanpur. 1
25. Office of the Salt Commissioner, Jaipur. 2

Ministry of Health and Family Welfare

26. B.G.G. Vaccine Laboratory, Chennai. 1
27. Office of the Additional Director, C.G.H.S., Mumbai. 2
28. Office of the Joint Director, C.G.H.S., Jabalpur. 2

Ministry of Home Affairs

29. Office of the Director General C.R.P.F., New Delhi. 1
30. Zonal Councils Secretariat, New Delhi. 1

Ministry of Information and Broadcasting

31. Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi. 1

Ministry of Labour and Employment

32. Coaching cum Guidance Centre for SC/ST, Hissar. 2
33. Central Board for Workers Education, Nagpur. 1
34. Office of the Deputy Chief Labour commissioner (Central) Chandigarh. 2

- 35 श्रम कल्याण आयुक्त कार्यालय, इलाहाबाद 1 14
- 36 कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, कोचीन। 1 12
- 37 महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, (डाकोपग्रे-तुरा) मेघालय। 2
- 38 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना। 2 16

खान मंत्रालय

- 39 खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद 1 17

जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

- 40 सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली। 2 19
- 41 जहाजरानी विभाग, नई दिल्ली। 2 20
- 42 महानिदेशालय दीप स्तंभ दीप पोत, नोयडा। 2 21
- 43 मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्टब्लेयर। 2 22

वस्त्र मंत्रालय

- 44 जूट आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता। 2 23

शहरी विकास मंत्रालय

- 45 टाउन एवं कंट्री प्लानिंग संगठन, कोलकाता। 2 26

जल संसाधन मंत्रालय

- 46 जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली। 1 27

ख. योजना आयोग

- 47 योजना आयोग, नई दिल्ली 1 29

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

- 48 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि., डिब्रुगढ़। 1 31

नागर विमानन मंत्रालय

- 49 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली। 1 32

- | | | |
|-----|---|---|
| 35. | Office of the Labour Welfare Commissioner, Alhabad. | 1 |
| 36. | Office of the Regional Labour commissioner (Central) Cochin. | 1 |
| 37. | Regional vocational Training Institute for Women, Dakopgre-Tura, Meghalaya. | 2 |
| 38. | Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ludhiana. | 2 |

Ministry of Mines

- | | | |
|-----|---|--|
| 39. | Directorate General of Mines Safety, Dhanbad. | |
|-----|---|--|

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

- | | | |
|-----|---|---|
| 40. | Department of Road Transport and Highways, New Delhi. | 2 |
| 41. | Department of Shipping, New Delhi. | 2 |
| 42. | Directorate General of Light Houses and Lightships, Noida. | 2 |
| 43. | Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakhadweep Harbour Works, Port Blair. | 2 |

Ministry of Textiles

- | | | |
|-----|---|---|
| 44. | Office of the Jute Commissioner, Kolkata. | 2 |
|-----|---|---|

Ministry of Urban Development

- | | | |
|-----|--|---|
| 45. | Town and Country Planning Organization, New Delhi. | 2 |
|-----|--|---|

Ministry of Water Resources

- | | | |
|-----|---|---|
| 46. | Ministry of Water Resources, New Delhi. | 1 |
|-----|---|---|

B. PLANNING COMMISSION

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 47. | Planning Commission, New Delhi. | 2 |
|-----|---------------------------------|---|

C. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS / COMMITTEES / CORPORATION / STATUTORY BODIES ETC.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

- | | | |
|-----|---|---|
| 48. | Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh. | 1 |
|-----|---|---|

Ministry of Civil Aviation

- | | | |
|-----|--|---|
| 49. | Indira Gandhi Rastriya Uran Akademi, Rae Bareli. | 1 |
|-----|--|---|

रक्षा मंत्रालय

- 50 भारत डायनैमिक लि. हैदराबाद।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

- 51 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. मुंबई।

खान और खनिज मंत्रालय

- 52 मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

- 53 चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., चेन्नई

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- 54 इंडियन अकादमी ऑफ साइंस, बंगलोर।
55 जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर।

जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

- 56 विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

- 57 जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), दिल्ली।

Ministry of Defence

50. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. 1

Ministry of Information & Broadcasting

51. National Film Development Corporation Limited, Mumbai. 1

Ministry of Mines and Minerals

52. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur. 1

Ministry of Petroleum and Natural Gas

53. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai. 1

Ministry of Science and Technology

54. Indian Academy of Science, Bangalore. 1
55. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore. 1

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

56. Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam. 1

Ministry of Tribal Affairs

57. Tribal Cooperation Marketing Development Federation (TRIFED) Delhi. 1

Ministry of Agriculture

9. Department of Chemicals and Fertilizers, New Delhi. 1

Ministry of Commerce and Industry

10. Department of Commerce, New Delhi. 1
11. Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi. 1
12. Petroleum and Explosives Safety Organization, Nagpur. 1

Ministry of Defence

13. Army Forces, Headquarters, New Delhi. 1
14. Quality Assurance Estt. (S), New Delhi. 2
15. Regional Centre for Military Airworthiness, Dist. Saharanpur (U.P.). 2

अनुलग्नक - III

वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्धवार्षिक विवरणियाँ भेजने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

क्रमसं.	संगठन का नाम	प्राप्त अर्धवार्षिक विवरणों की सं.
कृषि मंत्रालय		
1	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड, जिला सूरत।	2
2	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)।	1
3	केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, बंगलोर।	2
4	जूट विकास निदेशालय, कोलकाता।	1
5	विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कालीकट।	1
6	बाजारा विकास निदेशालय, जयपुर।	2
7	राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र गाजियाबाद।	1
8	दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)।	2
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
9	रसायन और उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।	1
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
10	वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली।	1
11	आपूर्ति और निपटान निदेशालय, नई दिल्ली।	2
12	पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर।	2
रक्षा मंत्रालय,		
13	सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।	1
14	गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली।	2
15	क्षेत्रीय सेना उड़ान सक्षमता केन्द्र, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.)	2

**LIST OF ORGANIZATIONS WHO HAVE FURNISHED
HALF YEARLY RETURNS ON
DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS**

A. MINISTRIES/ DEPARTMENTS / OFFICES

Sr. No.	Name of Organizations	No. of Half Yearly Returns receive
Ministry of Agriculture		
1.	Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, Distt. Surat.	2
2.	Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan).	1
3.	Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.	2
4.	Directorate of Jute Development, Kolkata.	1
5.	Directorate of Marketing and Inspection, Calicut.	1
6.	Directorate of Millets Development, Jaipur.	2
7.	National Centre for Organic Farm, Ghaziabad..	1
8.	Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Distt. Ananatapur (A.P).	2
Ministry of Agriculture		
9.	Department of Chemicals and Fertilizers, New Delhi.	1
Ministry of Commerce and Industry		
10.	Department of Commerce, New Delhi.	1
11.	Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.	2
12.	Petroleum and Explosives Safety Organization, Nagpur.	2
Ministry of Defence		
13.	Army Forces, Headquarters, New Delhi.	1
14.	Quality Assurance Estt. (S), New Delhi.	2
15.	Regional Centre for Military Airworthiness, Distt. Sultanpur(U.P.).	2

पर्यावरण और वन मंत्रालय

16	पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली।	1
17	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर।	2
18	वन्य जीव क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई।	1

वित्त मंत्रालय

19	महा प्रबंधक इंडियन सिक्थोरिटी प्रेस, नासिक रोड।	2
20	आयकर निपटान आयुक्त, नई दिल्ली	2
21	केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद।	2
22	केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी (गोवा)	2
23	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मदुराई-2।	2
24	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, रायपुर।	1

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

25	बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई	2
26	केन्द्रीय एमार्क लेबोरेट्री, नागपुर।	1
27	केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण, मुंबई।	1
28	अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई।	1
29	अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर।	1
30	राजकुमारी अमृता कौर नर्सिंग महाविद्यालय, नई दिल्ली।	1

गृह मंत्रालय

31	महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय, नई दिल्ली।	1
----	--	---

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

32	सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली।	1
----	--------------------------------------	---

श्रम और रोजगार मंत्रालय

33	अनु.जा./अन.जनजाति कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, हिसार।	2
34	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय), कोचीन।	2
35	महिला क्षेत्रीय व्यावासायिक प्रशिक्षण संस्थान, डेकोप्रे-तुरा, मेघालय।	2

Ministry of Environment and Forests

- | | | |
|-----|---|---|
| 16. | Ministry of Environment & Forests, New Delhi. | 1 |
| 17. | Eastern Regional Office, Bhubaneswar. | 2 |
| 18. | Wildlife Regional Office, Mumbai. | 1 |

Ministry of finance

- | | | |
|-----|--|---|
| 19. | General Manager, India Security Press, Nasik road. | 2 |
| 20. | Income Tax Settlement commission, New Delhi. | 2 |
| 21. | Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Augrangabad. | 2 |
| 22. | Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa. | 2 |
| 23. | Office of the Commissioner of Central Excise, Madurai-2. | 2 |
| 24. | Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur. | 1 |

Ministry of Health and Family Welfare

- | | | |
|-----|--|---|
| 25. | B.G.G. Vaccine Laboratory, Chennai. | 2 |
| 26. | Central Agmark Laboratory, Nagpur. | 1 |
| 27. | Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai. | 1 |
| 28. | Office of the Additional Director, C.G.H.S., Mumbai. | 1 |
| 29. | Office of the Additional Director, C.G.H.S., Jabalpur. | 1 |
| 30. | Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi. | 1 |

Ministry of Home Affairs

- | | | |
|-----|--|---|
| 31. | Office of the Directorate General C.R.P.F., New Delhi. | 1 |
|-----|--|---|

Ministry of Information and Broadcasting

- | | | |
|-----|--|---|
| 32. | Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi. | 1 |
|-----|--|---|

Ministry of Labour and Employment

- | | | |
|-----|---|---|
| 33. | Coaching cum Guidance Centre for SC/ST, Hissar. | 2 |
| 34. | Office of the Regional Labour commissioner (Central) Cochin. | 2 |
| 35. | Regional vocational Training Institute for Women, Dakopgre-Tura, Meghalaya. | 2 |

जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

- 36 सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली। 2
- 37 जहाजरानी विभाग, नई दिल्ली। 2
- 38 महानिदेशालय दीप स्तंभ दीप पोत नोयडा। 2
- 39 मुख्य अभियंता और प्रशासक कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर। 2

रेल मंत्रालय

- 40 रेल मंत्रालय (रेलव बोर्ड), नई दिल्ली। 1

शहरी विकास मंत्रालय

- 41 प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली। 2
- 42 टाउन एन्ड कन्ट्री एवं योजना संगठन, नई दिल्ली। 2

जल संसाधन मंत्रालय

- 43 जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली। 1

परमाणु ऊर्जा विभाग

- 44 न्यूक्लियर ईंधन कांप्लेक्स, हैदराबाद। 1

ख. अन्य संगठन

- 45 प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली। 2
- 46 योजना आयोग, नई दिल्ली। 2

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

- 47 ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि., डिब्रूगढ़। 1

नागर विमानन मंत्रालय

- 48 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली। 1

रक्षा मंत्रालय

- 49 भारत डायनैमिक लि., हैदराबाद। 1

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

- | | | |
|-----|---|---|
| 36. | Department of Road Transport and Highways, New Delhi. | 2 |
| 37. | Department of Shipping, New Delhi. | 2 |
| 38. | Directorate General of Light Houses and Lightships, Noida. | 2 |
| 39. | Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakhadweep Harbour Works, Port Blair. | 2 |

Ministry of Railways

- | | | |
|-----|--|---|
| 40. | Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi. | 1 |
|-----|--|---|

Ministry of Urban Development

- | | | |
|-----|--|---|
| 41. | Department of Publication, New Delhi. | 2 |
| 42. | Town and Country Planning Organization, New Delhi. | 2 |

Ministry of Water Resources

- | | | |
|-----|---|---|
| 43. | Ministry of Water Resources, New Delhi. | 1 |
|-----|---|---|

Department of Atomic Energy

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 44. | Nuclear Fuel Complex, Hyderabad. | 1 |
|-----|----------------------------------|---|

B. OTHER ORGANIZATION(S)

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 45. | Prime Minister's Office, New Delhi. | 2 |
| 46. | Planning Commission, New Delhi. | 2 |

C. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS / COMMITTEES / CORPORATIONS / STATUTORY BODIES ETC.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

- | | | |
|-----|---|---|
| 47. | Brahmaputra Valley fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh. | 1 |
|-----|---|---|

Ministry of Civil Aviation

- | | | |
|-----|---|---|
| 48. | Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareli. | 1 |
|-----|---|---|

Ministry of Defence

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 49. | Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. | 1 |
|-----|-------------------------------------|---|

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

- 50 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. मुंबई।

खान और खनिज मंत्रालय

- 51 मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

- 52 चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. चेन्नई।

ऊर्जा मंत्रालय

- 53 सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलोर।

जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

- 54 एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- 55 जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

- 56 जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), दिल्ली में।

Ministry of Information & Broadcasting

50. National Film Development Corporation, Mumbai.

1

Ministry of Mines and Minerals

51. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.

1

Ministry of Petroleum and Natural Gas

52. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai.

1

Ministry of Power

53. Central Power Research Institute, Bangalore.

1

Ministry of Shipping, Road Transport & Highways

54. Ennore Port Limited, Chennai.

1

Ministry of Science and Technology

55. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.

1

Ministry of Tribal Affairs

56. Tribal Cooperation Marketing Development Federation (TRIFED) Delhi

1

अनुलग्नक- IV

अभिलेख प्रबंधन पर पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल हुए विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम

क्रम सं.	विभागीय अभिलेख अधिकारी का नाम	प्रायोजक संस्था का नाम (अंग्रेजी वर्णानुक्रम में)
1	जयकुमार एम	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, चेन्नई
2	पंडा, कुमारी जय श्री	ऑल इंडिया रेडियो, कटक
3	शर्मा, राधा मोहन	ऑल इंडिया रेडियो, जयपुर
4	सेन, विमन बिहार	एंड्रयूल एंड कंपनी लि. कोलकाता
5	बमरारा, आर. सी.	एरिड वन रिसर्च संस्थान, नई दिल्ली
6	अरवामुधन, सी. आर.	बीसीजी वैक्सीन लेबोरेट्री, चेन्नई
7	सेनी, एम. टी.	ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भोपाल
8	सिन्हा, पृथ्वी राज	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल
9	सिंह, रावत	केन्द्रीय सीमा सुरक्षा बल, सिरौही , राजस्थान
10	सेल्वराज, एम.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई
11	छास, नरहरी	कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनवाद
12	प्रसाद, राजू	कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनवाद
13	दास, एन.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, झारखंड
14	कुमार, नवीन	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, झारखंड
15	नायक, टी. आर.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, झारखंड
16	नटराजन, प्रेमा	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तए चेन्नई
17	सिंह, जे. पी.	सेना प्रदर्शनी विभाग, नई दिल्ली
18	बेद्वया, जे. सी.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, उड़ीसा
19	गनवीर, सतीश जम्बा	परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई।
20	मिंज, विलियम	उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
21	कल्याण, वी.	अंतरिक्ष विभाग, श्रीहरिकोटा
22	सिंह, आरती	वन्य जीवन संरक्षण विभाग नई दिल्ली

Annexure-IV

**NAME OF DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS
WHO HAVE ATTENDED FIVE DAY ORIENTATION
COURSE ON RECORDS MANAGEMENT**

Sr. No.	Name of DRO	Name of the Sponsoring Authority(in alphabetical order)
1.	Jaikumar, M.	Airports Authority of India, Chennai
2.	Panda, Kumari Jayashree	All India Radio, Cuttack
3.	Sharma, Radha Mohan	All India Radio, Jaipur
4.	Sen, Biman Bihari	Andrew Yule and Company Limited, Kolkata
5.	Bamrara, R.C.	Arid Forest Research Institute, New Delhi
6.	Aravamudhan, C.R.	B.C.G Vaccine Laboratory, Chennai
7.	Sonny, M.T.	Bureau of Indian Standards, Bhopal
8.	Sinha, Prithvi Raj	Central Board for Workers Education, Bhopal
9.	Singh, Rewat	Central Reserve Police Force, Sirohi. (Raj.)
10.	Selvaraj, M.	Chennai Port Trust, Chennai
11.	Das, Narhari	Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad
12.	Prasad, Raju	Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad
13.	Das, N.	Coal Mines Provident Fund Organizations, Jharkhand
14.	Kumar, Navin	Coal Mines Provident Fund Organizations, Jharkhand
15.	Nayak, T.R.	Coal Mines Provident Fund Organizations, Jharkhand
16.	Natarajan, Prema	Commissioner of Central Excise, Chennai
17.	Singh, J.P.	Defence Exhibition Organization, New Delhi
18.	Baidya, J.C.	Defence R&D Organization, Orissa.
19.	Ganwir, Satish Janba	Department of Atomic Energy, Mumbai
20.	Minj, William	Department of Higher Education, New Delhi.
21.	Kalyan, V.	Department of Space, Sriharikota
22.	Singh, Aarti	Department of Wildlife Preservation, New Delhi

23	रावत, वाई. एन. सिंह	महानिदेशालय दीप स्तंभ दीप पोत, नोयडा
24	पूनम (एम एस)	महानिदेशालय दीप स्तंभ दीप पोत नोयडा
25	पटनायक, डॉ० सत्य प्रकाश	फील्ड पब्लिसिटी निदेशालय (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) भुवनेश्वर
26	सेन, एस	जूट विकास निदेशालय, कोलकाता
27	कुमार, पुष्पेंद्र	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम मंत्रालय), नई दिल्ली
28	नारायण, डॉ० जी रामा	ट्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापटनम
29	शर्मा, एस. बी.	इलेक्ट्रिक लोको शेड (इटारसी)
30	शर्मा, कमल किशोर	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जयपुर
31	विश्वास, आर. एल	भारतीय खाद्य निगम, भोपाल
32	सक्सेना, एस. सी	भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भोपाल
33	श्री निवासन, के. एन.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, केरल
34	तदवी, एम. आर	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., गुजरात
35	ग्यानचंदानी, विष्णु	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., जयपुर
36	रवि, एन	एच आर डी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भुवनेश्वर
37	स्वेन, श्रीमति. बी.	एच आर डी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भुवनेश्वर
38	चक्रवर्ती, जी. के.	आई बी पी सी ओ लि०, कोलकाता
39	दास, ए. के.	भारतीय मौसम-विज्ञान, उड़ीसा
40	बेहरा, जी. सी.	भारतीय मौसम-विज्ञान, उड़ीसा
41	सेधुमुनी, बी	इंडियन अकादमी ऑफ साइंसेस, बंगलौर
42	चौथानी, अटटू	इंडियन ऑडिट एण्ड एकाउन्ट्स विभाग, भोपाल
43	लाल, मोहन	इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन, देहरादून
44	कोथेन्दरमन, मलिका	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शास्त्र और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी
45	सेल्बाम, ए	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शास्त्र और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी
46	वर्मा, राम चरन	खादी एवं ग्रामीण उद्योग, जलान, जयपुर

23. Rawat, Y.N. Singh Directorate General of Lighthouse and Lightships, Noida
24. Poonam (Ms.) Directorate General of Lighthouse and Lightships, Noida.
25. Pattnaik, Dr. Satya Narayana Directorate of Field Publicity (Ministry of I & B),
Bhubaneswar
26. Sen, S. Directorate of Jute Development, Kolkata
27. Kumar, Pushpender Directorates General of Employment and Training,
(Ministry of Labour), New Delhi
28. Narayana, Dr. G. Rama Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam
29. Sharma, S.B. Electric Loco Shed, ITARSI
30. Sharma, Kamal Kishore Employees Provident Fund Organization, Jaipur
31. Biswas, R.L. Food Corporation of India, Bhopal
32. Saxena, S.C. Geological Survey of India, Bhopal
33. Sreenivasan, K. N. Hindustan Latex Ltd, Kerala
34. Tadv, M.R. Hindustan Salts Limited, Gujarat
35. Gianchandani, Vishnu Hindustan Salts Ltd, Jaipur
36. Ravi, N. HRD Centre of Excellence, Bhubaneswar
37. Swain, Mrs. B. HRD Centre of Excellence, Bhubaneswar
38. Chakraborty, G.K. IBPCO Ltd., Kolkata
39. Das, A.K. India Meteorological Department (IMD), Orissa.
40. Behera, G.C. India Meteorological Department (IMD), Orissa.
41. Sethumani, B. Indian Academy of Sciences, Bangalore
42. Choithani, Atto Indian Audit and Accounts Department, Bhopal
43. Lal, Mohan Indian Council of Forestry Research & Education,
Dehradun
44. Kothandaraman, Mallika Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education
and Research., Pondicherry
45. Selvam, A. Jawaharlal Institute of Post Graduate, Medical
Education and Research, Pondicherry
46. Verma, Ram Charan Khadi and Village Industries, Jalana, Jaipur

47	दास, राम चरन	महानदी कोल फील्ड लि., संबलपुर, उड़ीसा
48	राय, हरे राम	महानदी कोल फील्ड लि., संबलपुर, उड़ीसा
49	दास, आर. के.	महानदी कोल फील्ड लि., संबलपुर, उड़ीसा
50	साहू, बी. के.	महानदी कोल फील्ड लि., संबलपुर, उड़ीसा
51	बधाई, ए. के.	महानदी कोल फील्ड लि., संबलपुर, उड़ीसा
52	बनर्जी, असीम	मैग्नीज ओर (भारत) लि0, नागपुर
53	रमेश, बी.	एमएमटीसी लि., बैलरी
54	दसर, बी. टी.	एमएमटीसी लि., बंगलोर
55	विनोद, के.	एमएमटीसी लि., हैदराबाद
56	धवल, सुनीता	नागर विमान मंत्रालय
57	शास्त्री, जी. वी.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
58	प्रसाद, डॉ0 एन. एल. एस.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) भुवनेश्वर
59	खंगशेरपा, एन. दोरजी	विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
60	खुल्वे, एन. के.	विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
61	चावला, ओम प्रकाश	सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली
62	खस, आर. के.	रेल मंत्रालय नई दिल्ली
63	बनर्जी, ए.	रेल मंत्रालय / इंजीनियरी ए धनबाद
64	गट्टी, के. आर.	जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नई दिल्ली।
65	शर्मा, चंद्र कांता	जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नई दिल्ली
66	डल, उमा	कपड़ा मंत्रालय, नई दिल्ली
67	रवि, एन.	नेशनल एल्यूमिनियम कं. लि., भुवनेश्वर
68	सक्सेना, डा0 शेलेन्द्र कुमार	नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली
69	रेना, अशोक	नेशनल हाइड्रो पावर का., जे एंड के राज्य
70	खन्ना, आर. के.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रीक नेशनल हाइड्रोइ का. लि., फरीदाबाद

47. Dash, Ram Charan Mahanadi Coal Fields Ltd., Sambalpur, Orissa
48. Rai, Hare Ram Mahanadi Coal Fields Ltd., Sambalpur, Orissa
49. Das, R.K. Mahanadi Coal Fields Ltd., Sambalpur, Orissa
50. Sahoo, B.K. Mahanadi Coal Fields Ltd., Sambalpur, Orissa
51. Badhai, A.K. Mahanadi Coal Fields Ltd., Sambalpur, Orissa
52. Banerjee, Assim Manganese Ore (India) Ltd, Nagpur
53. Ramesh, B. Mineral and Metal Trading Corporation, Bellary
54. Dasar, B.T. Mineral and Metal Trading Corporation, Bangalore
55. Vinod, K. Mineral and Metal Trading Corporation, Hyderabad
56. Dhewal, Sunita Ministry of Civil Aviation
57. Sastry, G.V. Ministry of Commerce and Industry, New Delhi
58. Prasad, Dr. N.L.N.S. Eastern Regional Office,
(Ministry of Environment & Forests), Bhubaneswar
59. Khangserpa, N. Dorjee Ministry of External Affairs, New Delhi
60. Khulbey, N.K. Ministry of External Affairs, New Delhi.
61. Chawla, Om Parkash Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi
62. Khas, R.K. Ministry of Railways, New Delhi
63. Banerjee, A. Railway Engineering (Ministry of Railways), Dhanbad
64. Gatti, K.R. Ministry of Shipping Road Transport and Highways,
New Delhi
65. Sharma, Chander Kanta Ministry of Shipping, Road Transport & Highways,
New Delhi
66. Dhall, Uma Ministry of Textiles, New Delhi
67. Ravi, N. NALCO, Bhubaneswar
68. Saxena, Dr Shailendra Kumar National Defence College, New Delhi
69. Raina, Ashok National Hydro Power Corporation, J&K State
70. Khanna, R.K. National Hydroelectric Power Corporation Limited,
Faridabad

71	कुमार, रविंदर	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
72	कुमार, वरून	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
73	कांता, चंदर	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
74	सिंह, पिकी	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
75	मल्होत्रा, मधु	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
76	सिंह, संग्राम	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
77	शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद	राष्ट्रीय आर्युवेद संस्थान, जयपुर
78	नागप्पन, ए. एल.	न्योवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु
79	कुमार, लल्लन	नार्दन कॉलफील्डस लिमिटेड, सिंगरोली
80	पिल्लई, के. वी. जे.	नार्दन कॉलफील्डस लिमिटेड, सिंगरोली
81	पिल्लई, एम. आर.	नार्दन कॉलफील्डस लिमिटेड, सिंगरोली
82	बोरगहन, दिगंत	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., असम
83	कलीता, गीतली	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट
84	माथुर, बांके बिहारी	अकाउंटेंट जनरल (ए और ई) कार्यालय, जयपुर (राजस्थान)
85	चंद, खेम	अपर डीआईजीपी कार्यालय, भोपाल
86	दत्ता, बी. जी.	कोयला नियंत्रक कार्यालय, कोयला मंत्रालय, कोलकोता
87	दी, नारायण चंद्रा	कोयला नियंत्रक कार्यालय, कोयला मंत्रालय, कोलकोता
88	त्रीरावियम, ए.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, तमिलनाडु
89	जोशी, किरन कुमार	वाणिज्य लेखा निदेशक कार्यालय, भोपाल
90	सुना, मेघनाद	डिविजनल रेलवे मैनेजर कार्यालय, उड़ीसा
91	गेविंदहा, जी.	इलेक्ट्रॉनिक एवं राडार, कार्यालय, बंगलौर
92	जयशेखर, वी.	लिविक्डेटर कार्यालय, कोलकोता
93	महाराना, एन.	कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उड़ीसा
94	साहू, एच. एच.	कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, पश्चिमी बंगाल

71. Kumar, Ravinder National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad
72. Kumar, Varun National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad
73. Kanta, Chander National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad
74. Singh, Pinki National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad
75. Malhotra, Madhu National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad
76. Singh, Sangram National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad
77. Sharma, Rajendra Prasad National Institute of Ayurveda, Jaipur
78. Nagappan, A.L. Neyveli Lignite Corporation Ltd, Tamil Nadu
79. Kumar, Lallan Northern Coalfields Limited, Singrauli
80. Pillai, K.V.J. Northern Coalfields Limited, Singrauli
81. Pillai, M.R. Northern Coalfields Limited, Singrauli
82. Borgohain, Diganta Numaligarh Refinery Limited, Assam
83. Kalita, Geetali Numaligarh Refinery Limited, Golaghat
84. Mathur, Bankey Behari Office of the Accountant General (A&E), Jaipur (Rajasthan)
85. Chand, Khem Office of the Additional DIGP, Bhopal
86. Dutta, B.G. Office of the Coal Controller, Ministry of Coal, Kolkata
87. De, Narayan Chandra Office of the Coal Controller, Ministry of Coal, Kolkata
88. Thiraviam, A. Office of the Commissioner of Central Excise, Tamil Nadu
89. Joshi, Kiran Kumar Office of the Director of Commercial Audit, Bhopal
90. Suna, Meghnad Office of the Divisional Railway Manager (P), Orissa.
91. Govindaiah, G. Office of the Electronics and Radar, Bangalore
92. Jeyasekar, V. Office of the Official Liquidator, Kolkata
93. Maharana, N. Office of the Registrar of Companies, Orissa,
94. Sahoo, H.H. Office of the Registrar of Companies, West Bengal

95	नस्कर, एम. सी.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भुवनेश्वर
96	महापात्र, एस. के.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भुवनेश्वर
97	बेहरा, जी.	क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर
98	बेहरा, मंजुलता	वेलफेयर एवं सेस आयुक्त कार्यालय, भुवनेश्वर
99	मीना, मलुराम	पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर
100	कार्तिक, बी.	पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कूनूर, तमिलनाडु
101	नंजप्पा, एल	पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कूनूर, तमिलनाडु
102	दीक्षित, डा० सुबोध कुमार	पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संस्थान, (पीईएसओ), भोपाल
103	मिश्रा, राजेन्द्र प्रसाद	सांभर साल्ट्स लि., जयपुर
104	मोहन्ता, ब्रिजमोहन	भारतीय सर्वेक्षण, भुवनेश्वर
105	रावत, डी. एस	टिहरी हाइड्रो विकास निगम लि. ऋषिकेश
106	प्रसाद, भगवती	टिहरी हाइड्रो विकास निगम लि. ऋषिकेश
107	भटिया, डी. के.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., नई दिल्ली
108	जैन, वाई. के.	यूनाईटेड इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, भोपाल
109	सिंह, केवल	वायरलैस मानीटरिंग स्टेशन, भोपाल

95. Naskar, M.C.	Office of the Supdt of Police, Bhubaneswar
96. Mahapatra, S.K.	Office of the Supdt of Police, Bhubaneswar
97. Behera, G.	Regional Medical Research Centre, Bhubaneswar
98. Behera, Manjulata	Office of the Welfare and Cess Commissioner, Bhubaneswar
99. Meena, Malu Ram	Passport Office, Jaipur
100. Karthick, B.	Pasteur Institute of India, Coonoor, Tamilnadu
101. Nanjappa, L.	Pasteur Institute of India, Coonoor, Tamilnadu
102. Dixit, Dr. Subodh Kumar	Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO), Bhopal
103. Mishra, Rajendra Prasad	Sambhar Salt Limited, Jaipur
104. Mohanta, Brajmohan	Survey of India, Bhubaneswar
105. Rawat, D.S.	Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh.
106. Prasad, Bhagwati	Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh.
107. Bhatia, D.K.	The National Small Industries Corporation Ltd., New Delhi
108. Jain, Y.K.	United India Insurance Company Limited, Bhopal
109. Singh, Kewal	Wireless Monitoring Station, Bhopal

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार
जनपथ, नई दिल्ली-110001



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
JANPATH, NEW DELHI - 110001

email : archives@nic.in
website : www.nationalarchives.gov.in